



तम्बाकू बोर्ड

वार्षिक प्रतिवेदन
2019-20

GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAP) IN TOBACCO CULTIVATION

Conservation of soil fertility and Integrated Nutrient Management (INM)



- ♦ Performing deep Summer plowing
- ♦ Following Crop rotation
- ♦ Growing Green manuring crops
- ♦ Usage of Organic and Bio fertilizers
- ♦ Balanced and judicious usage of chemical fertilizers

Approved, Recommended, High Yielding pure SEED



Usage of :

- ♦ Varieties approved / recommended by CTRI
- ♦ Pure seeds supplied by Certified agencies
- ♦ High yielding variety for Nursery

Selection of healthy seedlings



Selection of :

- ♦ Disease and pest free seedlings
- ♦ Healthy seedlings
- ♦ 60-65 days old seedling
- ♦ Sturdy stem (pencil size) seedling
- ♦ Preferably the seedling grown in TRAYS

Inter Cultural Operation



- ♦ Performing Inter cultivation for soil aeration
- ♦ Control of weed in the field
- ♦ Formation of Bunds in plant rows at 45 to 50 days age

Integrated Pest Management (IPM)



- ♦ Planting trap crops on borders
- ♦ Usage of Pheromone traps
- ♦ Installation of Yellow sticky traps
- ♦ Usage of Bio pesticides
- ♦ Judicious usage of chemical pesticides

Control of Pesticide Residues



- ♦ Usage of recommended pesticides
- ♦ Use of recommended dose
- ♦ Avoiding pesticide residues

Topping and De-suckering



- ♦ Topping the plant at single bud stage
- ♦ Applying suckercide
- ♦ Control suckers

Harvest and Curing Management



- ♦ Harvest only riped leaves
- ♦ Performing green leaf grading (Ripe, un-ripe, over ripe)
- ♦ String only two to three leaves for bunch
- ♦ Maintain space between bunch to bunch for circulation of heat
- ♦ Optimum loading of leaf in to the barn

Grading and elimination of Non-tobacco Related Materials (NTRM)



- ♦ Grading tobacco as per grade specifications and with out NTRM
- ♦ Bulking and re bulking to avoid excess moisture
- ♦ Packing tobacco into bales eliminating NTRM



Tobacco Board India

Ministry of Commerce & Industry
Dept. of Commerce, Government of India

Guntur - 522 004 (A. P.) India.
Ph : +91 863 2358068, 2358399
Fax : +91 863 2354232

e-mail: info@indiantobacco.com, exports@indiantobacco.com
website : www.indiantobacco.com

भारत-उत्कर्ष टोबाकोस की विस्तृत शृंखला के लिए एक मात्र गन्तव्य स्थान

स्वाभाविक रूप से उत्पन्न फसल विश्व भर में अधिमान्य



भारतीय तम्बाकू फसल यूएसपी :

- न्यूट्रल फिल्लर से अर्ध-सुगन्धित एफसीवी तम्बाकू और वायु अभिसाधित और सूर्य अभिसाधित टोबाकोस से विविध प्रकारों के टोबाकोस का चयन
- स्थायी आपूर्ति शृंखला के लिए पूरे वर्ष का संभरण
- अनुकूल प्रकार-मूल्य अनुपात
- अन्तरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपोषित तम्बाकू उत्पाद अभ्यास
- जैव तम्बाकू उत्पादन के लिए प्राकृतिक खेती की पहल
- अल्प कीटनाशक अवशेष, टी एस एन ए और भारी धातुएँ



गोल्डेन लीफ पुरस्कार 2019 के विजेता

सबसे प्रभावशाली लोक सेवा पहल



तम्बाकू बोर्ड भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

गुणदूर - 522 004 (आ.प्र), इंडिया | फोन : +91 863 2358068, 2358399 | फैक्स : +91 863 2354232
ई-मेल : info@indiantobacco.com | exports@indiantobacco.com | वेबसाइट : www.tobaccoboard.com

विषयसूची

बोर्ड संघटन	5
वरिष्ठ प्रबंध	6-7
2019-20 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन	8
2019-20 के दौरान बैठकें	9-10
संस्थापना दिवस समारोह 2020	11-16
दि. 31/03/2020 तक मंजूर और मौजूदा संख्या दर्शानेवाली विवरण	17
तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट	18

फसल योजना & नियंत्रण

I. भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ	19
II. 2019-20 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति	19
III. 2019-20 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टताएँ	19
IV. 2019-20 के लिए पंजीकरण मापदण्ड - विशिष्टताएँ	20
V. 2019-20 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार विस्तार तथा प्राधिकृत उत्पादन कोटा	21
VI. उत्पादन नियंत्रण अभियान	21
VII. 2019-20 के दौरान पंजीकृत ग्राहकों का विवरण	22
VIII. 2019-20 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट	22-23
IX. 2019-20 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट	24-27
X. 2019-20 के दौरान आधिक्य / अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री	27
XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों का प्रचार	27-28
XII. प्रकाशम जिला में एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को विस्तारित फसल ऋणों को पुनः नियत करना - भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष छूट	28
XIII. आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्राहक रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	29-30
कर्नाटका में 2019-20 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्राहक रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	31

विस्तार और परामर्श सेवाएँ

I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति	32-34
II. 2019-20 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार एवं विकासात्मक योजनाएँ	34-39
III. 2019-20 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन बनाये रखने तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये पहलू	40-41

IV. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण	41-46
V. 2019-20 में विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय	46
2019-20 फसल मौसम-विस्तार & विकास योजनाएँ-भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	47-48
2019-20 के दौरान विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अजा/अजजा/महिला एवं अन्य ग्रोयर्स को कवरेज	49-50

ग्रोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)

I. तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि	51
II. किसानों को उत्पादन सम्बन्धित सेवाएँ	51-52
2019-20 के दौरान बढ़ाया हुआ अनुदान/ ब्याज मुक्त ऋण विवरण	53

प्लेटफार्मों पर नीलामकार की सेवाएँ

I. आन्ध्र प्रदेश में 2018-19 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	54-61
II. कर्नाटका में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	61-65
III. आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	65-72
01/04/2019 से 31/03/2020 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण ।	
31/03/2020 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण	
01/04/2019 से 31/03/2020 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार खरीदी	
IV. किसानों को प्रमाणीकृत बेल पैकिंग सामग्री की आपूर्ति	73

व्यापार स्कंध

I. प्रोसेसर/निर्माणकर्ता/वर्जीनिया तम्बाकू के बाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता/तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक/पैकर/तम्बाकू डीलर के रूप में पंजीकरण	74
--	----

भारत से तम्बाकू & तम्बाकू उत्पादों के विपणन एवं निर्यात

I. भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण	75-81
II. निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ	81-86
III. वाणिज्य पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन संदर्शन	86-87

राजभाषा कार्यान्वयन

- I. राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए लिये उपाय, हिन्दी शिक्षण योजना, हर दिन एक शब्द सीखिये, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ, कम्प्यूटरों पर हिन्दी और कार्यशाला 88

वित्त एवं लेखा

- I. आंतरिक साधन 89
- II. बजट अनुमान 90
- दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुन्डूर की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखा-परीक्षण रिपोर्ट 91-93
- III. तम्बाकू निधि लेखा - 31 मार्च, 2020 तक वित्तीय विवरण तुलन-पत्र 94
- 31 मार्च, 2020 अंत तक वर्ष/अवधि के लिए आय व व्यय लेखा 95
- उद्दिष्ट निधियों का निधि शेष (तुलन पत्र) 96-98
- अनुसूची - 24:31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 99-103
- अनुसूची - 25:31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर आकस्मिक देयताएँ तथा नोट 103
- तम्बाकू निधि लेखाओं पर टिप्पणी 104-113
- वित्त व लेखा विवरणियाँ 114-122
- 2008-09 से 2019-20 तक गैर-योजना & योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह (प्लो) स्थिति दर्शाने वाला विवरण 123
- संकेताक्षर 124

बोर्ड संघटन

दि. 31/03/2020 तक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड, निम्नानुसार गठित किया गया था :

धारा 4 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत अध्यक्ष का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री यङ्लपाटी रघुनाथ बाबू, अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड

धारा 4 की उपधारा 4 (ख) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री बंडी संजय कुमार, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री वल्लभनेनी बालशौरी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री आर.के. सिन्हा, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा)

धारा 4 की उपधारा 4 (ग) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री विजय राज मोहन, निदेशक (व्यापार - कृषि संबंधित), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ।

श्री एन. अशोक कुमार, निदेशक (वाणिज्य सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ।

श्रीमती रूपा दत्ता, आर्थिक सलाहकार (वित्त सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ।

श्री संपा साहा, निदेशक (औद्योगिक विकास सम्बंधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग ।

डॉ. डी.दामोदर रेड्डी, निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमहेन्द्रवरम

श्री पूनमचंद परमार, भा.प्र.से., कृषि निदेशक, गुजरात सरकार।

श्री बी.वाई. श्रीनिवास, कृषि निदेशक, कर्नाटका सरकार।

डॉ.(श्रीमती) पूनम मालकोंडय्या, भा.प्र.से., विशेष प्रधान सचिव, खाद्य, कृषि & सहयोग विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (घ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री एन.टी.शिसोडे, कृषि निदेशक, महाराष्ट्र सरकार

डॉ. एम. मुत्तु कुमार, भा.प्र.से., निदेशक - कृषि & खाद्य उत्पाद, ओडिशा सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री पोलिशेट्टि श्याम सुन्दर, उपाध्यक्ष

श्री शफीक यू.आर. रहमान खान

श्री यार्लगड्डा अंकम्मा चौधरी

श्री कोडवटि वासुदेव राव

श्री गुंडाल कोंडा रेड्डी

धारा 4 की उपधारा 4 (च) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री पी. के. स्वैन, भा.प्र.से., कृषि विपणन सलाहकार-भारत सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (छ) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर

वरिष्ठ प्रबंध

(दि.31/03/2020 तक)

प्रबंध और वरिष्ठ कर्मचारीगण

अध्यक्ष

श्रीमती के.सुनीता, भा.प्र.से.,

अध्यक्ष (प्रभारी), तम्बाकू बोर्ड - दि. 25/07/2019 तक

श्री वाई. रघुनाथ बाबू

दि. 26/07/2019 से

कार्यपालक निदेशक

श्रीमती के.सुनीता, भा.प्र.से.,

सचिव

श्री अद्वंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,

निदेशक (नीलाम)

श्री टी.वी. रवि, भा.रा.से.,

प्रबंधक (वित्त व लेखा)

श्रीमती पी. मीना कुमारी

प्रबंधक (नीलाम)

श्री के. रवि कुमार

प्रबंधक (विपणन और निर्यात)

श्री सीएच. वी. मारुती प्रसाद

प्रबंधक (विस्तार)

श्री पी. रमेश

प्रबंधक (उत्पादन)

श्री आर. श्रीनिवास

प्रादेशिक प्रबंधक (दकामि, ओंगोल)

श्री जी. उमा महेश्वर राव

प्रादेशिक प्रबंधक (दहमि, ओंगोल)

श्री के. सुधाकर राव

प्रादेशिक प्रबंधक (उ.ह.मि, राजमहेन्द्रवरम)

श्री वी.के. पुरुषोत्तम राजू

प्रादेशिक प्रबंधक (मैसूर)

श्री बी. मंजुनाथ

प्रादेशिक प्रबंधक (पेरियापट्टना)

श्री के.वी.एस.टी. साई

सहायक प्रबंधक (यो व स)

श्री. सी. गोपीनाथ

कार्मिक अधिकारी

श्री ए.वी.एस. रामकृष्णा रेड्डी

ओ.एस.डी. (सतर्कता)

श्री सी.एम.ए जलील अहमद

कर्मचारी गण

वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 95

मध्य श्रेणी प्रबंध : 107

कनिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 246

कुल : 448

तम्बाकू बोर्ड

डाक पता :

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पोस्ट बॉक्स नं. 322, जी.टी. रोड, गुण्डूर - 522 004 (आन्ध्र प्रदेश)


0863-2358399/0863-2354232

दूरभाष सं/फैक्स

ई-मेल & वेबसाईट :

info@indiantobacco.com/www.indiantobacco.com

कारपोरेट शासन



वाई. रघुनाथ बाबू
अध्यक्ष



के. सुनीता, भा.प्र.से.,
कार्यपालक निदेशक



अदंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,
सचिव



टी.वी.रवि, भा.रा.से.,
निदेशक (नीलाम)



के. रवि कुमार
प्रबंधक
(नीलाम)



सीएच.वी. मारुती प्रसाद
प्रबंधक
(विपणन & निर्यात)



आर. श्रीनिवास
प्रबंधक
(विस्तार)



पी. रमेश
प्रबंधक
(उत्पादन)



पी.मीना कुमारी
प्रबंधक
(वित्त व लेखा)



बी. मंजुनाथ
प्रादेशिक प्रबंधक
मैसूर



के.वी.एस.टी.साई
प्रादेशिक प्रबंधक
पेरियपट्टना



जी. उमा महेश्वर राव
प्रादेशिक प्रबंधक
द का मि, ओंगोल



के. सुधाकर राव
प्रादेशिक प्रबंधक
द ह मि, ओंगोल



वी.के. पुरुषोत्तम राजू
प्रादेशिक प्रबंधक
राजमहेन्द्रवरम

2019-20 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना, भारत सरकार के द्वारा, 'तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975' के तहत, तम्बाकू उद्योग में सर्वतोमुखी विकास लाने के लिए, की गई थी। बोर्ड की प्राथमिक भूमिका - तम्बाकू किसानों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद दामों तथा निर्यातों के विकास के साथ एक सक्रिय खेतीबारी पद्धति की सुविधा (सुचारु) प्रणाली का सुनिश्चयन है।

तम्बाकू, भारत में उगाने वाले मुख्य वाणिज्यिक फसलों में एक हैं। यह वर्ष 2019-20 के दौरान यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 45.7 मिलियन लोगों को रोजगार देता है और विदेशी मुद्रा के रूप में ₹ 5,969.59 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजकोष को योगदान देता है। विश्व में तम्बाकू उत्पादन में भारत का एक विशिष्ट स्थान है। **भारत विश्व में तम्बाकू उत्पादन में तीसरा स्थान और अनिर्मित तम्बाकू निर्यात में चौथा स्थान प्राप्त किया है।** भारत एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न आग्रे जल-वायु स्थितियों के अंतर्गत उनके भौतिक एवं रसायनिक लक्षणों से भिन्न-भिन्न हैं। भारतीय तम्बाकू विश्व-व्याप्त 114 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। भारत, निर्यातों के लिए उत्पादन का एक आकर्षक विविधकृत आधार प्रदान करते हुए तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों, विशेषताओं एवं मूल्य श्रेणियों के लिए एक ओन-स्टॉप शॉप प्रदान करता है। एफसीवी तम्बाकू का पैदावार, पारंपरिक काली मिट्टी (टीबीएस), उत्तरी हल्की मिट्टी (एनएलएस), दक्षिणी हल्की मिट्टी (एसएलएस) और कर्नाटका हल्की मिट्टी(केएलएस) में किया जाता है। भारत में, उत्पादित तम्बाकू में गुणवत्ता की विस्तृत श्रेणी तम्बाकू जैसे., अर्ध-गमकीय से लेकर गमकीय (एनएलएस & इएलएस) तथा गुणता न्यूट्रल फिल्लर (केएलएस & एसएलएस) और अच्छे फिल्लर (टीबीएस) प्रकारों का उत्पादन हुआ था। तम्बाकू बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू कृषि के लिए 236 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण को, जो पूर्व मौसम में निर्धारित किया गया था, वही परिणाम को 2019-20 फसल मौसम के दौरान निर्धारित किया। तम्बाकू बोर्ड ने, तम्बाकू उपज तथा गुणवत्ता को विकसित करने के लिए विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत ₹ 534.49 लाख की राशि व्यय की है। 2019-20 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के दोनों नीलाम प्लैटफार्मों में 229.72 मि.कि.ग्रा. का परिमाण, जो 2018-19 में ₹ 134.45 प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य में विपणित 222.49 मि.कि.ग्रा. परिमाण की तुलना में ₹ 123.78 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में विपणित हुआ था। 2019-20 के दौरान, भारत से ₹ 5,969.59 करोड़ (843.04 यूएसडी मिलियन) मूल्य के 2,17,393 मेट्रिक टन तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात हुआ है। 2019-20 के दौरान तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात परिमाण के शब्दों में 1% और रुपये के शब्दों में 1% और यू एस डालरों के शब्दों में 2%, जो पिछले वर्ष की तुलना में घट गये।

ग्राहकों को उत्तम सेवाएँ और तम्बाकू उद्योग का विकास से संबंधित क्रियाकलापों के सम्मान में मेसर्स. डीएनवी - जीएल-बिजिनेस एश्यूरेन्स ने अंप्रसं 9001:2015 प्रमाणपत्र से तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया और यह प्रमाणपत्र 18/03/2022 तक मान्य है।

2019-20 के दौरान बैठकें

(दि. 01/04/2019 से दि. 31/03/2020 तक)

क) सांविधिक बैठकें

दो बोर्ड की बैठकें और तीन समिति की बैठकें संपन्न हुए।

बोर्ड बैठकें :

1. दि. 21 अगस्त, 2019 (बुधवार) को बोर्ड की 148वीं बैठक गुण्टूर में संपन्न हुई ।
2. दि. 28 फरवरी, 2020 (शुक्रवार) को बोर्ड की 149वीं बैठक बेंगलूर में संपन्न हुई ।

ग्रायर्स तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

1. ग्रायर्स तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 89वीं बैठक दि. 22/08/2019 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई ।
2. ग्रायर्स तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 90वीं बैठक दि. 30/12/2019 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई ।
3. ग्रायर्स तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 91वीं बैठक दि. 28/02/2020 को बेंगलूर में संपन्न हुई ।

व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

1. व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं की रजिस्ट्रेशन समिति की 44वीं बैठक दि. 18/09/2019 को गुण्टूर में संपन्न हुई ।



दि. 21/08/2019 को गुण्टूर में संपन्न बोर्ड की 148वीं बैठक में
 श्री वाई. रघुनाथ बाबू, अध्यक्ष, श्रीमती के. सुनीता, कार्यपालक निदेशक,
 श्री बालशौरी - माननीय सं.स (लो.स.), श्री बंडी संजय कुमार - सं.स.(लो.स.), श्री एन. रमेश - निदेशक (वा & उ मं),
 श्री टी.वी. रवि - निदेशक (नीलाम) और श्री ए. श्रीधर बाबू - सचिव भाग लिये ।

ख) असांविधिक बैठकें :

1. आन्ध्र प्रदेश में 2019 एफसीवी तम्बाकू नीलामियों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने भा तं सं और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ बैठकें दि. 24/05/2019, 21/06/2019 & 05/07/2019 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में संपन्न हुए ।
2. कर्नाटका में 2019 फसल मौसम के लिए नीलामियों पर समीक्षा और चर्चा करने भा.तं.सं और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि. 29/08/2019 और 20/11/2019 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में संपन्न हुई ।
3. 2019 चालू आन्ध्र प्रदेश एफ सी वी नीलामियों पर समीक्षा करने श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव, माननीय संसद सदस्य (रा.स.) और भा तं सं & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि. 11/06/2019 को संपन्न हुई ।
4. 2019 चालू आन्ध्र प्रदेश एफसीवी नीलामियों पर समीक्षा करने श्री के. कन्न बाबू, माननीय कृषि मंत्री, आन्ध्र प्रदेश सरकार और भा तं सं & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि. 14/06/2019 को संपन्न हुई ।
5. आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ प्रारंभ पर विचार करने भा तं.सं और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्वरंग बैठक दि. 23/01/2020 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में संपन्न हुई।
6. कर्नाटका में चालू नीलामियों और नीलाम प्लेटफार्मों में 'पंडुगुल्ला' की बिक्री से संबंधित विषयों पर चर्चा करने भा.तं.सं और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि. 18/02/2020 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में संपन्न हुई ।
7. आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 एफ सी वी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियों की प्रारंभ की तारीख से संबंधित विचार करने भा तं सं, व्यापारी प्रतिनिधियों तथा ग्रेडर प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्वरंग बैठक दि. 07/02/2019 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर में संपन्न हुई ।

संस्थापना दिवस समारोह :

तम्बाकू बोर्ड दि. 03/01/2020 को भारतीय तम्बाकू संघ हॉल, गुण्टूर में अपने संस्थापना दिवस समारोह आयोजित किये थे। डॉ. यलमंचिली शिवाजी, भूतपूर्व - संसद सदस्य (रा.स.) ने समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिये। श्री वाई. रघुनाथ बाबू, अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इस बैठक में श्रीमती के. सुनिता, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, श्री ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से, सचिव, श्री टी.वी. रवि, भा.रा.से., निदेशक (नीलाम), बोर्ड सदस्य, अध्यक्ष, भा.त.सं, डिविजनल सीईओ, आई टी सी लिमिटेड, एबीडी, बोर्ड सदस्य और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका से लगभग 800 किसान और व्यापारियों इस समारोह में उपस्थित हुए थे।



उत्तम ग्रोयर्स, व्यापारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार

वर्ष 2020 संस्थापना दिवस समारोह के सुअवसर पर तम्बाकू बोर्ड ने विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत ग्रोयर्स और व्यापारियों को सम्मानित किये थे। तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने उत्तम कार्य निष्पादन के लिए सम्मानित किये गये थे।

पुरस्कार प्राप्त ग्रोयर :

क्षेत्र / नीप्लैस	ग्रोयर का संवर्ग (श्री / श्रीमती)	
पेरियपटना	प्रगतिशील ग्रोयर	आर्गानिक / जडबीएनएफ ग्रोयर
पेरियपटना-I	रवि कुमार पु/श्री देवेगौडा चौती (गाँव), तंबोगोर सं. 4.016.123	महादेव जवानीकोप्पल (गाँ)
पेरियपटना-II	योगेश पु/श्री बोरेगौडा माटाडाकोप्पल (गाँव), तंबोगोर सं. 5.055.002	तम्मन्नेगौडा कोग्गालीकोप्पल (गाँ)
पेरियपटना-III	कुमारा पु/श्री शिवलिंगे शेटी गोरहल्ली (गाँव), तंबोगोर सं. 6.029.159	मरियप्पा कोप्पल (गाँ)

क्षेत्र / नीप्लैसं	ग्रोयर का संवर्ग (श्री / श्रीमती)	
रामनाथपुरा-I	पुट्टा लक्ष्मम्मा प/श्री एलटी. वेंकटगौडा हरलहल्ली (गाँव), तंबोगोर सं. 07.071.001	टी.जे. शेषप्पा सिरनाला (गाँव)
रामनाथपुरा-II	देवम्मा प/श्री एलटी. हच्चय्या अल्लपट्टना (गाँव), तंबोगोर सं. 07.020.021	लोकेश ताटवास्लु (गाँव)
मैसूर	प्रगतिशील ग्रोयर	आर्गानिक / जडबीएनएफ ग्रोयर
एच.डी कोटे	एम.के. हरीदास पु/श्री एम.एन.ए.के. मूर्ती मोलेयूर (गाँव), तंबोगोर सं. 01.198.004	...
हुन्सूर-I	एच.पी. जयन्ना पु/श्री पुट्टनय्या हारवे (गाँव), तंबोगोर सं. 02.106.226	नंजुंडेगौडा पु/श्री एल.टी. सन्नतम्मगौडा अग्रहारा (गाँव), तंबोगोर सं. 02.301.023
हुन्सूर-II	रवि कुमार पु/श्री शिवलिंगप्पा यू.जी. हल्ली (गाँव), तंबोगोर सं. 03.356.071	श्यामसुन्दर राव चवान पु/श्री जगन्नाथ राव चवान सोमनहल्ली (गाँव), तंबोगोर सं.03.349.006
हुन्सूर-III	महादेवप्पा पु/श्री करियप्पा बीरनहल्ली (गाँव), तंबोगोर सं. 64.307.013	सोमशेखरा पु/श्री तम्मगौडा तिप्प लपुरा (गाँव), तंबोगोर सं.64.147.139
कंपलापुरा	सावित्रम्मा प/श्री एलटी. मारीगौडा एम. शेडहल्ली (गाँव), तंबोगोर सं. 61.058.054	नागराजू पु/श्री बसवराजप्पा हरीनल्ली (गाँव), तंबोगोर सं. 61.103.019
चिलकुंदा	नागराजप्पा पु/श्री केंडगनप्पा कर्नकुप्पे (गाँव), तंबोगोर सं. 62.074.032	एच.एस. रवि पु/श्री शंकरगौडा इट्टगहल्लीकोप्पलू (गाँव), तंबोगोर सं. 62.029.022
राजमहेन्द्री	प्रगतिशील ग्रोयर	आर्गानिक / जडबीएनएफ ग्रोयर
तोर्रेडू	मान्यम ज्ञानेश्वर राव पु/श्री कृष्णाराव, मागुल्ला (गाँव), तंबोगोर सं. 15.012.471	परिमि सुब्ब लक्ष्मी प/श्री कर्नाल राजू, आर.डी. पुरम (गाँव), तंबोगोर सं. 15.016.680
देवरपल्ली	कोमटनेनी नाग श्रीनिवास राव, पु/श्री सत्यनारायण, विश्वनाथपुराम (गाँव), तंबोगोर सं. 17.633.002	पडमिटी सत्यनारायण पु/श्री रामाराव, चेरुकुमिल्ली (गाँव), तंबोगोर सं. 17.003.025
जे.आर.गूडेम-I	कुंजा गंगुलू पु/श्री मुत्थाल राव, गुब्बीसमैडी (गाँव), तंबोगोर सं. 30.016.001	कूचिपूडि रमेश चौधरी पु/श्री रामकृष्ण, मार्कडियपुरम (गाँव), तंबोगोर सं. 18.147.096
जे.आर.गूडेम-II	आकुल रामतारकम पु/श्री जगदेश्वर राव, मक्किनवारी गूडेम (गाँव), तंबोगोर सं. 18.059.278	आकुल श्रीनिवास पु/श्री जगदेश्वर राव, मक्किनवारी गूडेम (गाँव), तंबोगोर सं. 18.059.294

क्षेत्र / नीप्लैस	ग्रोयर का संवर्ग (श्री / श्रीमती)	
कोय्यलगूडेम	कानूरी हरी कोंडा पु/श्री सत्यनारायण, एम.पी.देवी पेठा (गाँव), तंबोगोर सं. 30.032.052	कूनपोमू लाजर पु/श्री मुक्कय्या, डिप्पकायलपाडू (गाँव), तंबोगोर सं. 30.011.331
गोपालपुरम	कोडवटी वेंकटेश्वर राव, पु/श्री चिन्न सत्यनारायण, पेद्दापुरम (गाँव), तंबोगोर सं. 17.016.068	पिल्ली गाँधी पु/श्री वेंकट राव, पेद्दापुरम (गाँव), तंबोगोर सं. 17.016.135
दकामि, ऑंगोल	प्रगतिशील ग्रोयर	आर्गानिक / जडबीएनएफ ग्रोयर
वेल्लमपल्ली-II	मंडव गोविंद राजुलू पु/श्री वेंकटेश्वरु बसवन्नापालेम(गाँव), तंबोगोर सं.20.001.097	नवुलूरी सुरेन्द्र मोहन राव, पु/श्री मुत्त्यालया, वित्तलापुराम(गाँव), तंबोगोर सं.19.112.020
ऑंगोल-I	गोगिनेनी सुब्रह्मण्यम पु/श्री कोटय्या, नरसायपालेम (गाँव), तंबोगोर सं.20.074.041	बोड्डु वीर राघव राव पु/श्री पेद राघवुलु, मैनमपाडू (गाँव), तंबोगोर सं. 20.068.446
ऑंगोल-II	इनगंटी वेंकट रमणा रेड्डी पु/श्री नरसारेड्डी माचवरम (गाँव), तंबोगोर सं. 19.158.016	राविपाटी सिंगम्मा पु/श्री वेंकट राव, पोतवरम (गाँव), तंबोगोर सं. 19.162.083
टंगुदूर-I	कोत्तपल्ली वेंकटेश्वरु पु/श्री शेषय्या, जम्मुलपालेम (गाँव), तंबोगोर सं.24.006.241	वाका वेंकट सुब्बा रेड्डी पु/श्री रामलिंगा रेड्डी, अलकूरपाडू (गाँव), तंबोगोर सं.24.001.074
टंगुदूर-II	काकूमानी नागब्रह्म पु/श्री वेंकटेश्वरु टी. नायडूपालेम (गाँव) तंबोगोर सं. 24.024.241	बत्तुल शेखर प/श्री चिन अंकय्या कारुमंची (गाँव), तंबोगोर सं. 24.009.548
कोंडेपी	कोम्मालपाटी अब्बन्ना पु/श्री रामय्या, चौडवरम (गाँव), तंबोगोर सं. 25.005.153	नारला वीर ब्रह्मा रेड्डी पु/श्री ब्रह्मा रेड्डी, मुक्कोडिपालेम (गाँव), तंबोगोर सं. 25.026.067
दहमि, ऑंगोल	प्रगतिशील ग्रोयर	आर्गानिक / जडबीएनएफ ग्रोयर
पोदिली	वल्लुरी ब्रह्मय्या पु/श्री वेंकटेश्वरु, सिद्धवरम (गाँव), तंबोगोर सं. 22.059.075	बसिरेड्डी जगनमोहन रेड्डी, पु/श्री मालकोंडय्या, कंबालपाडू (गाँव), तंबोगोर सं. 22.025.044
कनिगिरी	कंदी रमणम्मा प/श्री वेंकट कोंडा रेड्डी, दसल्लपल्ली (गाँव), तंबोगोर सं. 23.043.156	कामिरेड्डी वेंकटस्वामी रेड्डी पु/श्री वेंकट सुब्बा रेड्डी, पोलवरम (गाँव), तंबोगोर सं. 23.057.021
कन्दुकुरु-I	युन्नम माधवराव पु/श्री मालकोंडय्या, चौटपालेम (गाँव), तंबोगोर सं. 26.009.250	पोन्नगंटी वेणु पु/श्री लक्ष्मय्या, मुल्लमूरीवारी पालेम (गाँव), तंबोगोर सं. 26.030.022
कन्दुकुरु-II	मादाला माधव राव पु/श्री श्रीरामुलू, पोलिनेनीपालेम (गाँव), तंबोगोर सं. 27.045.249	कासिरेड्डी चेन्नम्मा पु/श्री ओबुल रेड्डी, तिम्मारेड्डीपालेम (गाँव) तंबोगोर सं. 27.053.195

क्षेत्र / नीप्लैस	ग्रोयर का संवर्ग (श्री / श्रीमती)	
कलिगिरी	कट्टा वेंकटेश्वर्लु पु/श्री अंजय्या, कोत्तुरु (गाँव), तंबोगोर सं. 28.137.175	रावुरी श्रीकांत बाबू पु/श्री वेंकटेश्वर्लु, कोत्तुरु (गाँव), तंबोगोर सं. 28.137.191
डी.सी.पल्ली	गुब्बा बाल वेंगल रेड्डी पु/श्री राघव रेड्डी, भैरवरम (गाँव), तंबोगोर सं. 29.202.015	दोरपनेनी चेन्न केशवलु पु/श्री अंकय्या, टी.मुस्टापुरम (गाँव), तंबोगोर सं. 29.046.091

पुरस्कृत व्यापारी

क्र.सं.	संवर्ग	विवरण	पुरस्कार प्राप्त
1	2019 उत्तम तम्बाकू निर्यातक (निर्माणकर्ता निर्यातक संवर्ग)	2018-19 में अनिर्मित तम्बाकू में निर्यात में उच्चतम मूल्य	आईटीसी लिमिटेड
2	2019 उत्तम तम्बाकू निर्यातक (व्यापारी निर्यातक संवर्ग)	2018-19 में अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात में उच्चतम मूल्य	मेसर्स. पोलिशेट्टी सोमसुन्दरम
3	2019 तम्बाकू उत्पादकों के उत्तम निर्यातक	2018-19 में तम्बाकू उत्पादों के निर्यात में उच्चतम मूल्य	गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड
4	2019 उत्तम बय्यर (डीलर संवर्ग)	2018 कर्नाटका नीलामियों और 2019 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में एफसीवी तम्बाकू की अत्यधिक परिमाण खरीदी के लिए	संजीवा टोबाको ट्रेडर्स
5	एंडीवर पुरस्कार 2019	पिछले तीन वर्ष याने., 2016-17 से 2018-19 तक अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात के मूल्य में लगातार उच्चतम वृद्धि दर के लिए	कोप्परावुरी आगो प्रोडक्ट्स

पुरस्कृत कर्मचारीगण :

तम्बाकू बोर्ड तकनीकी अधिकारियों को सम्मान (प्रबंधक, प्रादेशिक प्रबंधक और नीलाम अधीक्षक)

श्री के. रवि कुमार, प्रबंधक (नीलाम)	नीलामियों और प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं के लिए अपने विख्यात और समर्पित सेवाओं के लिए
श्री सीएच.वी. मारुती प्रसाद, प्रबंधक (विपणन व निर्यात)	तम्बाकू सेक्टर से संबंधित सभी क्षेत्रों में अपने समझदारी और ज्ञान के लिए
श्री पी. रमेश, प्रबंधक (उत्पादन)	अपने किसान अनुकूल कार्य योगदान के लिए
श्री जी. उमा महेश्वर राव, प्रादेशिक प्रबंधक, ऑगोल (दकामि)	आईएनएम उपायों के कार्यान्वयन के लिए
श्री के. सुधाकर राव, प्रादेशिक प्रबंधक, ऑगोल (दहमि)	नीलामियों को शीघ्र ही समापन करने में दक्षता के लिए
श्री जी. रत्न सागर, प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री	वनीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वयन करने के लिए
श्री एस.एस. पाटिल, प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर	अपने कार्य में उत्तम निष्पादन के लिए
श्री के.वी.एस. तल्प साई, प्रादेशिक प्रबंधक, पेरियपट्टना	सीपीए को नियंत्रण करने से संबंधित अपने प्रयासों के लिए
श्रीमती पी. मीना कुमारी, प्रबंधक (वि व ले)	नकद प्रबंध उत्पाद इंटरनेट पोर्टल को कार्यान्वयन करने में अपनी परिश्रमी के लिए
डॉ. (श्रीमती) एम. कृष्णश्री, नीलाम अधीक्षक (विस्तार)	अपनी टीम की स्फूर्ति और नेतृत्व की लक्षणों के लिए

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के उत्तम तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मान

आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका
श्री एम. बाबू राव, नीलाम अधीक्षक, कन्दुकुरु-I	श्री एच.के. गोपाल, नीलाम अधीक्षक, पेरियपट्टना-I
श्री एम. शंकर राव, क्षेत्र अधिकारी, जे.आर.गूडेम-I	श्री ब्रिज भूषण, वरिष्ठ श्रेणीकरण अधिकारी - पेरियपट्टना-I
श्री एम. वी. राम मोहन राव, क्षेत्र सहायक, ऑगोल-II	श्रीमती नेत्रा कम्मर, क्षेत्र अधिकारी - एच.डी.कोटे
	श्री सिद्धराम डांगे, क्षेत्र अधिकारी, (ग्रीनरी) - पेरियपट्टना-II
	श्री सी.ए. परमेश्वरप्पा क्षेत्र सहायक - आर.एन.पुरा-I

तम्बाकू खेती में जडबीएनएफ अभ्यासों को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए विस्तार अनुभाग के डॉ. (श्रीमती) एम. कृष्णश्री, नीलाम अधीक्षक और अन्य पदाधिकारियों को विशेष पुरस्कार

टीम अधिकारियों को सम्मान

डॉ. (श्रीमती) एम. कृष्णश्री, नीलाम अधीक्षक (विस्तार)	एक दल के रूप में अपने विख्यात और समर्पित सेवाओं के लिए
श्री के.वी. रामान्जनेयुलु, नीलाम अधीक्षक (नीलाम)	
श्री जी. बुल्ली सुब्बाराव, नीलाम अधीक्षक (निर्यात)	
श्रीमती जे. सुरेखा, नीलाम अधीक्षक (उत्पादन)	
श्री एस. रामा राव, नीलाम अधीक्षक, टंगुटूर-II	
श्री ए. जीवन कुमार, श्रेत्र अधिकारी (विस्तार)	


आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में प्रशासनिक पदाधिकारियों / कर्मचारियों को सम्मान

आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका
श्री के. मल्लीखार्जुन राव, सहायक प्रबंधक (लेखा), नीलाम प्लैटफार्म सं.31, वेल्लमपल्ली-II	श्री पी.एन. कृष्णा, सहायक प्रबंधक (लेखा), नीलाम निदेशालय, बेंगलूर
श्री वाई.वी. नमशिवय्या, लेखाकार / अधीक्षक, मुख्य कार्यालय, गुण्टूर	श्री विश्वनाथ प्रसाद, लेखाकार / अधीक्षक, नीलाम प्लैटफार्म सं.04, पेरियपट्टना
श्री एच. प्रसाद राव, कंप्यूटर प्रचालक, मुख्य कार्यालय, गुण्टूर	श्री के. सुरेश, कंप्यूटर प्रचालक, नीलाम निदेशालय, बेंगलूर
श्री ए. महेन्द्र कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक, मुख्य कार्यालय, गुण्टूर	श्री गंगाधरन, उच्च श्रेणी लिपिक, नीलाम निदेशालय, बेंगलूर
श्री पी.के. सभापति, निम्न श्रेणी लिपिक, मुख्य कार्यालय, गुण्टूर	श्री रेड्डीबोयिन लक्ष्मण, निम्न श्रेणी लिपिक, कंपलापुरा
श्री जी. मुरली, वाहन चालक, नीलाम प्लैटफार्म सं.26, कन्दुकुरु-I	श्री एम. पन्नीर सेल्वम, वाहन चालक, नीलाम निदेशालय, बेंगलूर
श्री के. रवि कुमार, बहु कार्य कर्मचारी, जे.आर.गूडेम-I	श्री चामराज, बहु कार्य कर्मचारी, प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, मैसूर

31/03/2020 तक मंजूर और मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या दर्शानेवाली तालिका

क्रम संख्या	पद का नाम	कुल	
		मंजूर	मौजूदा
ग्रूप - ए - वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध			
1	अध्यक्ष	1	1
2	कार्यपालक निदेशक	1	1
3	निदेशक (नीलाम)	1	1
4	सचिव	1	1
5	प्रबंधक / प्रादेशिक प्रबंधक	10	10
6	उप प्रबंधक (लेखा)	1	0
7	नीलाम अधीक्षक / व श्रे अ	55	54
8	सहायक प्रबंधक (लेखा)	33	27
9	सांख्यिकीय अधिकारी	1	0
10	सिस्टम विश्लेषक	1	0
	उप कुल	105	95
ग्रूप - बी - मध्य श्रेणी प्रबंध			
11	प्रोग्रामर	1	0
12	हिंदी अधिकारी	1	0
13	नि.स., अध्यक्ष	1	1
14	क्षेत्र अधिकारी / तकनीकी सहायक	88	74
15	वरिष्ठ अनुवादक	1	1
16	आशुलिपिक ग्रेड - I	1	1
17	लेखाकार	33	29
18	वरिष्ठ अन्वेशक	1	0
19	सहायक	13	0
20	संख्यिकीय सहायक	1	1
21	रखवाला (केयरटेकर)	1	0
22	आशुलिपिक ग्रेड - II	3	1
23	विशेष श्रेणी चालक	1	0
	उप कुल	146	107
ग्रूप - सी - जूनियर श्रेणी प्रबंध			
24	कम्प्यूटर प्रचालक	27	21
25	आशुलिपिक ग्रेड - III	4	3
26	उ. श्रे. लि.	43	29
27	वरिष्ठ क्षेत्र सहायक	45	19
28	क्षेत्र सहायक	158	79
29	नि. श्रे. लि	52	36
30	हिन्दी टंकक	2	1
31	चालक	31	18
32	गेस्टेटनर ऑपरेटर	1	0
33	बहु कार्य कर्मचारी	140	40
	उप कुल	503	246
	महायोग	754	448

तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट




फसल योजना और नियंत्रण

I) भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ :

एफसीवी तम्बाकू उत्पादन पिछले छः वर्षों से वर्ष-प्रति-वर्ष घटता-बढ़ता जा रहा है। यह विस्तृत अस्थिरता उपज पर वातावरण का प्रभाव के साथ-ही-साथ आपूर्ति की मूल्य सापेक्षता के शब्दों में बाजार गतिशीलता आदि., को प्रतिबिम्बित करता है। एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान (याने., 2014-15 से 2018-19 तक) -6.55% और इस वर्ष 2019-20 को मिलाकर -3.16% यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज किया था।

(परिमाण मि. कि.ग्रा)



*2019-20-आकलित

II) 2019-20 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति :

तम्बाकू बोर्ड ने 2018-19 फसल मौसम के दौरान निर्धारित 236 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण को ही 2019-20 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू की खेती के लिए निर्धारित किया। 2019-20 फसल मौसम के लिए कर्नाटका राज्य के लिए 100 मिलियन कि.ग्रा. और आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए 136 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण को निर्धारित किया था।

III) 2019-20 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टतायें :

2019-20 फसल मौसम के दौरान उत्पादन नियंत्रण करने के लिए विस्तृत नीति- ढाँचा (फ्रेमवर्क) निम्नानुसार रहा है :

- अतिरिक्त (आधिक्य) और अप्राधिकृत तम्बाकू की खेती पर नियंत्रण की दृष्टि रखने के साथ उत्पाद गुणवत्ता पर केन्द्रीकरण करते हुए एफ सी वी तम्बाकू खेती (के अंतर्गत) क्षेत्र को नियंत्रण करना नीति का उद्देश्य है।
- एफसीवी तम्बाकू खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कम कराना और अन्य वैकल्पिक फसल / क्रापिंग प्रणाली के लिए परिवर्तन कराना।
- आधिक्य उत्पादन को निर्धारित परिमाण तक, जो सख्त रूप से उत्पादन को सीमित करने, ताकि ग्राहकों को उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चितता तथा भविष्य में बाजार समस्याओं को दोहराने से रोकने के लिए खूँटियों (तना) के साथ व्यावहार करना होगा।

- एफसीवी तम्बाकू खेती को, जो गुणता समस्याओं से दूर रखने लवणीय क्षेत्रों, धान-परती भूमियों और अनुपयुक्त भूमियों में अपनाने के लिए अनुमति न देना । इस क्षेत्रों को अन्य वैकल्पिक फसलों के लिए परिवर्तित कराना ।
- बोर्ड के अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ग्रायर्स, जिन्होंने अप्राधिकृत बखारों का निर्माण कर रहे हैं/किया है और अप्राधिकृत तम्बाकू की खेती को अपनाये है, के प्रति कठिन कार्रवाई प्रारंभ कराना ।

IV) 2019-20 के लिए रजिस्ट्रेशन मापदण्ड-विशिष्टियाँ :

2019-20 फसल मौसम के दौरान ग्रायर्स के लिए रजिस्ट्रेशन नवीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड रखा गया था ।

- 2018-19 फसल मौसम में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी ग्रायर्स/बखारों को वर्ष 2019-20 में, बशर्ते कि ग्रायर एक फिट बखार का मालिक हो और अपने स्वयं या पट्टे पर वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए उपयुक्त भूमि वाला हो और तम्बाकू बोर्ड अधिनियम या इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों को उल्लंघन न करने पर रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए योग्य होंगे ।
- नये बखारों के निर्माण करने के द्वारा एफसीवी तम्बाकू खेती को अपनाने कोई नये ग्रायर को अनुमति नहीं दिया जायेगा और एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए नये प्रांतों को अनुमतित नहीं किया जायेगा । (नये बखारों को निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दिया जायेगा ।)
- ग्रायर्स, जिन्होंने 2018-19 में पंजीकृत किये थे, लेकिन बकाया देय/दंड भुगतान/बखार विवादों में शामिल/अयोग्य बखारों की मरम्मत/पंजीकरण स्थानांतरण के लिए निर्धारित दस्तावेजों की प्रस्तुतीकरण आदि., के अंतर्गत हो, को रजिस्ट्रेशन नवीकरण की स्वीकृति के लिए निर्धारित तारीख के अंदर इन शर्तों को पूरा करना होगा।
- ग्रायर आवेदकों, जिन्होंने 2018-19 फसल मौसम में पंजीकृत किये थे और तम्बाकू की खेती और संसाधन के लिए सबूत के रूप में फार्म - II & III में रिटनों को प्रस्तुत किये थे, लेकिन तम्बाकू को नीलाम प्लैटफार्मों में विक्रय नहीं किये थे, को निर्धारित जुर्माना भुगतान करने के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा।
- ग्रायर आवेदकों, जिन्होंने 2018-19 फसल मौसम के लिए पंजीकृत किये थे, लेकिन 50% का कोटा या कम को विक्रय किये थे, को निर्धारित जुर्माना का भुगतान के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा।
- पंजीकृत ग्रायर, जो अपने स्वयं या अपने परिवार सदस्यों के नाम पर अप्राधिकृत बखार धारक हो, को (अपना) अप्राधिकृत बखार को डिसफन्क्शन करना होगा तथा भविष्य में इस बखार को नवीकरण न करने जैसा उल्लिखित करते हुए शपथ - पत्र प्रस्तुत करने पर, रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्रदान करने के लिए योग्य होंगे।
- ग्रायर आवेदकों, जो अनुज्ञप्ति क्यूरिंग सुविधा (बखार) के बिना आवेदन/ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्राधिकृत बखार/अयोग्य बखार/नये बखारों का निर्माण करने अनुज्ञप्ति के लिए माँग/3 वर्षों से अधिक अवधि के लिए ब्रेक-इन रजिस्ट्रेशन/क्रियाकलापों को अवरोधन, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम & विनियमों को उल्लंघन किये थे, वे 2019-20 फसल मौसम के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होंगे ।
- भारत सरकार के पत्र दि. 10/10/2019 और 25/03/2020, सं. 09/11/2016 - ई.पी. (अग्री - VI) आदेशों के अनुसार एक मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत नया बखार का निर्माण या अप्राधिकृत बखारों की नियमितीकरण के द्वारा एक प्लैटफार्म से दूसरे प्लैटफार्म को शिफ्टिंग के आधार पर बखारों की बिक्री/खरीद करने के लिए दि. 31/05/2020 (अंतिम तारीख) तक अनुमति दी ।

V) 2019-20 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्राधिकृत उत्पादन कोटा :

2019-20 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में खेती के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्रति बखार के लिए प्राधिकृत उत्पादन कोटा निम्नानुसार है :

आन्ध्र प्रदेश

मिट्टी क्षेत्र	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा./बखार)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि)	1.50	1.50	3,300	3,300
दक्षिणी हल्की मिट्टी (दहमि)	2.60	2.60	3,300	3,500
दक्षिणी काली मिट्टी (दकामि)	1.60	1.60	3,460	3,460
उत्तरी काली मिट्टी (उकामि)	1.20	1.20	2,600	2,600

* उहमि में पूहमि भी शामिल है ।

कर्नाटका राज्य

बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा./बखार)	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
सिमप्लेक्स बखार	1.30	1.30	1,750	1,750
डुप्लेक्स बखार	2.60	2.60	3,500	3,500

VI) उत्पादन नियंत्रण अभियान :

बोर्ड ने, 2019-20 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू का आधिक्य /अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए गाँवों में व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक बैठकें और सामूहिक संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा उत्पादन नियंत्रण अभियान को अपनाया। एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य / अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए ग्रोयर्स को अपील करने के लिए सार्वजनिक प्रचार साधन जैसे,



पोस्टर, कर्पत्रों का वितरण, श्रव्य-केसेटों को चलाना, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग आदि., को प्रभावी रूप से उपयोग किये गये। 2019-20 के दौरान उत्पादन नियंत्रण अभियान के एक भाग के रूप में क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक नीलाम प्लेटफार्म के लिए निर्धारित 6 औपचारिक बैठकों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश में लगभग 400 सामूहिक बैठकें और कर्नाटका में 465 सामूहिक बैठकें बोर्ड द्वारा आयोजित किये गये ।

VII) 2019-20 के दौरान पंजीकृत ग्रायर्स के विवरण :

2019-20 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 94,392.48 बखारों को कवर करते हुए कुल मिलाकर 86,467 ग्रायर्स ने बोर्ड के साथ पंजीकृत किये थे। इस में आन्ध्र प्रदेश में 39,461.48 बखारों को कवर करते हुए 44,424 ग्रायर्स ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे। एफसीवी तम्बाकू उत्पादन के लिए पंजीकृत 72,975.5 हे. क्षेत्र के लिए वास्तव में 79,293.51 हे. के क्षेत्र में रोपण हुआ था। कर्नाटका में, 54,931 बखारों को कवर करते हुए 42,043 ग्रायर्स ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये गये। कर्नाटका में एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत 71,410 हे. क्षेत्र प्राधिकृत किया गया और 80,364 हे. क्षेत्र में रोपण हुआ था।

2019-20 फसल मौसम के लिए कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत ग्रायर्स के प्लैटफार्म वार विवरण, पंजीकृत बखार और क्षेत्र, प्राधिकृत परिमाण और रोपित क्षेत्र विवरण पृष्ठ सं. 29 से 31 में दिये गये।

VIII) 2019-20 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी

2019-20 के दौरान कर्नाटका में नर्सरी के अंतर्गत बोआई क्षेत्र 666.71 हेक्टायर था, जो पिछले वर्ष की (721.57 हे.) की तुलना में 7.6% कम हुई। अधिकाधिक ग्रायर्स पौधों की अधिकाधिक सुव्यवस्थित एवं एकरूपी वृद्धि को प्राप्त करने ट्रे नर्सरी को अपनाये थे। नर्सरी की वृद्धि अच्छी रही तथा पेस्ट तथा बीमारियों से मुक्त रहा है। इस मौसम के दौरान बीजों की अपूर्ति स्थिति अच्छी रही।

कंचन एक बोया हुआ प्रधान किस्म है, जो बोया हुआ नर्सरी क्षेत्र याने., 423.40 हे. से लगभग 63.5% का हिस्सा अपना लिया। सीएच - 3 और एफसीएच - 222 संकर किस्मों क्रमशः 237.81 हे. (35.67%) और 5.50 हे. (0.83%) क्षेत्र में बोया गया।

प्रधान क्षेत्र

पिछले वर्ष की तरह, मई, 2019 महीने के दौरान समय पर प्राप्त वर्षा सभी क्षेत्रों में यथासमय प्लानटेशन को अपनाने में सहायता किया और 2019-20 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका में लगभग मई महीने में ही प्लानटेशन समाप्त हुआ। कर्नाटका में, 2019-20 के दौरान रोपित एफसीवी तम्बाकू क्षेत्र याने., पिछले वर्ष में रोपित क्षेत्र 83,696 हे. की तुलना में 3.98% क्षेत्र कम होकर कुल 80,364 हे. में रोपित हुआ। कुल रोपित क्षेत्र में लगभग 49,339 हे. (61%) कंचन किस्म के अंतर्गत रहा था, सीएच-3 (38%) के अन्तर्गत 30,734 हे. और एफसीएच-222 (1%) के अन्तर्गत 291 हे. रहा था।

कर्नाटका में फसल वृद्धि

पिछले वर्ष की तरह, इस साल फसल की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि पूरे क्षेत्र को प्रारंभ प्लानटेशन के अंतर्गत लगाया गया। अधिकांश क्षेत्र में 20 और 22 क्यूरेबुल पत्तों के साथ फसल की स्थापना संतोष जनक रही।

मैसूर, हसन और कोडगु जिलों में दि.8 से 11 अगस्त, 2019 तक प्राप्त वर्षा से नदियाँ जल मग्न होने से एच.डी कोटे, कंपलापुरा, चिलकुंदा, हुन्सूर और रामनाथपुरा क्षेत्रों बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ के कारण लगभग 935.18 हे. क्षेत्र में फसल डामेज हो गयी।



हुन्सूर प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लगातार वर्षा के कारण फसल डामेज और बखार डामेज हुई। बाढ़ प्रभावित फसल, जो मध्यम और निम्न श्रेणियों का उत्पादन और नमी से लदा पत्तियों के क्यूरिंग के कारण बखार सड़ा और अधिकाधिक हरे श्रेणियों का उत्पादन से क्यूरिंग प्रभावित हुए। गोंद प्रक्षालन के कारण पत्ता वजन कम हुई।

पेस्ट तथा बीमारियाँ

2019-20 फसल मौसम के दौरान प्रधान क्षेत्र में प्रधान पेस्ट और बीमारियों की कोई घटना नहीं की गई। सभी क्षेत्रों में तम्बाकू मोजाईक वैरस की आपतन देखी गई और ग्रोयर्स को इसकी आगे फैलाव से बचने के लिए स्वच्छता और निवारक उपायों को करने के लिए सलाह दी गई। पेरियपट्टना क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में ब्लाक वृन्त (शान्क) बीमारी और स्पोडोप्टेरा की उत्पीड़न का प्रभाव देखे गये।

फसल & क्यूरिंग

प्रति बखार के लिए औसत 6-7 क्यूरिंगों को अपनाये गये। क्यूरड पत्ता नींबू से नींबू नारंगी रंग के साथ अधिकाधिक मध्य श्रेणियों का रह गये।



पैदावार

2019-20 के दौरान पत्ता की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1,300 कि.ग्रा/हे. रहा था। 2018-19 में 23:46:31 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ विपणित 85.08 मिलियन कि.ग्रा. के विपरीत चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए क्रमशः 14:44:42 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ 106.18 मिलियन कि.ग्रा. का आकलित फसल विपणन हुआ था।

IX. 2019-20 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 के दौरान, जो पिछले वर्ष में बोया गया 402.92 हे. नर्सरी क्षेत्र के लिए लगभग 466.60 हे. के क्षेत्र में नर्सरी को अपनाया गया। इस मौसम के दौरान कोई प्रधान पेस्ट तथा बीमारियों का आपतन की रिपोर्ट नहीं मिली। सीडिलिंगों का मूल्य, दहमि और दकामि क्षेत्रों में लगभग ₹ 1,300/- से ₹ 2,000/- प्रति गठरी (6,000 सीडिलिंग) के लिए मूल्य रहा। उ ह मि क्षेत्र में प्रति गठरी का मूल्य लगभग ₹ 3,500/- तक रहा।



किस्म :

दक्षिण हल्की मिट्टियों और परंपरागत काली मिट्टी क्षेत्रों में बोया जाने वाली 'सिरी' एक प्रधान किस्म है, जो कुल क्षेत्र में लगभग 75% का हिसाब रहा है। अन्य बोया जाने वाले किस्मों में एल वी-7 किस्म (संकर), एन-98, जी-11 (हेमा) और वीटी-1158 आदि., रहे हैं। उ ह मि क्षेत्र में बोया जाने वाले प्रधान किस्म एल-7 रहा है।

प्रधान क्षेत्र :

2018-19 फसल मौसम के दौरान रोपित 76,949.92 हे. के विपरीत आन्ध्र प्रदेश में कुल 79,293.51 हे., जो 3% अधिक क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू रोपित किया गया था। प्रारंभ (15 अक्तूबर से पहले), मध्य (15 अक्तूबर से 15 नवंबर के बीच) और देरी (15 नवंबर के बाद) के अंतर्गत रोपित क्षेत्र का अनुपात क्रमशः 10:55:35 रहा था।

दक्षिणी हल्की मिट्टी, दक्षिणी काली मिट्टी और उत्तरी काली मिट्टी क्षेत्रों में कुल 61,108.85 हे. क्षेत्र में सिरी एक प्रधान बोया जाने वाला किस्म, जो कुल रोपित क्षेत्र में 99.56% का हिसाब रहा था। बाकी क्षेत्र एन-98, जी-11 (हेमा), और वीटी-1158 किस्मों के अन्तर्गत रहा था। उत्तरी हल्की मिट्टियों में एलवी-7 संकर, जो प्रधान किस्म है, लगभग 65% क्षेत्र का हिसाब रहा था। कंचन अन्य बोया जाने वाले किस्म था।

द ह मि क्षेत्र



द का मि क्षेत्र



प्लानटेशन संवर्ग	2019-20		2018-19	
प्रारंभ प्लानटेशन (15 अक्टूबर तक)	7,748.80	10%	5,695.30	7%
मध्य प्लानटेशन (15 नवंबर तक)	43,437.20	55%	43,588.30	57%
देरी प्लानटेशन (15 नवंबर के बाद)	28,107.51	35%	27,666.32	36%
कुल :	79,293.51	100%	76,949.92	100%

आन्ध्र प्रदेश में फसल वृद्धि :

उत्तर हल्की मिट्टियाँ (उहमि) फसल :

इस वर्ष उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 17,911.60 हे. क्षेत्र, जो 2018-19 में रोपित 20,288.45 हे. क्षेत्र की तुलना में 12% कम रहा था। देरी से मानसून प्रारंभ होने के कारण इस मौसम के दौरान मध्यम चरण में अधिकांश फसल लगाये गये थे। उहमि क्षेत्र में, जो कुशल श्रामिकों की कमी और प्लानटेशन फसल जैसे, काजू के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि के कारण इस फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत क्षेत्र में गिरावट आई है।

सुस्वस्थ विकास और बेहतर पत्ता विस्तार के साथ फसल की स्थिति अच्छी रही थी। गोपालपुरम प्लेटफार्म अधिकार क्षेत्र के क्षेत्रों में ओरेबान्खे उत्पीड़ना की सामान्य घटना देखी गई। पत्तों पर बेहतर चिपचिपा के विकास के कारण चमकीला श्रेणी की आऊट टर्न पिछले वर्ष के समान रहा है।

दक्षिणी हल्की मिट्टियाँ (दहमि) फसल :

इस वर्ष दक्षिणी हल्की मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 37,220.61 हे. क्षेत्र, जो 2018-19 के दौरान रोपित 34,139.20 हे. क्षेत्र की तुलना में 9% अधिक रहा था। अधिकाधिक फसल मध्य और देरी चरणों में रोपित किये गये थे। द ह मि क्षेत्र के अंतर्गत कन्दुकुरु-I, कन्दुकुरु-II और कलिगिरी के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में जनवरी, 2020 की पहली सप्ताह में संपन्न बे-मौसमीय वर्षा के कारण झूठी पकने से प्रभावित हुए थे। यह पौधा मूल क्षेत्र में वायु-मिश्रण की विक्षालन और कमी के कारण मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में पोषकतत्वों को नहीं ले सका। किसानों को झूठी परिपक्वता को नियंत्रण करने अन्तर-खेती प्रचालनों, टॉपिंग और डी-सक्करिंग आदि को आपनाने के लिए सलाह दी गयी। प्रारंभ और मध्य रोपित फसल की गुणवत्ता झूठा/तेजी परिपक्वता (पत्तियों की अधिक पकना) से प्रभावित हुई और 1 से 2 क्यूरिंग पूरे प्रभावित हुए थे।

2019-20 फसल मौसम के दौरान, दहमि क्षेत्र में फसल की स्थिति, जो पर्याप्त वर्षा के कारण चमकीला श्रेणी आऊट टर्न प्रतिशत में वृद्धि और अधिकाधिक क्यूरिंग और क्यूरबुल पत्तियों के साथ सूखा प्रभावित पूर्व फसल की तुलना में बेहतर रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस फसल मौसम के दौरान ओरेबान्खे परजीवी की उत्पीड़ना कम रहा था।

पारंपरिक काली मिट्टियाँ (टीबीएस) फसल :

इस वर्ष, दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 22,744.20 हे. क्षेत्र, जो 2018-19 के दौरान रोपित 21,025.37 हे. क्षेत्र की तुलना में 8% अधिक रहा था। इस दकामि क्षेत्र के अंतर्गत अधिकाधिक फसल मध्य और देरी चरणों में रोपित किये गये थे। जनवरी, 2020 के पहली सप्ताह में संपन्न बे-मौसमी वर्षा के कारण झूठा/तेज रैपिंग हुआ और दकामि क्षेत्र में विशेषकर टंगुदूर-I, टंगुदूर-II और कोंडेपी नीलाम प्लेटफार्मों के अंतर्गत फसल गंभीर रूप से प्रभावित हुई। ग्रोयर्स को पैदावार और गुणवत्ता में सुधार लाने टॉपिंग और डी-सककरिंग प्रचालनों को अपनाने और प्रति हेक्টার को 10 कि.ग्रा. के हिसाब से पोटाशियम नैट्रेट को छिड़काव करने के लिए सूचित किये गये। किसानों को सलाह दी गई कि जहाँ पर आवश्यकता हो, वहाँ जड़ व्यवस्था को वायु-मिश्रण से सुगम बनाने के लिए अंतर-संवर्धन प्रचालनों को करें। यह फसल पूरा डामेज हो गयी और इसे दोबारा लगाने की सलाह दी गयी थी। झूठी परिपक्वता के परिणाम स्वरूप इस वर्ष निम्न श्रेणी का उत्पादन साधारण फसल की तुलना में अधिक रहा था।

उत्तरी काली मिट्टियों में रोपित कुल 1,417.10 हे. क्षेत्र, जो पिछली वर्ष में रोपित 1,496.90 हे. क्षेत्र की तुलना में 5% कम है। इस वर्ष फसल की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी आऊटटर्न के साथ बहुत अच्छा रही है।

पैदावार :

उत्तर हल्की मिट्टी क्षेत्रों में औसत 8-9 क्यूरिंगो को अपनाये गये। दक्षिण काली मिट्टी और दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में केवल औसत 6-8 क्यूरिंगों को अपनाये गये। फसल की अनुमानित पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में अधिकाधिक प्रतिशत निम्न श्रेणियों के साथ अधिक रहे हैं। उहमि क्षेत्र में चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों के लिए श्रेणी आऊट टर्न क्रमशः 22:30:48 रहा था और दकामि क्षेत्र में क्रमशः 20:27:53 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रहा है। उकामि क्षेत्र और उहमि क्षेत्र में क्रमशः 50:30:20 और 41:39:20 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रहा है।



उपज :

2019-20 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में अनुमानित एफसीवी तम्बाकू उत्पादन 135.84 मिलियन कि.ग्रा रहा है। उहमि क्षेत्र में अनुमानित उत्पादन 41.27 मिलियन कि.ग्रा रहा है। दहमि और दकामि क्षेत्रों में अनुमानित उत्पादन क्रमशः 48.92 और 42.86 मिलियन कि.ग्रा. रहा है। उकामि क्षेत्र में 2.79 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन रहा है। दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्र में 1,314 कि.ग्रा./हे. और दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्र में 1,885 कि.ग्रा./ हे., उत्तरी हल्की मिट्टियों में 2,304 कि.ग्रा./हे. और उत्तरी काली मिट्टी में 1,969 कि.ग्रा./हे. का अनुमानित औसत पैदावार रहे थे।

X. 2019-20 के दौरान आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

आन्ध्र प्रदेश में 2018-19 फसल मौसम और कर्नाटका में 2019-20 फसल मौसम के दौरान प्राधिकृत 10% कोटा से अधिक सीमा तक पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीडों में से 5% (साधारण सेवा प्रभार 1% को मिलाकर) के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमति दिया गया। प्राधिकृत 10% कोटा सीमा से अधिक पंजीकृत ग्राहकों के द्वारा उत्पादित तम्बाकू और अप्राधिकृत ग्राहकों के द्वारा उत्पादित तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो के अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीडों में से 15% (साधारण सेवा प्रभार 1% को मिलाकर) के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमति दिया गया। यह कोटाओं को पुनः समायोजन और पंजीकृत ग्राहकों के नाम पर अतिरिक्त तम्बाकू के रूप में, जो अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री से दूर कराने में बोर्ड को सहायता दी।

XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों की प्रोन्नति :

2019-20 के लिए तम्बाकू बोर्ड के लिए प्रधान परिणाम क्षेत्र (केआरए) के अंतर्गत वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 5/2/2018 - ईपी (अग्रि -VI), दि. 20/05/2019 द्वारा के तं अ सं के साथ समन्वय से प्रधान तम्बाकू क्षेत्रों में एफसीवी तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों पर और राज्य कृषि और बागवानी विभाग, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के समन्वय से फसल विविधीकरण योजनाओं / वैकल्पिक फसल खेती को अपनाने के लिए वैकल्पिक फसलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के द्वारा वैकल्पिक फसलों को प्रमोट करने बोर्ड को निदेश दिया।



इससे संबंधित बोर्ड द्वारा लिये गये कार्रवाई निम्नानुसार है :

तम्बाकू बोर्ड आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के राज्य कृषि विभाग के समन्वय से वैकल्पिक फसलों को शिफ्टिंग करने के लिए एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों के बीच राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) के बारे में जागरूकता पैदा किया। 2019-20 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने के.त.अ. सं. और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के कृषि विभाग के सहयोग से प्रधान तम्बाकू क्षेत्र याने., आन्ध्र प्रदेश के दहमि क्षेत्र में कन्दुकुरु-I, डी.सी. पल्ली, पोदिली, दकामि क्षेत्र में कोंडेपी, वेल्लमपल्ली, ऑगोल-I & II, और टंगुदूर-I, उकामि क्षेत्र में रघुदेवपुरम और उहमि क्षेत्र में कोय्यलगूडेम और जंगारेड्डिगूडेम में और कर्नाटक राज्य के कहमि क्षेत्र के हुन्सूर, एच.डी.कोटे, कंपलापुरा, पेरियपट्टना, रामनाथपुरा क्षेत्रों में एफसीवी तम्बाकू के स्थान में अन्य अर्थिक रूप से व्यवहार्य वैकल्पिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों के लिए जागरूकता बैठकें आयोजित किये थे।

XII. प्रकाशम जिला में एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को विस्तारित फसल ऋणों को पुनः नियत करना - भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष छूट :

2018-19 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू फसल को प्रकाशम जिला के 46 मंडलों में और नेल्लुरु जिला के 15 मंडलों में कुल 54,582 हे. क्षेत्र में रोपित किये गये थे। कुल लगाये क्षेत्र में, प्रकाशम और नेल्लुरु जिलों के अंतर्गत 23,402 ग्राहकों के 39,940 हे. (73%) के क्षेत्र 33% अधिक डामेज के साथ सूखा के कारण प्रभावित हुई, जिससे बुरा क्यूरेड पत्ता गुणवत्ता के साथ कम पैदावार प्राप्त हुई।

भा.रि.बैं. ने प्रकाशम जिला में प्रभावित 40 मंडलों में 2018-19 फसल मौसम में तम्बाकू ग्राहकों को यह पुनः नियत अभ्यास को 31 जनवरी, 2020 तक समापन करने के एक शर्त के साथ फसल ऋणों को विस्तारित करने के लिए बैंकों को अनुमति दी है। अधिकाधिक ग्राहक अपने फसल ऋणों को चुका दिये केवल कम ग्राहकों ने इस सुविधा का उपयोग किये।

विवरण	गोयों की सं.			बखारों की सं.			पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)			निर्धारित फसल परिमाण(मि.कि.ग्रा.)			रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)		
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
द ह मि क्षेत्र															
पोदिली-I&II	4529	263	4792	2540.54	213.85	2754.39	6605.41	344.15	6949.56	9.55	0.79	10.34	7402.80	341	7743.80
कनिगिरी	1579	0	1579	1283.12	0.00	1283.12	3336.12	0	3336.12	4.71	0	4.71	3790.00	0	3790.00
कंदुकूरु-I	2631	676	3307	1777.93	642.25	2420.18	3943.93	1027.6	4971.53	6.10	2.06	8.16	5182.00	1593	6775.00
कंदुकूरु-II	2149	787	2936	1517.26	542.75	2060.01	3739.06	868.41	4607.47	5.43	1.87	7.30	4510.16	1048.2	5558.36
कलिगिरी	1514	54	1568	1317.22	59.75	1376.97	3424.81	95.6	3520.41	5.08	0.21	5.29	3277.85	95.6	3373.45
डी सी पल्ली	2230	0	2230	1770.53	0.00	1770.53	4603.39	0	4603.39	6.49	0	6.49	4510.00	0	4510.00
उप कुल	14632	1780	16412	10206.60	1458.60	11665.20	25652.72	2335.76	27988.48	37.36	4.93	42.29	28672.81	3077.80	31750.61
उ ह मि क्षेत्र															
तोरेडू	0	1370	1370	0.00	1450.34	1450.34	0.00	1740.44	1740.44	0.00	4.00	4.00	0.00	1417.10	1417.10
महा योग	30764	13660	44424	26548.52	12912.96	39461.48	52889.13	20086.37	72975.50	92.00	44.00	136.00	55132.21	24161.30	79293.51

आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्र वार सार

क्षेत्र	गोयर	बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)	निर्धारित फसल परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	रोपित क्षेत्र (हे.)	प्रति बरवार को पंजीकृत क्षेत्र (हे.)	प्रति बरवार कोटा (हे.)
उ ह मि	11992	13629.61	20444.72	46.00	17911.60	1.50	3300
द ह मि	18772	12918.91	32444.41	46.00	37220.61	2.60	3500
द का मि	12290	11462.62	18345.93	40.00	22744.20	1.60	3460
उ का मि	1370	1450.34	1740.44	4.00	1417.10	1.20	2600
कुल	44424	39461.48	72975.50	136.00	79293.51		

**कर्नाटका में 2019-20 फसल मौसम के दौरान नीलाम प्लैटफार्म
वार ग्रायर रजिस्ट्रेशन और रोपण विवरण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	ग्रायरों	बखारों	प्राधिकृत परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	निर्धारित फसल परिमाण (हेक्टे.)	रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)
मैसूर क्षेत्र :						
1	एच. डी. कोटे-I&II	3625	4806.00	6247.80	9.01	7950
2	हुन्सूर-I	3117	3992.00	5189.60	7.16	6050
3	हुन्सूर-II	3188	3918.00	5093.40	7.02	5770
4	हुन्सूर-III	2626	3381.00	4395.30	6.08	5475
5	कंपलापुरा	3223	4147.00	5391.10	7.53	6165
6	चिलकुंदा	4453	5879.00	7642.70	10.63	8499
	उप-कुल	20232	26123.00	33959.90	47.43	39909
पेरियपट्टना क्षेत्र :						
7	पेरियपट्टना-I	4507	6472.00	8413.60	11.92	8771
8	पेरियपट्टना-II	4677	6164.00	8013.20	11.19	8649
9	पेरियपट्टना-III	4370	5736.00	7456.80	10.37	8106
10	रामनाथपुरा-I	4625	5761.00	7489.30	10.55	7882
11	रामनाथपुरा-II	3632	4675.00	6077.50	8.54	7047
	उप-कुल	21811	28808.00	37450.40	52.57	40455
	महा योग	42043	54931.00	71410.30	100.00	80364

नोट : प्रति बखार के लिए प्राधिकृत कोटा 1,750 कि.ग्रा & प्रति बखार के लिए पंजीकृत क्षेत्र 1.30 हे.

विस्तार एवं सलाहकारी सेवाएँ

भारतीय एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इसे प्रतियोगी बनाने तम्बाकू बोर्ड विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करती है। तम्बाकू बोर्ड भी नये और बेहतर पैकेज पद्धतियों को अपनाने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को आर्थिक सहायता बढ़ा दी। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था (केतंसं), राजमहेन्द्री, राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंध संस्था (एनआईपीएचएम), हैदराबाद और तम्बाकू कंपनियों के अनुसंधान & विकास विंगों के सहयोग से योग्य और प्रशिक्षित तकनीकी क्षेत्र कर्मचारियों की विस्तृत नेटवर्क को उपयोग करने के द्वारा तम्बाकू बोर्ड किसानों को समर्थन और विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। बोर्ड के व्यापक विस्तार एवं विकासात्मक कार्यक्रमों का निम्नानुसार है :

- विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति।
- तम्बाकू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ।
- प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति :

उत्तम कृषि प्रयासों (जीएपी) के अनुसार एफसीवी तम्बाकू किसानों को फसल इनपुटों की मानक सेट को उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को विवेचित फसल इनपुट जैसे., बीज, उर्वरक और सक्करसाईड को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपना लिया है।

i) एफसीवी तम्बाकू बीज :

2019-20 फसल मौसम के दौरान, बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को के तं अ सं, राजमहेन्द्री और आई टी सी अनुसंधान डिविजन, राजमहेन्द्री के द्वारा 3,191.09 कि.ग्रा. अनुमोदित किस्मों के बीजों की आपूर्ति की।

(परिमाण (कि.ग्रा. में))

राज्य	किस्म का नाम							
	कंचन (केतंसं)	कंचन (आईटीसी)	सी एच 3	जी 11	सिरी	एफसीएच 222	बीटी 1158	कुल
कर्नाटका	675.00	667.75	604.34	0.00	0.00	174.00	0.00	2121.09
आन्ध्र प्रदेश	2.00	0.00	595.00	8.00	459.50	0.00	5.50	1070.00
कुल	677.00	667.75	1199.34	8.00	459.50	174.00	5.50	3191.09

ii) उर्वरक :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों की समिति (सीओएफ) के द्वारा बोर्ड की भागीदारी के बिना उर्वरकों की खरीद और वितरण की सुविधा प्रदान किया। यह नई प्रणाली आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 फसल मौसम के दौरान और कर्नाटका में 2018-19 फसल मौसम के दौरान विकसित हुआ था। यह नवीन प्रणाली में पंजीकृत ग्राहकों को (उर्वरकों को) अपने स्वयं प्राप्त करने और वितरण करने का अधिकार है। यह आन्ध्र प्रदेश में दक्षिणी क्षेत्रों के लिए आन्ध्र प्रदेश तम्बाकू ग्राहक सहकारी संघ लिमिटेड (एपीटीजीसीयू एल), आंगोल, जिला सहकारी विपणन सोसाइटी लिमिटेड (डीसीएमएस), आंगोल, नेल्लुरु जिला सहकारी विपणन सोसाइटी लिमिटेड, नेल्लुरु और उत्तरी क्षेत्र में जिला सहकारी विपणन सोसाइटी लिमिटेड (डीसीएमएस), एलुरु और कर्नाटका में कर्नाटका राज्य सहकारी फेडरेशन लिमिटेड मार्केटिंग (केसीएसएमएफ) की सेवाओं का उपयोग करके सफलतापूर्वक लागू किया। तम्बाकू बोर्ड ने, आपूर्ति के सभी पहलुओं में याने., माँगपत्रों और अग्रिमों के संग्रह से लेकर इनपुट ऋण व्यवस्था, तम्बाकू बोर्ड गोदामों को उपलब्ध कराना आदि में सहायता सम्पत्ति प्रदान किया था। बाहरी क्षेत्र अभिकरणों ने किसानों की समिति द्वारा दिये सहमति के अनुसार उर्वरकों के मूल्य, भुगतान की शर्तों और आपूर्ति समय सारणी के अनुसार निर्माणकर्ताओं को आपूर्ति करने के लिए आदेश रख दिये थे। बाहरी स्रोत एजेंसियों और किसानों की समिति ने राज्य कृषि विभागों की सहायता से उर्वरकों की गुणवत्ता का मोनिटरिंग किये थे।

आन्ध्र प्रदेश (एम टी) और कर्नाटका (एम टी) में आपूर्ति उर्वरकों के विवरण नीचे दिये गये थे।

आन्ध्र प्रदेश :

उर्वरक	प्रदायक	परिमाण (एम. टी)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	जीएसएफसी	1,878.05	11,877.2	223.06
	एफएसीटी	2,906.00	12,000	348.72
	उप कुल	4,784.05		571.78
डै-अम्मोनियम फास्फेट	आईपीएल	787.35	23,400	184.24
	इफको	1,169.55	23,400	273.67
	उप कुल	1,956.90		457.91
सल्फेट ऑफ पोटाश	आईपीएल	3,558.95	41,000	1,459.17
	प्लोरीस	304.60	35,000	106.61
	टीडब्ल्यू	155.15	40,000	62.06
	टीडब्ल्यू (उर्वरक-25 किलो)	659.30	41,000	270.31
	उप कुल	4,678.00		1,898.15
कालशियम नैट्रेट	जीएसएफसी	2.15	16,000	0.34
	टीडब्ल्यू (उर्वरक-25 किलो)	221.85	27,000	59.90
	उप कुल	224.00		60.24
	महा योग	11,642.95		2,988.09

कर्नाटका :

उर्वरक	प्रदायक	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अमोनियम सल्फेट	एफएसीटी	5,620.8	11,390	640.21
	जीएसएफसी	5,507.7	11,374	626.45
	उप कुल	11,128.5		1,266.65
सल्फेट ऑफ पोटाष	आईपीएल	5,900	41,760	2,463.84
	टीडब्ल्यू	5,228.5	41,000	2,143.69
	उप कुल	11,128.5		4,607.53
डै अमोनियम फास्फेट	सीआईएल	1,873.6	27,911	522.94
	एमसीएफ	1,835.9	27,911	512.42
	उप कुल	3,709.5		1,035.36
	महायोग	25,966.5		6,909.54

iii. सक्कर नियंत्रण रसायन :

उर्वरकों की आपूर्ति के लिए गठित किसानों की समिति ने सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्ति के लिए कोटेशन आमंत्रण और वेंडर मूल्य को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भाग लिया।

सीओएफ में लिये गये निर्णयों के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 फसल मौसम के दौरान मेसर्स. हाईग्रो प्लोरीस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹897/- के हिसाब से इच्छुक ग्राहकों को 53,762 लीटर सक्कर नियंत्रण रसायन और मेसर्स आई टी सी लिमिटेड ने प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹ 910/- के हिसाब से 70,155 लीटर सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्ति की हैं।

कर्नाटका वर्जीनिया तम्बाकू बेलिगररा संघ (केवीटीबीएस) के निर्णय के अनुसार 2019-20 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड - एबीडी - आईएलटीडी, गुण्टूर द्वारा प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹ 880/- के हिसाब से 84,730 लीटर परिमाण के सक्करआऊट योग्य पंजीकृत ग्राहकों को आपूर्ति की है।

II. 2019-20 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार & विकासात्मक योजनाएँ :**i. मिट्टी स्वास्थ्य की वृद्धि - हरित खाद बीजों की आपूर्ति :**

तम्बाकू की मिट्टियाँ ज्यादातर हल्की संरचना और अल्प सेन्द्रिय कार्बन से होते हैं और निरंतर तम्बाकू की खेती के कारण नैट्रोजन उपलब्ध होती हैं। अतः तम्बाकू बोर्ड ने, हरी खाद के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को सुधार करने के लिए आवश्यक कदम अपनायी हैं। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्य सरकार की कृषि विभाग के समन्वय से तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को उनके क्षेत्रों में हरित खाद की प्रथा को अपनाने के लिए मौसम से पहले ही किसानों को हरित खाद बीजों को उपलब्ध कर रही है। 2019-20 फसल मौसम के दौरान सेन्द्रिय कार्बन के साथ मिट्टियों को समृद्ध करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में 8,291.95 हे. के क्षेत्र में और कर्नाटका में 1,550 हे. के क्षेत्र में हरी खाद की फसलों को उगाया गया था।

राज्य	मिट्टी क्षेत्र	हरित खाद फसल के अन्तर्गत क्षेत्र (हे.)
कर्नाटका	कहमि क्षेत्र	1,550.00
आन्ध्र प्रदेश	उहमि क्षेत्र	3,565.00
	दहमि क्षेत्र	1,976.55
	दकामि क्षेत्र	2,750.40
	उप कुल	8,291.95
	महा कुल	9,841.95

ii. तम्बाकू की उपज व गुणता में वृद्धि :

क. संघटित पेस्ट प्रबंध अभ्यास - फेरोमेन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्राप :

संघटित कीट प्रबंध एक ऐसी अवधारणा है, जहां प्रभावी पेस्ट और रोग नियंत्रण को रासायनिक तरीकों के अतिरिक्त सभी कीट नियंत्रण विधियाँ याने., जैविक, संवर्धन, यांत्रिक और वनस्पतिक आदि., के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संघटित कीट प्रबंध का उद्देश्य है - कृषि - रसायनों के उपयोग को कम करना, अवशेषों को कम करना और पर्यावरण और मिट्टी की सूक्ष्म पेड़-पौधे और जीवों की रक्षा करना है। इस योजना के तहत, बोर्ड ने तम्बाकू क्षेत्रों में कीटों की संख्या पर निगरानी और आईपीएम योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने में सहायता देने के लिए फेरोमोन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्रापों की आपूर्ति की ।

2019-20 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में फेरोमेन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्रापों की आपूर्ति के लिए सब्सिडी बढ़ाने से संबंधित बोर्ड द्वारा उठाये गये व्यय विवरण निम्नानुसार है :

फसल मौसम	भौतिक उपलब्धि (ट्रापों की संख्या)		वित्तीय उपलब्धि (₹ लाखों में)	
	फेरोमेन ट्राप	पीला चिपचिपा ट्राप	फेरोमेन ट्राप	पीला चिपचिपा ट्राप
2019-20	29,021	19,261	3.77	0.77

ख. जैव - कीटनाशक :

आन्ध्र प्रदेश में एनआईपीएचएम, हैदराबाद के सहयोग से ग्रोयर्स को जैव कीटनाशकों की आपूर्ति की जाती है, ताकि मिट्टी जनित रोगों की घटनाओं को रोका जा सके और कीटनाशकों/कवकनाशकों के उपयोग को कम कर सकें । 2019-20 फसल मौसम के दौरान, उहमि क्षेत्र में ग्रोयर्स को 3,237 लीटर जैव-कीटनाशकों की आपूर्ति किये गये थे और सब्सिडी से संबंधित ₹ 2.25 लाख की राशि बढ़ायी गयी ।

iii. ऊर्जा संरक्षण उपाय :

तम्बाकू किसान परिवार को लाभकारी बनाये रखने और तम्बाकू खेती को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए क्यूरिंग की लागत को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उत्पादन की कुल लागत में 30% होता है। क्यूरिंग की लागत को कम करने और तम्बाकू क्यूरिंग में लकड़ी ईंधन की उपयोग से बचाने के लिए, कांच की ऊन / धान की स्ट्रा के साथ बखार छत सीलिंग और उचित वायु संचालन के लिए बखार के ऊपर टर्बो वेंटिलेटर को रखना और पारंपरिक भट्टी को वेंदुरी भट्टी से बदलना आदि., ईंधन दक्षता तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। इस उपाय से क्यूरिंग लागत में 30% की बचत सुनिश्चित होती है। पिछले दस वर्षों से बोर्ड इस ऊर्जा संरक्षण उपायों को किसानों के लाभ के लिए कार्यान्वित कर रही है। 2019-20 फसल मौसम के दौरान बोर्ड ने इस ऊर्जा संरक्षण उपायों पर ₹253.04 लाखों की राशि खर्च किये।

क. परंपरागत फर्नेस के स्थान में वेंदुरी फर्नेस (फर्नेस का संशोधित अभिकल्प) की प्रतिस्थापना के लिए योजना :

फर्नेस व्यवस्था का संशोधित अभिकल्प है-वेंदुरी फर्नेस, जो ईंधन और गर्मी स्थानांतरण का बेहतर दहन की सुविधा देती है, ताकि प्लू पाईप में सूट जमावट से बचने आक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करती है और इससे ईंधन व्यय में 15-20% तक बचत प्राप्त होती है। बोर्ड ने व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आई टी सी लिमिटेड और मेसर्स. डक्कन टोबाको एंटरप्राइजेस) के सहयोग से 2019-20 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 324 लाभभोगियों को कवर करते हुए 263 बखारों में इस योजना को लागू किया था और इन बखारों को वेंदुरी फर्नेस से रीफिट किया गया था। प्रत्येक लाभभोगी ग्रोयर्स को बोर्ड और व्यापारी वर्ग द्वारा सब्सिडी से संबंधित प्रति बखार को ₹5,000/- की राशि बढ़ा दी गई। इस योजना के अंतर्गत 2019-20 के दौरान बोर्ड द्वारा ₹ 13.15 लाख राशि खर्च हुई।

ख. बखारों को ग्लास ऊन पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ फिटिंग :

बखारों के छत के लिए ग्लास ऊन पृथक्करण के द्वारा एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण को प्रमोट करना और लाभभोगी ग्रोयर्स को सब्सिडी की राशि बढ़ाने के द्वारा बखार में मुक्त वायु संचालन के लिए टर्बो वेंटिलेटर को प्रोवैड करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना से 25 से 27% तक लकड़ी ईंधन की बचत होती है और प्रति हेक्টার के लिए लगभग ₹6,500/- तक कृषि लागत कम होती है। इसके अलावा, बखार में इन इंटरवेंशन के परिणाम स्वरूप पत्ता की कारमलैजेशन और पत्ता सोखने से बचने के द्वारा क्यूरिंग में पत्ता की गुणवत्ता में सुधार हुई। 16x16 से 16x20 और 16x24 परिमाण के प्रति बखार के लिए ग्लास ऊन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर की फिटिंग के लिए लगभग ₹23,450.76 से ₹31,588.72 प्रति बखार के लिए कुल लागत होता था।

बोर्ड ने, व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आई टी सी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मेसर्स. डक्कन टोबाको एंटरप्राइजेस) की सहायता से ₹ 5,300/- प्रति बखार के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के द्वारा इस योजना को 2019-20 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में फोकसड मोड में कार्यान्वित किया था। व्यापारी वर्ग ने वित्तीय सहायता के रूप में 50% मूल्य का योगदान दिया और बाकी 25% पृथक्करण की लागत लाभभोगी ग्रोयर्स के द्वारा अपना गयी थी। 2019-20 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 1,741 पंजीकृत ग्रोयर्स के 1,323.22 बखार पृथक्करण किये गये थे और बोर्ड ने इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की राशि के रूप में ₹ 70.13 लाख खर्च किया था।

ग्लास ऊन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ फिट्टेड क्षेत्र वार बखार विवरण निम्नानुसार है :

क्षेत्र	लाभभोगी ग्रोयर	पृथक्करण किये बखार	वित्तीय सहायता (₹ लाख)
उहमि क्षेत्र	174	165	8.74
दहमि क्षेत्र	926	661	35.01
दकामि क्षेत्र	641	498	26.38
कुल	1,741	1,324	70.13

ग. टर्बो वेंटिलेटर के साथ धान तृण छत पृथक्करण :

बखार को धान तृण पृथक्करण के माध्यम से एफसीवी तम्बाकू की क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और ग्रोयर लाभभोगियों को सब्सिडी प्रदान करने के द्वारा बखार में मुफ्त वायु परिसंचरण के लिए टर्बो वेंटिलेटर को उपलब्ध करना इस योजना का उद्देश्य रहा है। धान तृण की पुथक्करण की कुल लागत ₹15,000/- प्रति बखार होगी।

बोर्ड ने ₹ 5,000/- प्रति बखार को सब्सिडी देकर इस योजना को व्यापारी वर्ग (मेसर्स.आईटीसी) की सहायता से कर्नाटका में कार्यान्वित किया। इस तकनीकी से औसतन 30% ईंधन की बचत प्राप्त हुई।

वर्ष	कवर किये बखारों की संख्या	लाभयोगियों की संख्या	सब्सिडी ₹ लाख
2019-20	3,085	2,938	151.70

घ. “अपने ईंधन स्वयं तैयार करें” योजना - त्वरित पैदा होने वाले वृक्ष पौधों की आपूर्ति :

सतत तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) के सिद्धांतों में तम्बाकू क्यूरिंग के लिए कोयला और जलाऊ लकड़ी जैसे, गैर-टिकाऊ स्रोतों के उपयोग को समाप्त करने की विचार (परिकल्पना) की गई है। क्यूरिंग के लिए उपयोग लकड़ी को टिकाऊ लकड़ी स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और वैकल्पिक जैव-द्रव्यमान ईंधनों को भविष्य में प्रमोट किया जाना है। इस पहलू के एक हिस्से के रूप में, तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों को प्राकृतिक लकड़ी के संसाधनों को प्रभावित किये बिना स्वयं अपने प्लानटेशन को करने के द्वारा तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईंधन की आवश्यकता को सुनिश्चित करने, तेजी से पैदा होने वाले पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वास्तव में, तम्बाकू बोर्ड यह अनिवार्य बना दिया था कि तम्बाकू के सभी पंजीकृत ग्रोयरों को अपने रजिस्ट्रेशन को नवीकरण करने के लिए प्रति वर्ष कम-से-कम 10 पौधों को लगाना होगा।

कर्नाटका में, तम्बाकू बोर्ड ने उप वन संरक्षक, हुन्सूर और वन जननिक और वृक्ष प्रजनन संस्था, कोयंबतूर से प्राप्त करके 19,501 पंजीकृत ग्रोयरों को 2 लाख पौधों को मुफ्त में आपूर्ति करने की व्यवस्था की हैं और इस के लिए ₹16,27,804/- की राशि खर्च हुई।

आन्ध्र प्रदेश में ग़ोय़रों के पट्टाधार पास बुकों के आधार पर मुफ़्त में स्थानीय वन विभाग की सहायता से किसान पौधों को प्राप्त किये थे । तम्बाकू बोर्ड ने, वन विभाग से ग़ोय़रों को पौधों को व्यवस्थित करने से संबंधित ₹ 1.78 लाख परिवहन प्रभार को खर्च किया था । आन्ध्र प्रदेश में ग़ोय़र 4.50 लाख पौधों को रोपित किये थे ।

iv. पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अखंडता के लिए उपाय :

गैर - तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) का निष्कासन - कान्वास टार्पलिनों की आपूर्ति :

तम्बाकू उद्योग के लिए गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) एक संकटपूर्ण चिंता का विषय रहा है। तम्बाकू अखंडता की रक्षा करने के लिए एनटीआरएम स्रोत को निष्कासन और एनटीआरएम का पता लगाना और आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर हटाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। फार्म स्तर पर एनटीआरएम का निष्कासन करने के लिए किसानों और किसान समुदाय के साथ मजबूत साझेदारी और किसानों को निरंतर शिक्षा प्रदान करना प्रधान तत्व हैं। उत्पाद अखंडता को रखरखाव करने में स्वच्छ हांडलिंग प्रथाओं जैसे, कटाई, परिवहन, क्यूरिंग और भंडारण आदि, में एनटीआरएम से दूर रहने के प्रयास को लागू करने में एक लंबा विधान रहा है । इन दशाओं में उत्पाद की सफाई को सुनिश्चित करने के लिए एनटीआरएम से दूर रहने कटाई, परिवहन, क्यूरिंग, भंडारण और ग्रेडिंग के दौरान हरी तम्बाकू को साफ निपटाने में सहायता देने में मदद करने के लिए कर्नाटका में 2,670 ग़ोय़रों को 2,691 कान्वास टार्पलीनों और आन्ध्र प्रदेश में 2,614 ग़ोय़रों को 2,614 कान्वास टार्पलीनों को सब्सिडी लागत पर आपूर्ति की। इस योजना के अंतर्गत ₹52.98 लाख रुपये राशि खर्च हुआ था । आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में सभी संवर्ग के ग़ोय़रों को सब्सिडी के रूप में ₹1,000/- प्रति टार्पलीन/ग़ोय़र के लिए दिया गया था ।

v. बल्किंग शेड / नमूना भंडारण सुविधाएँ का निर्माण :

तम्बाकू को क्यूरिंग, ग्रेडिंग, बेलिंग कार्य समापन से लेकर विपणन के लिए तैयार करने तक अच्छी हालत में तम्बाकू को बनाये रखने के लिए ऑन-फार्म भंडारण को निर्माण करना आवश्यक है। बेहतर कृषि भंडारण सुविधाओं से किसानों को एनटीआरएम को रोकने में और “उत्पाद की सफाई” को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने ग़ोय़रों को बल्किंग शेड भंडारण सुविधाओं को निर्माण करने के लिए 2019-20 फसल मौसम के दौरान वित्तीय सहायता और वाणिज्यिक बैंकों से आवश्यक ऋण बढ़ाने के द्वारा प्रोत्साहित की थी । 2019-20 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में बल्क-शेड के परिमाण के अनुसार बल्किंग शेड का निर्माण से संबंधित प्रति यूनिट को ₹6,500/- से ₹15,000/- के हिसाब से प्रति यूनिट को वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई और इस योजना के अंतर्गत 17 बल्किंग शेड निर्माण केलिए कुल ₹2.36 लाख रुपये राशि व्यय किये गये ।

vi. पत्ता तम्बाकू में सीपीए (फसल संरक्षण एजेंट) का मोनिटरिंग और नियंत्रण :

कीटनाशियों का अव्यवस्थित उपयोग याने., कीटनाशियों को आवश्यकता से अधिक उपयोग, सिफारिश मात्राओं से अधिक मात्रा में उपयोग, कीटनाशियों की मिश्रण (एक से अधिक कीटनाशकों का मिश्रण) का उपयोग, तम्बाकू के लिए प्रतिबंधित कीटनाशियों का उपयोग या तम्बाकू के लिए नहीं सिफारिश कीटनाशियों का उपयोगिता

आदि., जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की समस्या के लिए कारण होते हैं। क्यूरेड तम्बाकू पत्ता में सीपीए अवशेषों की समस्या तम्बाकू की निर्यात संभावनों को प्रभावित करने वाले गंभीर आयाम माना जाता है, क्योंकि तम्बाकू निर्यात देशों, जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेष, जो वैधानिक अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) से नीचे होने के लिए कड़े शर्त लगाये थे। हालांकि, भारतीय तम्बाकू कम सीपीए अवशेषों के लिए माना जाता है और सीपीए अवशेषों की भविष्य समस्याओं से निपटाने के लिए कौशल योजना और कार्यवाही योजना को विकसित करने के उद्देश्य से तम्बाकू बोर्ड अनेक उपायों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही हैं।

तम्बाकू बोर्ड समस्यात्मक गाँवों, जो सीपीए हॉट स्पॉट होते हैं, को पहचान करने के लिए किसान स्तर नमूनाओं में तम्बाकू पत्ते में रहे सीपीए अवशेष परीक्षण को अपनाया है। विश्लेषण परिणामों के आधार पर, जीआरएल से ऊपर इस सीपीए अवशेष की पुनः घटना को प्रतिबंधित करने के लिए विशिष्ट केन्द्रित हॉट स्पॉट मध्यस्ता को अपनाये गये। 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने हॉट स्पॉट को पहचान करने पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की मात्राओं को मोनिटरिंग करना तदनुसार सुधारात्मक करिवाई करने के लिए एनआईपीएचएम, हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के 209 तम्बाकू पत्ता नमूनाओं को और मेसर्स. यूरोफिन्स अनलिटिकल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलूर में उहमि क्षेत्र के 186 नमूनाओं को विश्लेषण करने का कार्य अपनाया था। पत्ते के नमूनाओं के विश्लेषण के लिए ₹36.19 लाख व्यय हुआ था।

फसल मौसम	आं.प्र. / कर्नाटका	विश्लेषित नमूनाओं की संख्या	उठाये व्यय (₹)	विश्लेषित केंद्र
18-19	आं.प्र.	98	11,56,400.00	एनआईपीएचएम
18-19	आं.प्र.	186	11,52,900.00	यूरोफिन्स
19-20	कर्नाटका	111	13,09,800.00	एनआईपीएचएम
कुल		395	36,19,100.00	

ड) निकोटिन, शक्कर और क्लोरेड के लिए तम्बाकू पत्ता का पत्ता रसायन विश्लेषण :

निकोटिन, शक्कर और क्लोरेड को निर्धारण करने के लिए तम्बाकू बोर्ड ने हर फसल मौसम में तम्बाकू पत्तों के विश्लेषण भी कराती है, ताकि विशेष मौसम के दौरान उगाये गये पत्ता की गुणवत्ता निर्धारण और फसल रसायन की स्थापना हो सके। 2019-20 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ प्रारंभ होने से पहले आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी प्लेटफार्मों से एकत्रित 249 पत्ते नमूनाओं का विश्लेषण, जो पत्ता तम्बाकू में रासायनिक संघटकों को निर्धारण करने के लिए केतंसं. राजमहेन्द्री में विश्लेषण कराया था। इस लेखा के अंतर्गत ₹ 5.87 लाख कुल व्यय किये गये।

फसल मौसम	आं.प्र./ कर्नाटका	विश्लेषित नमूनाओं की संख्या	उठाये व्यय (₹)	विश्लेषित केंद्र
18-19	आं.प्र.	138	3,40,548.00	सीटीआरआई
19-20	कर्नाटका	111	2,46,987.00	सीटीआरआई
कुल		249	5,87,535.00	

III. 2019-20 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने बोर्ड द्वारा अपनाये गये पहलू :

i. तम्बाकू की खेती में प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना :

विश्व भर में, ग्राहकों के निरंतर बढ़ते हुए चिंताओं को दृष्टि में रखते हुए सुरक्षित तम्बाकू उत्पादन के लिए स्थायी तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) के लिए तम्बाकू ग्राहक आग्रह रहे हैं। स्थायी खेती में एक भाग के रूप में प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा, जो मिट्टी की सूक्ष्म जैविक गतिविधियों में सुधार करके मिट्टी कार्बनिक सामग्री को समृद्ध करने में मदद कर सकता है। यह खेती की प्रणाली पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल और कम इनपुट प्रभावी है। यह प्रणाली प्राकृतिक संसाधन जैसे, मिट्टी और पानी की रक्षा करती है। इस प्रणाली में रसायनिक उर्वरकों और रसायनिक फसल सुरक्षा एजेंटों की अनुपयोग से कीटनाशी अवशेष मुक्त तम्बाकू को उत्पादन करने में मदद मिलेगी और लागत बचत करने में भी मदद मिलेगी।

अतः तम्बाकू बोर्ड ने 2019-20 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी मिट्टी क्षेत्रों में एफसीवी तम्बाकू खेती में तम्बाकू ग्राहकों को प्राकृतिक खेती के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए, ग्राहकों के क्षेत्रों में परीक्षणों को अपनाया है। प्रत्येक नीलाम प्लैटफार्म में एक प्लॉट के हिसाब से आन्ध्र प्रदेश में 18 नीलाम प्लैटफार्मों में **इच्छुक 82 ग्राहकों** के क्षेत्रों में और कर्नाटका में 11 नीलाम प्लैटफार्मों में **12 ग्राहकों** के क्षेत्रों में यह परीक्षण किये थे। फसल विशेषज्ञों द्वारा विकसित और अपनाये जडबीएनएफ प्रथाओं को अनुसरण करते हुए, एफसीवी तम्बाकू उगाने के लिए **आन्ध्र प्रदेश में 325 एकड़ों में और कर्नाटका में 35.25 एकड़ क्षेत्र** में अपनाया था। आगे, एफसीवी तम्बाकू में जडबीएनएफ कृषि को वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए गुण्डूर, जीलुगुमिल्ली और कन्दुकुरु के केतंसं अनुसंधान केन्द्र में भी इसी प्रकार के ट्रायल प्लॉट को अपनाये गये थे। ग्राहकों, जिन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाये थे, को प्रति ग्राहक को ₹ 5,000/- और आर्गनिक इनपुट संबंधित ₹ 10,000/- नकद प्रोत्साहन बढ़ाये गये।

नियंत्रण प्लॉटों की वृद्धि, पत्ता विस्तार, कीट प्रतिरोध, चमकीला श्रेणी आऊट टर्न और सुगंध आदि., के संदर्भ में सामान्य (अकार्बनिक) क्षेत्रों के साथ जडबीएनएफ फसल की तुलना करने के लिए मौजूदा समरूप किस्मों के साथ चयन किये गये थे। नियंत्रण प्लॉट की तुलना में जडबीएनएफ प्लॉट उत्तम वृद्धि दर्ज की। पत्ता विस्तार अकार्बनिक क्षेत्रों की तरह अच्छी रही है। रंग समृद्ध है और क्यूरेड पत्ता में सुगंध अच्छी रही और सामान्य फसल से बेहतर रही है। जडबीएनएफ प्लॉटों में फसल पर प्राकृतिक रूप से फुहार के साथ कीटों तथा बीमारियों के बिना पूरी नियंत्रण में रहे गये। पैदावार भी सामान्य क्षेत्रों के बराबर रही है और नियंत्रण प्लॉटों की तुलना में जडबीएनएफ प्लॉटों में चमकीला श्रेणी तम्बाकू की प्रतिशत अधिक है।

ii. तम्बाकू प्लानटेशन में 365 दिन हरित क्षेत्र :

जलवायु परिवर्तन, कार्बन पृथक्करण, मिट्टी की अवक्रमण को रोकने के द्वारा फसल उत्पादन को बनाये रखने के लिए प्रयासों को आगे बढ़ाने तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू फार्मिंग में “365 दिन हरित क्षेत्र” को प्रारंभ की है। इस अवधारणा को कम उत्पादकता, सूखा पीड़ित तम्बाकू उगाने वाले गाँवों में प्राकृतिक खेती मोड के अंतर्गत मिट्टी सूक्ष्म बयोम और मिट्टी रासायनिक कार्बन विषय को बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। यह ‘365 दिन हरित क्षेत्र’ एक निरंतर फसलों जैसे, फली, बाजारा और दालों, जो तम्बाकू के अलावा कम इनपुट की आवश्यकता है, को सभी 365 दिनों में अपनाया जाता है। यह प्रणाली वर्षा के प्रारंभ में पारंपरिक बोआई के स्थान में वर्षा प्रारंभ से पहले हरी खाद बीजों की ‘सूखा-बुआई’ को अपनाने के द्वारा सूखा परिस्थितियों में भी निरंतर फसल को सुनिश्चित करता है।

यह प्रणाली, मिट्टी स्वास्थ्य को बनाया रखता है और तम्बाकू श्रमिकों को पूरे वर्ष में नियमित रूप से आय प्राप्त होने में सुविधा भी देती है, जिससे बाजारों की जोखिमों कम होता है, और पूरे किसानों का समग्र लाभ की सुनिश्चितता होती है ।

iii. अवशेष मुक्त तम्बाकू उत्पादन :

दुनिया भर में, बढ़ती हुई स्वास्थ्य चिंताओं के सम्बन्ध में, क्यूरेड तम्बाकू में हानीकारक पदार्थ जैसे., कीटनाशक अवशेषों और नमनशील टोबाकोस के उत्पादन को कम करना एक उभरती हुई आवश्यकता है। मार्गदर्शन अवशिष्ट स्तर (जीआरएल) के नीचे सीपीए अवशेषों को कम करना ध्यान केन्द्रित किये जाने वाले गंभीर क्षेत्रों में से एक हैं ।

2019-20 फसल मौसम के दौरान बोर्ड ने उत्पाद की अखंडता में सुधार लाने, पत्ता की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और कीटनाशक अवशेषों को नियंत्रण करने बड़े पैमाने पर अभियान चलाये थे । बोर्ड ने, 90 सम्भाव्य गाँवों, जहाँ उहमि में 80% फसल आने वाला है, से 184 पत्ता नमूनाओं को कलेक्ट किये थे और इसे यूरोफिन्स अनलिटिकल सर्विसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड, बेंगलूर में विश्लेषण करवाये थे ।

किसानों द्वारा 100% पेंडिमेथालीन अवशेष मुक्त तम्बाकू उत्पादन (कोरेस्टा के जीआरएल के अनुसार) और 2 पीपीएम से कम कार्बोन्डिजम कीटनाशक की 98.90% अवशेष मुक्त तम्बाकू उत्पादन करके बड़ी उपलब्धि प्राप्त किये हैं ।

iv. हरित क्षेत्र की वृद्धि :

तम्बाकू बोर्ड ने, कार्बन पृथक्करण, जलवायु परिवर्तन शमन और जैव-विविधता में सुधार जैसे., प्रधान मुद्दों को पता लगाने के लिए अपनी हरित ड्राईव पहलुओं में एक भाग के रूप में हरित क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केन्द्रित कर रही है । तम्बाकू बोर्ड ने पूरोगामी उपक्रम जैसे., 'अपने ईंधन स्वयंम रैज करे कार्यक्रम', सामूदायिक वृक्षारोपण, गाँवों में हरियाली का विकास जैसे., पहलुओं में सभी पणधारियों को शामिल करके हरित क्षेत्र (कवर) को स्वेच्छिक पुनःपूर्ति के द्वारा गाँव के सार्वजनिक प्रांतों में हरित क्षेत्र को सुधार करने के लिए बढ़ावा दे रही है । सामूदायिक प्लानटेशन के अंतर्गत 2,44,990 संख्या के पौधों को गाँवों के आस-पास, गाँवों के जिला परिषद स्कूल परिसरों में लगाये गये।

IV. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण :

तम्बाकू बोर्ड किसानों को व्यक्तिगत संपर्कों, सामूहिक बैठकों, किसान प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट-सह-अध्ययन यात्रा, कार्यशाला, ऑन फार्म टूरों / परिणाम प्रदर्शन और नमूना परियोजना क्षेत्र योजनाओं के द्वारा समय पर फसल सूचनाओं और नवीनतम प्रौद्योगिकी को स्थानांतरण करने द्वारा सफलता पूर्वक तम्बाकू विकसित करने में मदद कर रही है ।

1. किसानों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम :

किसान समुदाय को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना यह विस्तार अभिकल्पना और योजना के सबसे बड़े महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है । इससे नवीनतम तकनीकी का ज्ञान, नेतृत्व का विकास और व्यवहार परिवर्तन आदि., का स्थानांतरण और उपयोग की अपार संभावनाएं प्राप्त होते हैं । इस प्रकार की प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और सतत आवश्यक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण

किसानों को तम्बाकू की खेती में अच्छी कृषि पद्धतियों को लागू करने में कुशल बनाता है, जिससे स्थिरता सुनिश्चित होती है। विस्तार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ क्षमता, व्यावसायिकता और सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत जरूरी है।

इसको दृष्टि में रखते हुए, जो पिछले फसल मौसमों में किया गया था, के अनुसार तम्बाकू बोर्ड ने 2019-20 फसल मौसम के दौरान सीड बेड की तैयारी से लेकर पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध तक होने वाले विभिन्न फसल चरणों में ग्रोयर्स और क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया था।

- बोर्ड ने, 2019-20 फसल मौसम में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों के किसानों को सभी मिट्टी क्षेत्रों में उत्तम कृषि प्रथाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए नर्सरी प्रबंध से लेकर फसल की कटाई, क्यूरिंग और ऑन-फार्म भंडारण तक रहे फसल वृद्धि के विभिन्न चरणों में किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।
- एनआईपीएचएम, हैदराबाद में ग्रोयर्स और बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों को कीट निगरानी, पेस्ट नियंत्रण और समेकित पेस्ट प्रबंध (आईपीएम) की विकसित अवधारणाओं, जीव-नियंत्रण एजेंट और मैक्रोबाईल जैव कीटनाशियों की फार्म उत्पादन पर आन्ध्र प्रदेश में निम्नानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण	व्यक्तियों की संख्या	अवधि
जीव-एजेंटों का उत्पादन पर ऑफ-काम्पस प्रशिक्षण	56	30/11/2019
जीव-एजेंटों का उत्पादन पर ऑफ-काम्पस प्रशिक्षण	95	31/10/2019
संघटित मिट्टी पोषकतत्व & रिजोस्फेयर प्रबंध पर बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों को ऑन-काम्पस प्रशिक्षण	15	09/12/2019 to 16/12/2019 & 03/02/2020 to 10/02/2020

- आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में ग्रोयर्स/कर्मचारियों को तम्बाकू बोर्ड द्वारा कुल 216 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 11,113 प्रतिभागियों (ग्रोयर/कर्मचारी) भाग लिये थे।

उहमि क्षेत्र में सीपीए अवशेषों के नियंत्रण की दिशा में किये गये विस्तार कार्यक्रम - कार्यान्वित किये गये कार्य योजना :

- प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री द्वारा एक प्लोर स्तर की समिति, जिसमें संबंधित नीलाम अधीक्षक, दो व्यापारी सदस्य, दो ग्रोयर सदस्य, संबंधित क्षेत्र अधिकारी और क्षेत्र सहायक आदि., सदस्य होंगे।
- यह समिति फसल में कीटनाशकों के उपयोग की निगरानी करती है और किसानों को तम्बाकू में कीटनाशकों के अनावश्यक उपयोग से बचने के लिए सूचना देती है।
- नीलामी अधीक्षकों ने नवंबर, 19 महीने की तृतीय सप्ताह से दिसंबर, 19 महीने की पहली सप्ताह तक सीपीए के मुद्दों पर केन्द्रीत करते हुए ग्रामीण स्तर जागरूकता बैठकें आयोजित किये थे।
- तम्बाकू में कीटनाशक अवशेषों के दुष्प्रभावों पर और सिफारिश कीटनाशकों और विभिन्न पेस्ट तथा बीमारियों के नियंत्रण के लिए डोसेजों के साथ नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में सूचना देने वाले विज्ञापितियों (हान्ड बिलों) को तैयार किये गये और ग्रोयर्स को वितरित किये गये।
- प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्रोयर्स को तम्बाकू में सिफारिश नहीं किये गये कीटनाशकों का उपयोग नहीं करने और कार्बोन्डिजम, डाइथियोकार्बोनेट्स और पेंडिमिथालीन को उपयोग करने से दूर रहने के लिए अपील किया गया था।

- प्रत्येक नीलाम प्लोर में और 90 पहचानित गाँवों में कार्बोन्डिजम, डाईथियोकार्बोमेड्रस और पेंडिमिथालीन आदि., के उपयोग से दूर रहने प्लेक्सी द्वारा ग्रोयर्स को अपील किये गये ।
- ग्रोयर्स को सीपीए की प्रबंध पर पोस्टर/करपत्रों के रूप में, जिसमें कीट की आर्थिक अवसीमा (थ्रेशोल्ड) स्तर और पूर्वपैदावार अन्तराल की अवधि आदि., पर प्रचार सामग्री आपूर्ति किये गये ।
- कीट नियंत्रण उपायों को सूचना पट्ट में प्रदर्शित किये गये और ग्रोयर्स की एकत्रित स्थानों में इसे रखे गये ।
- तम्बाकू में कीटों को नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक की दुकानों को सिफारिश कीटनाशकों के विवरण पर फ्लेक्सियों को प्रदान किये गये थे ।
- उहमि क्षेत्र में सीपीए अवशेष समस्या पर चर्चा करने देवरपल्ली नीलाम प्लैटफार्म में दि. 18/12/2019 को उहमि क्षेत्र के ग्रोयर्स और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित किया गया । इस बैठक की अध्यक्षता श्री ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., सचिव, तम्बाकू बोर्ड ने की ।
- बैठक के दौरान, ग्रोयर्स को उहमि क्षेत्र में सीपीए अवशेष समस्या पर बताये गये और समस्या को दूर करने के लिए उपायों को बताये गये । उहमि क्षेत्र के सभी प्लैटफार्मों से 250 ग्रोयर इस बैठक में भाग लिये । इस बैठक को आयोजित करने के लिए प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री द्वारा ₹ 67,116/- की राशि व्यय हुई ।

2. कार्यशाला :

आन्ध्र प्रदेश :

- प्रादेशिक प्रबंधक, दकामि क्षेत्र द्वारा दहमि/दकामि क्षेत्रों के सभी ग्रोयर्स को कवर करते हुए दि. 9 जनवरी, 2020 और 24 जनवरी, 2020 को के.तं.अ.सं. - अनुसंधान केन्द्र, कंदुकूरु में एक कार्यशाला आयोजित किया गया । इस कार्यशाला में, ग्रोयर्स को नये तम्बाकू बीज किस्मों, ओरेबान्खे नियंत्रण उपाय, ग्रीष्म जोतना, उर्वरक प्रयोग, अंतर कृषि, संघटित पोषकतत्व प्रबंध और संघटित पेस्ट प्रबंध पर जोर दिये गये । उक्त कार्यशाला को आयोजित करने के लिए प्रादेशिक प्रबंधक, ऑगोल (दकामि क्षेत्र & दहमि क्षेत्र) को ₹25,270/- की राशि खर्च हुई ।
- प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री ने उहमि क्षेत्र के ग्रोयर्स के लिए दि. 30 सितम्बर, 2019 को केतंसं, अंके, जीलुगुमिल्ली में 'तम्बाकू में सीपीए और एनटीआरएम को कम करने उत्तम कृषि प्रयासों' के विषय पर कार्यशाला आयोजित किया । इस कार्यशाला में आर्गानिक फार्मिंग को परिवर्तन, 365 दिन ग्रीन कवरेज, पूर्व प्लानटेशन (15 अक्टूबर से पहले), रसायनिक पेस्टिसाइडों के स्थान में जीव-पेस्टिसाइडों का उपयोग और ओरेबान्खे नियंत्रण पर सुझाव दिये गये । उक्त कार्यशाला आयोजन करने के लिए ₹43,094/- की राशि खर्च हुई ।

कर्नाटका :

- प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर ने कर्नाटका के ग्रोयर्स के लिए दि. 31/07/2019 को के.तं.अ.सं, हुन्सूर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें के.तं.अ.सं. से विशेषज्ञ, व्यापार प्रतिनिधियों और बोर्ड के कर्मचारी भाग लिये और इस कार्यशाला में 95 ग्रोयर भाग लिये । इस कार्यशाला को संचालन करने के लिए प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर को ₹39,942/- की राशि खर्च हुई । कार्यशाला के दौरान ग्रोयर्स को उत्तम कृषि प्रयासों, उर्वरकों का सही प्रयोग, शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग, पेस्ट तथा रोग प्रबंध और वैकल्पिक फसलों पर सूचना दिये गये थे ।

किसान अनावरण विजिट-कम-अध्ययन यात्रा :

i) कर्नाटका के ग्राहकों को अध्ययन यात्रा :

क. कर्नाटका के ग्राहकों को उहमि क्षेत्र में जडबीएनएफ खेती की प्रत्यक्षदर्शी के लिए अध्ययन यात्रा :

कर्नाटका के ग्राहकों को एफसीवी तम्बाकू में जडबीएनएफ की खेती को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में बताने के लिए आन्ध्र प्रदेश को एक अध्ययन यात्रा की व्यवस्था की गई थी। यह यात्रा 12 फरवरी से 13 फरवरी, 2019 तक उहमि क्षेत्र में आयोजित किया गया था। कर्नाटका के ग्राहकों ने उहमि क्षेत्र के ग्राहकों के साथ, जो 2018-19 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू की खेती में जडबीएनएफ प्रथाओं को अपनाये थे, से बातचीत किये थे। आन्ध्र प्रदेश के ग्राहकों द्वारा जडबीएनएफ खेती में अनुसरण पैकेज प्रथाओं के बारे में बताये गये।

पश्चिम गोदावरी जिला संबंधित जडबीएनएफ के रिसोर्स व्यक्ति, कृषि विभाग के साथ एक पारस्परिक बैठक व्यवस्थित किये गये थे और ग्राहकों को जडबीएनएफ खेती का प्रधान उद्देश्य याने., प्राकृतिक साधनों के उपयोग के साथ प्राकृतिक फार्मिंग को प्रोत्साहन और रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइडों उपयोग नियंत्रण आदि., के बारे में बताये गये।

इस अध्ययन यात्रा आयोजन करने के लिए ₹ 2,72,421/- की राशि खर्च हुई।

ख. कर्नाटका के ग्राहकों को बीआईईसी, कृषिमेला और राष्ट्रीय बागबन प्रदर्शनी, 2020 को अध्ययन यात्रा :

प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर और पेरियपट्टना द्वारा कर्नाटका के ग्राहकों को i) दि. 30/08/2019, 31/08/2019 को बीआईईसी, बेंगलूर में अग्रिटेक-19, ii) दि. 25/10/2019 को कृषि मेला, जीकेवीके, बेंगलूर, iii) दि. 07/02/2020 को राष्ट्रीय बागबन प्रदर्शनी, 2020, हेसरगट्टा आदि., को अध्ययन यात्रा कराये गये। इस अध्ययन यात्राओं में 594 ग्राहकों भाग लिये। ग्राहकों को फार्म मशीनरी, जल प्रबंध, तकनीकी (ड्रिप सिंचाई), संघटित फार्मिंग प्रणाली, आर्गानिक फार्मिंग आदि., को कवर करते हुए नई तकनीकियों के बारे में अवगत कराये गये। अध्ययन यात्रा आयोजन करने के लिए प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर और पेरियपट्टना को ₹ 4.38 लाख रुपये की राशि खर्च हुई।

ii) आन्ध्र प्रदेश के ग्राहकों के लिए अध्ययन यात्रा :

क. प्रकाशम जिला में 365 दिनों के हरित कवर का अध्ययन करने के लिए यात्रा :

प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री द्वारा यर्रगोंडपालेम, प्रकाशम (जिला) में 365 दिनों के हरित कवर प्लॉट को देखने के लिए एक अध्ययन यात्रा आयोजित किया गया था। ग्राहकों को 365 दिन के हरित कवर प्लाटों में की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताये गये।

ग्राहकों को बागबनी की फसलें जैसे., ताईवान गुवा, नीम्बू, कस्टर्ड सेब, अनार आदि., के बारे में भी दिखाये गये।

ख. एनओएपी, विजयवाडा को अध्ययन यात्रा :

प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री द्वारा दि. 04/10/2019 को राष्ट्रीय आर्गानिक कृषि उत्पादन (एनओएपी), विजयवाडा में भाग लेने के लिए एक अध्ययन यात्रा आयोजित किया। इस अध्ययन यात्रा में 33 ग्राहक भाग लिये। ग्राहकों को बेहतर कीमतों और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की वृद्धि लाने के लिए आर्गानिक फार्मिंग को विकल्प के रूप में चुनने के बारे में जानकारी दी गयी।

ग. 2019-20 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश के सभी नीलाम अधीक्षकों ने विभिन्न प्रान्तों को याने., कृषि अनुसंधान केन्द्र, बागबनी अनुसंधान केन्द्र, प्राकृतिक फार्मिंग संसाधन यूनिट, आर्गानिक क्षेत्र और विभिन्न थ्रेशिंग प्लांटों आदि., को अध्ययन यात्रा आयोजित किये थे । आन्ध्र प्रदेश में 36 अध्ययन यात्राओं को आयोजित किये गये इसमें 846 ग्रोयर भाग लिये । इस अध्ययन यात्राओं को आयोजित करने ₹ 5.08 लाख की राशि खर्च हुई ।

iii) आग्रोविजन, नागपूर को अध्ययन यात्रा :

इस अध्ययन यात्रा में दो पदाधिकारियों और 5 ग्रोयरों भाग लिये । उन्होंने कृषि, बागबान, सिंचाई, पौल्ट्री और पशुपालन, डेयरी वर्मी कंपोस्ट के विभिन्न स्टॉलों को विजिट किये । उन्हें अनुसंधान केन्द्र में नीम्बू-वंश के जेम प्लास्म का सम्पोषण, जल प्रबंध और स्पेयरों, मक्का कॉब थ्रेशर, छेद डिग्गरो आदि., के बारे में बताये गये । उन्होंने आर्गानिक फार्मिंग, ग्रीन हाऊस, डायरी, मक्खी पालन और सरीकल्चर आदि., पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिये ।

iv) ग्रोयरों को पुरस्कार :

तम्बाकू (फसल) की उत्तम गुणवत्ता और उपज प्राप्त करने में ग्रोयरों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के प्रत्येक नीलामी प्लैटफार्म में से दो ग्रोयरों को दि. 03 जनवरी, 2020 को संपन्न स्थापना दिवस के सुअवसर पर सम्मानित किये थे । ग्रोयरों को प्रशंसात्मक उल्लेख और ₹5000/- नकद पुरस्कार के साथ सम्मानित किये गये ।

v) प्रचार सामग्री :

2019-20 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने 'एफसीवी तम्बाकू की खेती में प्राकृतिक फार्मिंग के तरीकों' पर 200 अंग्रेजी ब्रोचर बहुरंगीन में और 'अपने इंधन स्वयं रैज करे' पर 22,000 बहुरंगीन करपत्रों और 'एनटीआरएम उन्मूलन और उत्पाद अखंडता' पर 15,500 तेलुगु ब्रोचर बहुरंगीन मुद्रित करके ग्रोयरों को वितरित की ।

vi) क्षेत्र मित्र दल :

तम्बाकू की खेती के विभिन्न पहलूओं पर ग्रोयरों को समय पर सलाह और सुझाव देने के त.अ.सं., से विशेषज्ञों, मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड और मेसर्स. जीपीआई लिमिटेड के क्षेत्र कर्मचारी दल और बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के साथ क्षेत्र मित्र दलों को स्थापित किये । क्षेत्र मित्र दल अपनी यात्राओं के दौरान सभी क्षेत्रों के साधारण फसल स्थिति का निरीक्षण करेगा और फसल स्थिति को सुधार करने के लिए अपनाये जाने वाली विशिष्ट मध्यस्थताओं पर बोर्ड के विस्तार कर्मचारियों और ग्रोयरों को सूचित करेगा ।

vii) ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण :

तम्बाकू बोर्ड ने, शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग पर ग्रोयरों के क्षेत्रों में 'ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण' को कार्यान्वित किया था ।

2019-20 फसल मौसम के दौरान, कर्नाटका में @ 1 ट्रयल प्लाट/प्रति नीलाम प्लैटफार्म के हिसाब से 11 ऑन-फार्म ट्रयल प्लाटों में और आन्ध्र प्रदेश में 82 ग्रोयरों के क्षेत्रों में ऑन-फार्म ट्रयल प्लाटों को अपनाये थे । प्राकृतिक फार्मिंग के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में 325 एकड़ों के क्षेत्र को और कर्नाटका में 35.25 एकड़ों के क्षेत्र को कवर किया था । तम्बाकू बोर्ड ने, कर्नाटका में इस योजना को कार्यान्वयन करने के लिए ₹ 1.99 लाख और तम्बाकू संवर्धन में जडबीएनएफ का कार्यान्वयन से संबंधित आन्ध्र प्रदेश में ₹ 11.74 लाख की राशि खर्च की ।

viii) नमूना परियोजना क्षेत्र :

बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश के 18 गाँवों में और कर्नाटका के 11 गाँवों में कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं को अपनाने इन गाँवों में रहे किसानों को प्रोत्साहित करने, एक केंद्रित तरीके से नमूना परियोजना क्षेत्र को कार्यान्वित किया था। मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, डक्कन टोबाको कंपनी और आलियन्स वन इंडिया लिमिटेड भी इस एमपीए गाँवों में विकासात्मक गतिविधियों को करने में शामिल रहे थे।

2019-20 के दौरान विस्तार & विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय :

2019-20 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹532.40 लाख कुल व्यय खर्च किये थे।

(₹ लाखों में)

विस्तार योजनाएँ	2019-20
तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता की वृद्धि	165.96
क्यूरिंग प्रयासों की वृद्धि	253.04
एनटीआरएम का निष्कासन और उत्पाद अखंडता	52.98
पोस्ट-हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध	2.37
किसानों प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम	34.45
ऑन-फार्म परीक्षा & प्रयोगात्मक परीक्षण	13.75
नमूना परियोजना क्षेत्र	9.86
कुल	532.41

योजना वार भौतिक / वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ पृष्ठ सं. 48-50 में दिये गये।

विस्तार और विकास की गतिविधियाँ



श्री वाई. रघुनाथ बाबू, अध्यक्ष द्वारा प्रधान क्षेत्र में प्लानटिंग



श्री वाई. रघुनाथ बाबू, अध्यक्ष का प्रधान क्षेत्र विजिट



एफसीवी तम्बाकू में संघटित पेस्ट प्रबंध



कोय्यलगूडेम नीलाम प्लैटफार्म में ग्रोयर्स को बयो-पेस्टिसाईडों की गुणन पर प्रदर्शन



प्लान्ट होल डिग्गर उपयोग करके वृक्ष सापलिंग प्लानटेशन



एफसीवी तम्बाकू में क्यूरिंग, सीपीए अवशेष और एनटीआरएम निष्कासन में विकसित पद्धतियों पर देवरपल्ली में व्यापारी और ग्रोयर प्रतिनिधियों के साथ बैठक



प्राकृतिक फार्मिंग गाढ़ा की तैयारी



एफसीवी तम्बाकू थ्रेशिंग प्लान्ट को ग्रोयर अध्ययन यात्रा कार्यक्रम

2019-20 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ
भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों की संख्या			भौतिक उपलब्धि			वित्तीय उपलब्धि (₹ लाख)		
		आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल
1	एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता वृद्धि करना									
क	पेस्टिसाईड और रासायनिक अंशीभूतों के लिए पत्ता विश्लेषण	422	222	644	422	222	644	26.50	15.57	42.07
ख	संघटित पेस्ट प्रबंध पद्धतियाँ									
ख 1	फोरोमेन ट्राप	1325	0	1325	29021	0	29021	3.77	0.00	3.77
ख 2	पीला चिपचिपा ट्राप	1346	0	1346	19261	0	19261	0.77	0.00	0.77
ग	ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति	2109	6219	8328	863184	1384680	2247864	36.59	75.31	111.90
घ	बयो-पेस्टिसाईडों की आपूर्ति	1255	0	1255	4286	0	4286	2.96	0	2.96
ङ	गेंदा (मारीगोल्ड) बीजों की आपूर्ति	4878	0	4878	599100	0	599100	4.49	0	4.49
	उप कुल	11335	6441	17776				75.08	90.80	165.96
2	क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि									
क	ऊर्जा संरक्षण उपाय (ग्लैस वूल छत पृथक्करण, वेंचुरी फर्नेस और पेदी स्ट्रा छत पृथक्करण)	2065	2938	5003	1587	3085	4672	83.28	151.70	234.98
ख	तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईंधन को रैज करना (पौधों की संख्या)	456000	200000	656000	1.78	16.28	18.06
	उप कुल	2065	2938	5003				85.06	167.98	253.04
3	एनटीआरएम का निष्कासन और टार्पलीनों की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	2614	2670	5284	2614	2691	5305	26.69	26.29	52.98
4	पी एच पी एम उपाय बल्किंग शेड/मोडल स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण	17	0	17	17	0	17	2.37	0.00	2.37
5	अन्य विकासात्मक कार्यक्रम									
क	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण									
i	कार्यशाला	702	95	797	4	1	5	1.38	0.40	1.78
ii	नीलाम अधीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	5632	3634	9266	108	66	174	2.94	2.14	5.08
iii	एनआईपीएचएम में अधिकारियों/कर्मचारी/गोयों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	166	0	166	3	0	3	2.46	0.00	2.46
iv	गोयों/कर्मचारियों को वर्गीकरण, पैकेज प्रथाओं, सीपीए अवशेष समस्याओं के अवरोधन पर प्रशिक्षण	1070	121	1191	35	1	36	1.58	0.30	1.88
v	पट्टेधारी / छोटे किसानों को प्रशिक्षण	490	0	490	3	0	3	6.45	0.00	6.45
ख	प्रचार & विस्तार साहित्य	0	37700	0	37700	0.46	0.00	0.46
ग	अध्ययन यात्रा	976	666	1642	41	3	44	7.46	7.10	14.56
घ	क्षेत्र मित्र दल	0	6	0	6	0.33	0.00	0.33
ङ	उत्तम गोयर पुरस्कार	18	11	30	18	11	30	0.90	0.55	1.45
	उप कुल	9054	4527	13581				23.96	10.49	34.45
6	ऑन - फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक ट्रयल	1036	663	1699	82	11	93	11.76	1.99	13.75
7	नमूना परियोजना क्षेत्र (हे.)	1158	679	1837	18	11	29	6.05	3.81	9.86
	महा योग	27279	17918	45197				230.96	301.44	532.41

**2019-20 के दौरान विस्तार एवं विकासआत्मक योजनाओं के अंतर्गत
अ.जा/अ.ज.जा/महिला & अन्य ग्राहकों को कवरेंज**

उपलब्धियाँ																			
क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों की संख्या						भौतिक (यूनिट)						वित्तीय (सब्बिडी ₹ में)					
		एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल			
1	एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता की वृद्धि करना																		
क	पेरिस्टाईड और रसायनिक अंशभूतों के लिए पत्ता विश्लेषण	644	644	4206635		
ख	संघटित पेट्ट प्रबंध पद्धति																		
ख 1	फोरेमेन ट्राप	84	34	235	972	1325	1308	733	5527	21453	29021	17004.00	9529.00	71851.00	278889.00	377273.00			
ख 2	पीला चिपचिपा ट्राप	89	44	247	966	1346	879	577	3675	14130	19261	3516.00	2308.00	14700.00	56520.00	77044.00			
ग	ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति	631	380	1846	5471	8328	148285	100633	534553	1464393	2247864	1022414.00	670422.00	2498937.00	6997663.00	11189436.00			
घ	बयो-पेरिस्टाईडों की आपूर्ति	36	36	396	787	1255	108	86	1402	2690	4286	11975.00	9600.00	94215.00	180750.00	296540.00			
ड.	गेंदा (मारीगोल्ड) बीजों की आपूर्ति	4878	599100	449325.00			
	उप कुल	840	494	2724	8196	17776						1054909	691859	2679703.00	7513822.00	16596253.00			
2	क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि																		
क	ऊर्जा संरक्षण उपाय (ग्लैस वूल छत पृथक्करण, वेन्चुरी फनैस और पैट्री स्ट्रा छत पृथक्करण)	183	111	1056	3653	5003	162	119	1009	3382	4672	816462.00	595900.00	5080542.00	17005162	23498066.00			
ख	तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईंधन को रैज करना	1805904.00			
	उप कुल	183	111	1056	3653	5003										25303970.00			

उपलब्धियाँ																	
क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों की संख्या						भौतिक (यूनिट)						वित्तीय (सब्सिडी ₹ में)			
		एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	
3	एनटीआरएम का निष्कासन और टापुलीनों की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	344	141	1029	3770	5284	346	143	1034	3782	5305	385400.00	151800.00	1022000.00	3739000.00	5298200.00	
4	पीएचपीएम उपाय बलिकेण शेड/ मोडल स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण	0	0	2	15	17	0	0	2	15	17	0.00	0.00	25000.00	211500.00	236500.00	
5	अन्य विकासाल्मक कार्यक्रम																
क	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण																
i	कार्यशाला	797	5	177921.00	
ii	नीलाम अधीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	9266	174	508094.00	
iii	एनआईपीएम में अधिकारियों/कर्मचारी/गोयशों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	166	3	245670.00	
iv	गोयर/कर्मचारियों को वर्गीकरण, पैकेज प्रथाओं, सीपीए अवशेष समस्याओं को रोकने पर प्रशिक्षण	1191	36	187350.00	
v	पट्टाधारी / सूक्ष्म किसानों को प्रशिक्षण	490	3	645406.00	
ख	प्रचार & विस्तार साहित्य	37700	45500.00	
ग	अध्ययन यात्रा	1642	44	1456344.00	
घ	क्षेत्र मित्र दल	6	33284.00	
ङ	उत्तम गोयार पुरस्कार	29	29	145000.00	
	उप कुल	13581						3444569.00	
6	ऑन - फार्म परीक्षण & प्रयोगाल्मक ट्रयाल	1699	93	1374840.00	
7	नमूना परियोजना क्षेत्र	1837	29	986502.00	
	महा योग					45197										53240834.00	

ग़ोय़र कल्याण पहलू (सूत्रपात)

I) तम्बाकू बोर्ड ग़ोय़र कल्याण निधि :

तम्बाकू बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना & ओडिषा राज्यों में लगभग 86,467 एफसीवी तम्बाकू ग़ोय़रों और उनके परिवार के सदस्यों के समग्र कल्याण को निश्चित करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन के साथ 2009-10 में “तम्बाकू बोर्ड ग़ोय़र कल्याण योजनाएँ” प्रारंभ करने के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी उपायों को अपनाया है ।

यह कल्याण योजना वित्तीय सहायता मृत्यु अनुदान के रूप में और बालिका विवाह, आश्रित बच्चों की शिक्षा, प्रधान बीमारियों/दुर्घटना मामलों का इलाज, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है को और प्राकृतिक आपत्तियों/अग्नि दुर्घटनाओं के कारण बख़ारों को मरम्मत आदि., के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रावधान कराती है । तम्बाकू बोर्ड इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक अनुदान और ऋणों के शब्दों के रूप में 15,728 ग़ोय़रों को वित्तीय सहायता का प्रावधान किया । ₹ 42.06 करोड़ मूल्य के अनुदान 11,534 लाभभोगियों को मंजूर किये गये तथा 4,194 ग़ोय़रों को ₹ 10.10 करोड़ मूल्य के ब्याज मुक्त ऋण मंजूर किये गये ।

इस योजना के प्रारंभ से 2019-20 के अंत तक, तम्बाकू बोर्ड ग़ोय़र कल्याण निधि में ₹ 62.64 करोड़ की राशि उपलब्ध रही । 2019-20 के दौरान, अनुदानों के रूप में ₹ 5.82 करोड़ और ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में ₹ 1.56 करोड़ रुपये, कुल मिलकर ₹ 7.38 करोड़ ऋण वितरित किये गये। 2019-20 के दौरान योजना वार दिये अनुदान / ब्याज मुक्त ऋण विवरण पृष्ठ सं. 53 में दिये गये।

II) किसानों को उत्पादन से संबंधित सेवाएँ :

क) मिट्टी व जल परीक्षण :

पंजीकृत तम्बाकू ग़ोय़रों के मिट्टी और जल नमूनाओं को संग्रहित एवं विश्लेषण नियमित के आधार पर मुफ्त में बोर्ड कराती है । बोर्ड ने, विश्लेषित परिमाणों के आधार पर, एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए मिट्टी उपयुक्तता और जल सिंचाई और गुणता व उपज वृद्धि के लिए उर्वरकों को सही मात्राओं में उपयोग करने के लिए ग़ोय़रों को सलाह देती है । 2019-20 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 2,300 मिट्टी नमूनाओं को और 625 जल नमूनाओं को और कर्नाटका राज्य में 4,200 मिट्टी नमूनाओं को विश्लेषण करके परिणाम संबंधित ग़ोय़रों को सूचित किया गया । उक्त के अलावा 2019-20 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 1,000 मिट्टी नमूनाओं को और कर्नाटका में 180 मिट्टी नमूनाओं को - एफई, जडएन, एमएन और सीयू आदि., की सूक्ष्म पोषकतत्वों के लिए विश्लेषण को अपनाये गये ।

राज्य	मिट्टी नमूने	जल जमूने
आन्ध्र प्रदेश	2,300	625
कर्नाटका	4,200	—
कुल	6,500	625

ख) एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों के लिए बखार और माल (स्टॉक) बीमा :

वर्ष 2003 से आन्ध्र प्रदेश में और 2019-20 से कर्नाटका में स्टैंडर्ड फायर तथा एलाइड पेरिल्स पॉलसी (स्थाई अग्नि तथा संबंध जोखिम पॉलसी) के जरिये क्यूरिंग और स्टोरेज के दौरान बखार तथा तम्बाकू स्टॉकों को आच्छेद बीमा की सुविधा, बोर्ड दे रही है। पंजीकृत ग्राहक भी हर साल सामूहिक वैयक्तिक दर्घटना पालसी (जीपीए) के अंतर्गत कवर होते हैं। 2019-20 फसल मौसम के दौरान, ओरियंटल इन्सूरेन्स कंपनी लिमिटेड ने आन्ध्र प्रदेश में 33,872 ग्राहकों को तथा उनके 33,035.98 बखारों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 2.30 करोड़ राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को अदा किया गया था। यूनाइटेड इंडिया इन्सूरेन्स कंपनी लिमिटेड ने कर्नाटका में 34,415 ग्राहकों को तथा उनके 43,472 बखारों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 1.49 करोड़ राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को अदा की गयी।

तम्बाकू बोर्ड गोयर कल्याण योजना
दि. 31/3/2020 तक योजना वार दिये गये मृत्यु अनुदान/ ब्याज मुक्त ऋण विवरण

विवरण (अनुदान/ ऋण)	2019-20 के दौरान (01/04/2019 से 31/03/2020 तक)						योजना प्रारंभ से दि. 31/03/2020 तक					
	आन्ध्र प्रदेश		कर्नाटका		कुल		आन्ध्र प्रदेश		कर्नाटका		कुल	
	लाभ- भोगियों की संख्या	राशि (₹) लाखों में	लाभ- भोगियों की संख्या	राशि (₹) लाखों में	लाभ- भोगियों की संख्या	राशि (₹) लाखों में	लाभ- भोगियों की संख्या	राशि (₹) लाखों में	लाभ- भोगियों की संख्या	राशि (₹) लाखों में	लाभ- भोगियों की संख्या	राशि (₹) लाखों में
अनुदान												
सहज मृत्यु	501	250.50	610	305.00	1111	555.50	5130	1668.20	5997	2244.22	11127	3912.42
दुर्घटना मृत्यु	15	15.00	11	11.00	26	26.00	260	181.50	147	112.00	407	293.50
कुल अनुदान (क)	516	265.50	621	316.00	1137	581.50	5390	1849.70	6144	2356.22	11534	4205.92
ब्याज मुक्त ऋण												
बालिका विवाह	9	4.50	182	91.00	191	95.50	78	24.00	1219	476.50	1297	500.50
प्रधान विमारी/दुर्घटना मामला, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है।	2	1.00	2	1.00	4	2.00	39	14.65	63	18.74	102	33.39
प्राकृतिक विपत्तियों/अग्नि दुर्घटना के कारण डामेज बखारों के मरम्मत के लिए	0	0.00	89	43.60	89	43.60	2228	261.45	199	95.80	2427	357.25
आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण	7	3.50	22	11.00	29	14.50	246	73.87	122	44.50	368	118.37
कुल ऋण (ख)	18	9.00	295	146.60	313	155.60	2591	373.97	1603	635.54	4194	1009.51
महायोग (अनुदान + ऋण)	534	274.50	916	462.60	1450	737.10	7981	2223.67	7747	2991.76	15728	5215.43

प्लौटफार्मों में नीलामकार की सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड ने, क्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने, ग्राहकों को सही भुगतान तथा तम्बाकू के लिए ठीक तौलन को सुनिश्चित करने के द्वारा तम्बाकू ग्राहकों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने कर्नाटका में सन् 1984 में तथा आन्ध्र प्रदेश में 1985 को एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम प्रणाली को शुरू की है। तब से लेकर बोर्ड एफसीवी तम्बाकू बिक्री के लिए, नीलामी प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करता आ रहा है।



एफ सी वी तम्बाकू का ई - नीलाम

1. आन्ध्र प्रदेश में 2018-19 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम :

क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

तम्बाकू बोर्ड ने 2018-19 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश के लिए 136 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया था।

लक्षित 136 मि.कि.ग्रा. फसल परिमाण के लिए अनुमानित उत्पादन 126.29 मि.कि.ग्रा. रहा था। प्रकाशम और नेल्लुरु जिलों में 2018-19 एफसीवी तम्बाकू फसल लगातार चौथा वर्ष के लंबे सूखा स्थिति के अधीन रही। सितम्बर और अक्टूबर महीनों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण ट्रान्सप्लानटेशन में देरी हुई। ट्रान्सप्लानटेशन के बाद भी दकामि क्षेत्र के अधिकाधिक क्षेत्रों में बारिश प्राप्त नहीं हुई। यह सूखा स्थिति से पैदावार पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा।

दहमि & दकामि क्षेत्र दोनों में, किसानों ने अपने फसल को वृद्धि करने के लिए कड़ी मेहनत की और जीवन बचत सिंचाई के लिए प्रति एकड़ को ₹10,000/- से अधिक पैसा खर्च किये। 'ओरेबान्खे' की उत्पीड़ना (तम्बाकू पौधा के जड़ परजीवी) की घटना गंभीर रहा था और पैदावार के साथ-साथ फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई थी।

उकामि क्षेत्र में 'पेथाई' चक्रवात के कारण बारी नुकसान प्राप्त हुआ था और किसानों को जनवरी महीने में पुनः रोपण करने के लिए मजबूर कर दिया था। उहमि क्षेत्र में फसल वृद्धि अच्छी रही और अच्छी उत्पाद भी प्राप्त हुई। इस मौसम के दौरान कोई प्रधान कीट और बीमारी की घटना नहीं देखी गयी।

ख) श्रेणी आऊटटर्न :

पिछले वर्ष के दौरान रहे 43% : 31% : 26% श्रेणी आऊटटर्न की तुलना में चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणियों के लिए प्रतिशतता के शब्दों में क्रमशः 27% : 29% : 44% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज किये गये।

मिट्टी क्षेत्र वार चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणी प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये गये :

क्षेत्र	2018-19 मौसम			2017-18 मौसम		
	चमकीला	मध्य	निम्न	चमकीला	मध्य	निम्न
उकामि	43	45	12	58	31	11
दकामि	18	23	59	42	21	37
दहमि	20	29	51	38	32	30
उहमि	42	36	22	48	38	14
कुल	27	29	44	43	31	26

ग) न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) :

बोर्ड की संगठित प्रयासों से, अनेक वर्षों के अन्तराल के बाद भारतीय तम्बाकू संघ ने आन्ध्र प्रदेश में 2016-17 फसल मौसम से एफसीवी तम्बाकू फसल के लिए न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) देने के लिए सहमत हुई तथा घोषित की। घोषित न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) 3 वर्षों के लिए याने., 2018-19 फसल मौसम तक लागू रहेगा।

2018-19 फसल मौसम के लिए घोषित न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) नीचे दिये गये :

श्रेणी	परंपरागत मिट्टियों में तम्बाकू के लिए एमजीआईपी (दहमि, दकामि तथा उकामि) (₹/ कि.ग्रा.)		उत्तरी हल्की मिट्टियों में तम्बाकू के लिए एमजीआईपी (₹/ कि.ग्रा.)	
	से	तक	से	तक
चमकीला	110.00	120.00	130.00	140.00
मध्य	95.00	105.00	110.00	120.00
निम्न*	50.00	60.00	50.00	60.00

*'एनओजी' श्रेणी को छोड़कर

घ) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

आन्ध्र प्रदेश में 2018-19 मौसम के लिए एकसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ तीन दशाओं में नीचे दिये सारणी के अनुसार प्रारंभ हुए :

क्र.सं.	फेज	क्षेत्र	नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ तारीख	नीलाम प्लैटफार्म
1	पहली दशा	दहमि	22/03/2019 शुक्रवार	06 नीलाम प्लैटफार्म
2	दूसरी दशा	दकामि & उहमि	27/03/2019 बुधवार	11 नीलाम प्लैटफार्म
3	तीसरी दशा	उकामि	15/04/2019 सोमवार	01 नीलाम प्लैटफार्म

ङ) बाजार प्रवृत्तियाँ :

सभी नीलाम प्लैटफार्मों में, नीलामियाँ सकारात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए। उत्तम गुणवत्ता वाले तम्बाकू के लिए पिछले वर्ष के दौरान उकामि, दकामि & दहमि क्षेत्रों में प्रति किलो को प्राप्त ₹160/- और उहमि क्षेत्र में प्रति किलो को प्राप्त ₹165/- के लिए नीलामियों के प्रारंभ दिन में उकामि क्षेत्र में ₹165/- प्रति किलो, दकामि क्षेत्र में ₹168/-, दहमि क्षेत्र में ₹167/- और उहमि क्षेत्र में ₹170/- प्रति किलो की उच्चतम कीमत प्राप्त हुई। नीलामियाँ 7वीं सप्ताह तक सभी ग्राहकों के लिए संतोषजनक रही। जब कि, प्राप्त कुल औसत मूल्य पिछले वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य से कुछ प्रतिशत कम रहा था और चमकीला श्रेणी तम्बाकू के लिए अच्छी कीमत प्राप्त हुई और निम्न श्रेणी तम्बाकू को क्रेताओं द्वारा सक्रियता से नहीं उठाया गया। यह स्थिति बिक्री के लिए प्रस्तुत बहुत सारे बेलों को अस्वीकार करने का कारण बन गया था। कभी-कभी दहमि & दकामि क्षेत्रों में कुछ प्लैटफार्मों में अस्वीकार की प्रतिशत 50% से अधिक रह गयी।

किसानों को निम्न श्रेणी की कीमतों के बारे में अधिक चिंता थी क्योंकि अपने निम्न श्रेणी तम्बाकू किस्म से रहे अपने गठीला उत्पाद से और कीमत में रहे कोई गिरावट उनके आय को प्रभावित करेगी। दहमि & दकामि क्षेत्र में फसल पिछले 4 वर्षों से लगातार सूखे की स्थिति से प्रभावित रहे हैं, इसलिए किसान आगे कोई नुकसान को उठाने की स्थिति में नहीं रहे थे।

मौसम की शुरुआत से दहमि & दकामि क्षेत्र के किसानों अपने निम्न श्रेणी तम्बाकू के लिए कम-से-कम प्रति किलो के लिए ₹100/- औसत मूल्य सुनिश्चित करने का अनुरोध कर रहे थे। इस विषय पर व्यापारी वर्ग के साथ कई बैठकों में चर्चा भी की गई थी। इस मौसम के दौरान, प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार निम्न श्रेणी तम्बाकू को विपणन के लिए किसानों के प्रतिरोध के कारण अस्वीकार की प्रतिशत अधिक रहा था।

आन्ध्र प्रदेश के माननीय कृषि & सहकार मंत्री श्री के. कन्न बाबू ने दि. 14/06/2019 को बोर्ड के अधिकारियों, व्यापारियों और ग्राहकों के साथ बाजार की स्थिति की समीक्षा किया और अपना राय व्यक्त किया कि व्यापारियों को निम्न श्रेणियों को उचित मूल्य में खरीद करके उन्हें बचने के लिए आगे आये ताकि उन्हें (किसानों) बनाये रखने में सक्षम होंगे और तम्बाकू व्यापारी वर्ग भी अपने व्यापार को जारी रखने में सक्षम होंगे।

एफसीवी किसानों की समस्या विषय को लोक सभा और राज्य सभा के दोनों सदनों के माननीय संसद सदस्यों ने उठाये थे और सरकार से तम्बाकू किसानों के हितों की रक्षा करने का आग्रह भी किया गया था।

आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने बाजार में प्राप्त होने वाली कीमतों के बारे में दि. 14/08/2019 को कार्यपालक निदेशक के साथ समीक्षा भी की और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए आवश्यक उपायों को करने का सुझाव दिया गया था ।

बाजार की स्थिति को सुधार करने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा उठाये गये कदम निम्नानुसार है :

- किसानों द्वारा सामना की जा रही कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने क्रेताओं को लगातार उचित मूल्य देकर अपने भाग (शेयर) को खरीदने और किसानों को मौजूदा बाजार संकट से बचने के लिए राजी किया है।
- तम्बाकू बोर्ड ने सभी अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अपने आदेश देने और नीलामियों को जल्दी-से-जल्दी समापन को सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है ।
- तम्बाकू बोर्ड भी, भा तं सं & व्यापारियों से अपनी समीक्षा बैठकों के दौरान किसानों द्वारा उत्पादित तम्बाकू के सभी श्रेणियों को लाभकारी मूल्य भुगतान करने के लिए अनेक बार अनुरोध किया है ।
- बोर्ड द्वारा आयोजित प्रभावशाली अभियानों के कारण ग्राहकों फसल सुरक्षा एजेंट अवशेष मुक्त तम्बाकू उत्पादन किये थे और इससे बोर्ड को भारतीय बाजार से अपनी खरीद को बढ़ाने के लिए मेसर्स. जपान टोबाको इंटरनेशनल को समझाने में सक्षम हो गयी ।
- बोर्ड ने, दि. 15/04/2019, 24/04/2019, 24/05/2019, 11/06/2019, 21/06/2019 & 05/07/2019 को व्यापारी वर्ग के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित किये थे और बैठकों में यह विचार व्यक्त किया गया कि भुगतान की जा रही कीमतों में वृद्धि लाये ।
- बोर्ड भी, नीलाम प्लैटफार्मों को विजिट करने तम्बाकू बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को डिप्लॉई करके, मूल्य प्राप्ति पर निगरानी और दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के द्वारा बाजार प्रवृत्तियों को लगातार मोनिटरिंग कर रही है ।

नीलाम बिक्रियाँ दि. 07/09/2019 को समाप्त हुई । प्रति कि.ग्रा. को ₹121.53 की औसत मूल्य में 124.09 मि.कि.ग्रा. परिमाण विपणन किया गया था । इस चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ₹121.53 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य, जो पिछले वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य से ₹8.47 प्रति कि.ग्रा. कम है । गुणवत्ता वाले तम्बाकू के लिए दर्ज किये उच्चतम मूल्य ₹230/- प्रति कि.ग्रा. है और यह एफसीवी तम्बाकू की नीलामियों के इतिहास में भारत में दर्ज किये उच्च कीमत थी ।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान नीलामियों के दौरान प्राप्त मिट्टी क्षेत्र वार औसत मूल्य नीचे दिये गये थे :

मिट्टी क्षेत्र	श्रेणी	2019 नीलाम (अंतिम)		2018 नीलाम (अंतिम)		2018 नीलाम की तुलना में 2019 के औसत मूल्य में अन्तर
		विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	
उकामि (उत्तरी काली मिट्टी)	चमकीला	1.06	160.15	1.66	144.85	15.30
	मध्य	1.12	102.64	0.89	101.27	1.37
	निम्न	0.31	71.01	0.30	80.45	-9.44
	कुल	2.49	123.24	2.85	124.41	-1.17
दकामि (दक्षिण काली मिट्टी)	चमकीला	7.93	168.65	17.55	153.62	15.03
	मध्य	9.73	125.10	8.87	126.09	-0.99
	निम्न	25.58	84.78	15.39	87.34	-2.56
	कुल	43.24	109.24	41.81	123.38	-14.14
दहमि (दक्षिण हल्की मिट्टी)	चमकीला	7.84	168.87	14.01	153.35	15.52
	मध्य	11.46	136.49	11.91	131.59	4.90
	निम्न	20.59	83.07	11.29	85.62	-2.55
	कुल	39.89	115.28	37.21	125.83	-10.55
उहमि (उत्तरी हल्की मिट्टी)	चमकीला	16.15	172.10	24.29	153.47	18.63
	मध्य	13.87	140.86	19.58	134.70	6.16
	निम्न	8.44	85.10	7.31	100.63	-15.53
	कुल	38.46	141.74	51.18	138.74	3.00
सभी मिट्टी क्षेत्र	चमकीला	32.98	170.12	57.51	153.24	16.88
	मध्य	36.19	134.05	41.25	131.23	2.82
	निम्न	54.92	84.11	34.29	89.54	-5.43
	कुल	124.09	121.53	133.05	130.00	-8.47

च) परिमाण एवं मूल्य :

आन्ध्र प्रदेश में, 2018-19 एफसीवी फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2018-19 वित्तीय वर्ष में दि.22/03/2019 को प्रारंभ हुई और समापन वित्तीय वर्ष 2019-20 में दि. 07/09/2019 को हुई। नीलाम मौसम के अंत तक ₹121.53 प्रति कि. ग्रा. के औसत मूल्य में 124.09 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू का कुल परिमाण विपणन हुआ, जिसमें 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान याने., दि. 01/04/2019 से 07/09/2019 तक की अवधि के दौरान ₹121.23 प्रति.कि.ग्रा. के औसत मूल्य में 123.14 मि.कि.ग्रा परिमाण तम्बाकू का विपणन हुआ था ।

**01/04/2019 से 07/09/2019 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में
विपणित नीलाम प्लैटफार्म वार तम्बाकू परिमाण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	2019 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ 01/04/2019 से 07/09/2019 अवधि के दौरान विपणित परिमाण	
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
I. आन्ध्र प्रदेश			
1	तोर्रेडू	2487217.4	123.24
कुल (उकामि)		2487217.4	123.24
2	वेल्लमपल्ली-II	8598085.1	108.61
3	ऑंगोल-I	8020627.8	111.51
4	ऑंगोल-II	7594030.1	109.60
5	टंगुदूर-I	5973112.2	110.77
6	टंगुदूर-II	5061366.9	109.24
7	कोंडेपी	7862200.9	105.20
कुल (दकामि)		43109423.0	109.08
8	पोदिली-I	7943001.0	110.11
9	कन्दुकुरु-I	9300625.1	112.72
10	कन्दुकुरु-II	8183798.7	116.97
11	कनिगिरी	3677563.9	112.35
12	कलिगिरी	4269778.8	116.13
13	डी.सी. पल्ली	5783356.8	119.49
कुल (दहमि)		39158124.3	114.42
14	देवरपल्ली	5766708.9	147.46
15	जे.आर. गूडेम-I	8825539.9	136.94
16	जे.आर. गूडेम-II	8964620.5	139.53
17	कोय्यलगूडेम	8516190.2	140.38
18	गोपालपुरम	6312418.5	147.97
कुल (उहमि)		38385478.0	141.70
महा योग		123140242.7	121.23

छ) कुल विपणित मूल्य :

क्रेताओं द्वारा क्रयित 2018-19 आन्ध्र प्रदेश फसल तम्बाकू के कुल मूल्य ₹ 1,508.07 करोड था ।

ज) आधिक्य एवं अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 2954 (ई) & 2955 (ई), दि. 17 अगस्त, 2019 द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत गोयरों द्वारा उत्पादित आधिक्य परिमाण तम्बाकू की बिक्री के लिए, बशर्ते कि 5% सेवा प्रभार (1% सामान्य सेवा प्रभार मिलाकर) तथा प्राधिकृत कोटा की 10% की सीमा तक ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर अनुमति और पंजीकृत गोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक से अधिक 10% सीमा तक उत्पादित तम्बाकू की बिक्री तथा प्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का अप्राधिकृत गोयर, जो 2018-19 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादित किया है, को भी 15% सेवा प्रभार (1% सामान्य सेवा प्रभार मिलाकर) और ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर बिक्री के लिए अनुमति दी ।

आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत गोयरों द्वारा बिक्रित आधिक्य तम्बाकू और अप्राधिकृत गोयरों द्वारा बिक्रित अप्राधिकृत तम्बाकू परिमाण विवरण निम्नानुसार रहे :


क्र. सं.	गोयरों का संवर्ग	गोयरों की संख्या	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल (₹/किलो)
1.	पंजीकृत गोयर	14,768	6.62	74.50
2.	अपंजीकृत गोयर	5	0.0038	59.93

झ) क्रेता निष्पादन :

2019 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में कुल 67 क्रेता भाग लिये। निर्माणकर्ता, निर्यातकों तथा डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और औसत मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये :

क्र. सं.	क्रेता संवर्ग	2019 नीलामियाँ			2018 नीलामियाँ		
		परिमाण (मि. कि.ग्रा.)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
1	निर्माणकर्ता	67.37	54.29	129.53	81.31	61.12	135.27
2	निर्यातक	45.73	36.85	112.93	39.65	29.80	121.43
3	डीलर	10.99	8.86	108.33	12.09	9.08	122.64
	कुल	124.09	100.00	121.53	133.05	100.00	130.00

2018-19 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं की खरीदें निम्नानुसार रहे हैं :



कुल मिलाकर पिछले वर्ष में रहे 173 दिनों के लिए 135 नीलाम दिनों में नीलामियाँ समाप्त हुए ।

II. कर्नाटका में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

बोर्ड ने, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माँग और आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए कर्नाटका में 2019-20 फसल मौसम के लिए 100 मिलियन कि.ग्रा. एफसीवी तम्बाकू के लिए फसल परिमाण को तथ किया है । इस मौसम में 100 मि.कि.ग्रा लक्षित फसल परिमाण केलिए केवल 93.54 मि.कि.ग्रा. का उत्पादन अनुमानित था ।

ख) श्रेणी आऊट-टर्न :

चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणी प्रतिशत के संदर्भ में पिछले वर्ष रहे 23% : 46% : 31% की तुलना में मौजूदा फसल के लिए 14% : 44% : 42% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज हुए थे।

ग) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

2019-20 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू बिक्री के लिए नीलामियाँ दि.16 सितम्बर, 2019 को प्रारंभ हुई ।

घ) बाजार प्रवृत्तियाँ :


दि. 31 मार्च, 2020 तक 102.11 मि.कि.ग्रा. की मात्रा का विपणन हुआ था और औसत मूल्य ₹125.50 प्रति कि.ग्रा. प्राप्त हुई । वर्तमान 2019-20 फसल के लिए प्राप्त औसत मूल्य पिछले वर्ष में अंतिम विपणित परिमाण के लिए प्राप्त औसत मूल्य की तुलना में ₹16.78 प्रति कि.ग्रा. कम रहा था ।

दि. 31/03/2020 तक विपणित तम्बाकू परिमाण और पिछले वर्ष की परिमाणों की तुलना में चमकीला, मध्य, निम्न श्रेणी तम्बाकू के लिए प्राप्त औसत मूल्य नीचे दिये थे :

क्र. सं.	श्रेणी	2019 नीलाम		2018 नीलाम		2018 नीलामियों की तुलना में 2019 के औसतम मूल्य में अन्तर
		विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	
1	चमकीला	14.54	175.33	19.25	165.48	+ 9.85
2	मध्य	45.33	140.46	39.34	146.83	- 6.37
3	निम्न	42.24	92.30	26.49	118.65	-26.36
	कुल	102.11	125.50	85.08	142.28	-16.78

- इस वर्ष चमकीला श्रेणी तम्बाकू का उत्पादन 14.23% कम और निम्न श्रेणी तम्बाकू का उत्पादन पिछले वर्ष की 22.63% और 31.14% की तुलना में 41.36% अधिक रहा था ।
- निम्न श्रेणियों के अधिक प्रतिशत उत्पादन और चमकीला श्रेणियों के कम प्रतिशत उत्पादन औसत मूल्य प्राप्ति को प्रभावित किया था ।
- बोर्ड ने व्यापारी वर्ग के साथ निरंतर अनुनय के द्वारा तेजी से तम्बाकू को विपणन करने के लिए उपाय किये हैं ।
- आधिक्य प्राधिकृत और अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए नवंबर महीने में ही अनुमति दिये गये । इससे अप्राधिकृत ग्राहक अपने तम्बाकू को लंबे समय स्टोरेज के दौरान होने वाली गुणवत्ता के नुकसान से बचने में सक्षम बनाया ।

2019-20 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान दि. 31/03/2020 तक प्रधान क्रेताओं की खरीदी नीचे दिये गये हैं ।



ड) परिमाण और मूल्य

कर्नाटका में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2019-20 वित्तीय वर्ष में याने., 16/09/2019 से प्रारंभ हुई और 2020-21 वित्तीय वर्ष में समाप्त हुई । 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान याने., 16/09/2019 से 31/03/2020 तक ₹ 125.50 प्रति कि.ग्रा के औसत मूल्य में 102.11 मिलियन कि.ग्रा. परिमाण विपणन हुआ था । दि. 16/09/2019 से 31/03/2020 तक प्राप्त नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य पृष्ठ सं. 64 में दिये गये ।

च) पिछले 10 वर्षों में कर्नाटका नीलामियों में ग्राहकों द्वारा प्राप्त औसत मूल्य :



छ) आधिक्य फसल एवं अप्राधिकृत फसल बिक्री के लिए ग्राहकों को अनुमति :

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 3873 (ई) & 3874 (ई), दि. 24 अक्टूबर, 2019 द्वारा कर्नाटका राज्य में पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य परिमाण तम्बाकू की बिक्री के लिए, बशर्ते कि 5% सेवा प्रभार (1% सामान्य सेवा प्रभार मिलाकर) तथा प्राधिकृत कोटा की 10% की सीमा तक ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर अनुमति और पंजीकृत ग्राहकों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक से अधिक 10% सीमा तक उत्पादित तम्बाकू की बिक्री तथा प्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का प्रत्येक अप्राधिकृत ग्राहक, जो 2019-20 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन किया है, को भी 15% सेवा प्रभार (1% सामान्य सेवा प्रभार मिलाकर) और ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर बिक्री के लिए अनुमति दी ।

कर्नाटका में पंजीकृत ग्राहकों द्वारा बिक्रित आधिक्य तम्बाकू परिमाण और अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा बिक्रित अप्राधिकृत तम्बाकू विवरण निम्नानुसार रहे :

क्र. सं.	ग्राहक संवर्ग	ग्राहकों की संख्या	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
1.	पंजीकृत ग्राहक	20,682	9.74	105.43
2.	अपंजीकृत ग्राहक	13,577	13.90	105.74

ज) खरीददार का निष्पादन :

दि. 31/03/2020 तक 2019-20 कर्नाटका नीलामियों के दौरान कुल 36 खरीददार भाग लिये। 2019-20 कर्नाटका नीलामियों के दौरान दि. 31/03/2020 तक क्रयित तम्बाकू परिमाण, शेयर प्रतिशतता तथा निर्माणकर्ताओं, निर्यातकों तथा डीलरों के द्वारा प्रदत्त मूल्य, जो पिछले वर्ष की तुलना में निम्नानुसार रहा है :

क्र. सं.	खरीददार का संवर्ग	2019-20 कर्नाटका नीलाम			2018-19 कर्नाटका नीलाम		
		क्रयित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	क्रयित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
1	निर्माणकर्ता	57.84	56.64	129.12	47.20	55.48	146.43
2	निर्यातक	39.47	38.66	118.94	32.18	37.82	138.25
3	अन्य (डीलर)	4.80	4.70	135.93	5.70	6.70	130.64
	कुल	102.11	100.00	125.50	85.08	100.00	142.28

2019-20 कर्नाटका नीलामियों के दौरान नीलाम प्लेटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और उच्चतम बिड़ दर्शानेवाले विवरण पृष्ठ सं. 64 में दिये गये ।

**2019 कर्नाटका नीलाम - 31/03/2020 तक नीलाम किये नीलाम लैटफार्म
वार एफसीवी तम्बाकू विवरण**

क्र. सं.	नीलाम लैटफार्म का नाम	नी लै सं.	लक्षित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	प्रारंभ की तारीख	विक्रित बोलों की संख्या	दर्ज किये उत्तम बोली (र/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू मूल्य (र)	औसत मूल्य (र/कि.ग्रा)
1	एच.डी कोटे-I	1	9.01	16.09.2019	92060	195.00	8842404.8	1057551614.08	119.60
2	हुन्सूर - I	2	7.16	16.09.2019	92551	197.00	9215122.0	1146821932.90	124.45
3	हुन्सूर - II	3	7.02	16.09.2019	83234	196.00	8227905.2	1021988104.89	124.21
4	हुन्सूर - III	64	6.08	16.09.2019	61484	188.00	6088903.6	804161498.45	132.07
5	कंपलापुरा	61	7.53	16.09.2019	94140	195.00	9401683.7	1174082260.46	124.88
6	चिलकुंदा	62	10.63	16.09.2019	114982	196.00	11290972.9	1403467931.47	124.30
7	पेरियपट्ना - I	4	11.92	16.09.2019	95276	197.00	9968063.2	1310600949.54	131.48
8	पेरियपट्ना - II	5	11.19	16.09.2019	99495	195.00	10512364.2	1382481015.94	131.51
9	पेरियपट्ना - III	6	10.37	16.09.2019	88914	195.00	9032052.3	1114284292.25	123.37
10	रामनाथपुरा-I	7	10.55	16.09.2019	109202	196.00	10916609.3	1343397940.46	123.06
11	रामनाथपुरा-II	63	8.54	16.09.2019	86736	195.00	8614548.1	1056057451.58	122.59
	महा योग		100.00		1018074	197.00	102110629.3	12814894992.02	125.50

III. आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

2019-20 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के लिए 136 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया है। इस के लिए 135.84 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन होने का अनुमान है ।

कटाई की स्थिति (जनवरी के प्रथम सप्ताह) के दौरान आसामयिक वर्षा स्थायी फसल को डामेज किया है, जिससे खराब श्रेणी आऊट टर्न याने., निम्न श्रेणी का अधिक अनुपात में उत्पादन हुआ था । दहमि & दकामि क्षेत्रों में असामयिक वर्षा का प्रभाव अधिक था । इसके साथ श्रामिक की तीव्र कमी भी उत्पादन लागत को और बढ़ा दिया था । दहमि & दकामि क्षेत्रों में उत्पादन का प्रधान हिस्सा मध्य और निम्न श्रेणियों से मिलकर होने का अनुमान था। 2018-19 फसल की तुलना में 2019-20 के बीएमएल का मिट्टी क्षेत्र वार अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

क्षेत्र	2019-20 मौसम			2018-19 मौसम		
	चमकीला	मध्य	निम्न	चमकीला	मध्य	निम्न
उ का मि	23	35	42	43	45	12
द का मि	20	27	53	18	23	59
द ह मि	22	30	48	20	29	51
उ ह मि	41	39	20	42	36	22
समग्र	28	32	40	27	29	44

इस वर्ष के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार लक्षित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

क्र. सं.	मिट्टी क्षेत्र	लक्षित फसल (मि.कि.ग्रा.)	अनुमानित उत्पादन (मि.कि.ग्रा.)
1	उकामि क्षेत्र	4.00	2.79
2	दकामि क्षेत्र	43.71	47.11
3	दहमि क्षेत्र	42.29	44.67
4	उहमि क्षेत्र	46.00	41.27
	समग्र योग	136.00	135.84

ख) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

गोयरो, भा तं सं & व्यापारी प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति के अनुसार 2019-20 आं.प्र. एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियों का प्रारंभ नीचे दिये गये :


क्र. सं.	दशा	नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ की तारीख	क्षेत्र	नीलाम प्लैटफार्म
1	पहली दशा	17/02/2020 सोमवार	दहमि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 22, पोदिली-I, नी.प्लै.सं. 29, डी.सी. पल्ली, नी.प्लै.सं. 35, कनिगिरी
			दकामि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 20, ओंगोल-I, नी.प्लै.सं. 25, कोंडेपी, नी.प्लै.सं. 31, वेल्लमपल्ली-II
2	दूसरी दशा	26/02/2020 बुधवार	दहमि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 26, कन्दुकुरु-I, नी.प्लै.सं. 27, कन्दुकुरु-II, नी.प्लै.सं. 28, कलिगिरी
3	तीसरी दशा	11/03/2020 बुधवार	दकामि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 23, ओंगोल-II, नी.प्लै.सं. 24, टंगुदूर-I, नी.प्लै.सं. 34, टंगुदूर-II
4	चौथी दशा	20/03/2020 शुक्रवार	उहमि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 17, देवरपल्ली, नी.प्लै.सं.18, जे.आर.गूडेम-I, नी.प्लै.सं. 30, कोय्यलगूडेम, नी.प्लै.सं.32, जे.आर. गूडेम-II, नी.प्लै.सं.33, गोपालपुरम
5	पाँचवी दशा	13/05/2020 बुधवार	उकामि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 15, तोर्रेडू

नीलामियों को कोविड-19 महमारी और लॉकडाउन के कारण दि. 22/03/2020 से निलंबित कर दिया गया था। नीलामियाँ दि. 27/04/2020 से 05 नीलाम प्लैटफार्मों में और सभी 18 नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 13/05/2020 को पुनः प्रारंभ हुए।

ग) परिमाण एवं मूल्य :

दहमि, दकामि & उहमि क्षेत्रों के अंतर्गत, सभी नीलामी प्लैटफार्मों में नीलामियाँ सकारात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए। 31 मार्च, 2020 तक ₹154.80 प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य में 4.47 मिलियन कि.ग्रा तम्बाकू का कुल परिमाण विपणन हुआ था। इस चालू मौसम के दौरान प्राप्त ₹154.80 प्रति कि.ग्रा. का औसत मूल्य, जो अनुरूप विपणित परिमाण के लिए पिछले वर्ष में प्रति कि.ग्रा. के लिए प्राप्त मूल्य से ₹3.28 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा था।

पिछले 10 वर्षों से आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में गोयरों को प्राप्त औसत मूल्य



घ) दि. 31/03/2020 तक चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणियों के लिए प्राप्त औसत मूल्य निम्नानुसार है :

श्रेणी	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
चमकीला	3.04	68.03	160.71
मध्य	1.43	31.97	142.23
निम्न	0.0	0.0	0.0
कुल	4.47	100.00	154.80



श्री वाई. रघुनाथ बाबू, अध्यक्ष ने एफसीवी तम्बाकू नीलामियों में भाग लिया

दि. 31/03/2020 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और दर्ज उच्चतम बिड नीचे दिये गये ।

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी. प्लै. सं.	लक्षित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	अनुमानित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	प्रारंभ की तारीख	बिक्रित बेलों की संख्या	दर्ज किये उच्चतम बोली (₹/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू मूल्य (₹)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	तोरेडू	15	4.00	2.90	13-05-2020	नीलाम बिक्रियाँ अभी प्रारंभ होना है ।				
	कुल (उकामि)		4.00	2.90						
2	वेल्लमपल्ली-II	31	8.63	9.95	17-02-2020	5481	174.00	701374.5	110620786.14	157.72
3	ऑंगोल-I	20	7.15	8.73	17-02-2020	5263	175.00	657136.2	103466094.69	157.45
4	ऑंगोल-II	23	8.12	7.70	11-03-2020	769	171.00	91850.8	14370057.66	156.45
5	टंगुदूर-I	24	6.20	6.50	11-03-2020	413	171.00	44301.8	6647485.09	150.05
6	टंगुदूर-II	34	5.71	5.90	11-03-2020	638	171.00	70909.9	11327856.53	159.75
7	कोंडेपी	25	7.90	9.25	17-02-2020	3579	171.00	429939.9	66124756.62	153.80
	कुल (दकामि)		43.71	48.03		16143	175.00	1995513.1	312557216.85	156.63
8	पोदिली-I	22	10.34	10.57	17-02-2020	4695	171.00	598650.7	89007386.08	148.68
9	कन्दुकुरु-I	26	8.16	7.77	26-02-2020	2334	174.00	282088.5	42750512.18	151.55
10	कन्दुकुरु-II	27	7.30	9.54	26-02-2020	2111	174.00	260567.4	39900685.96	153.13
11	कनिगिरि	35	4.71	4.93	17-02-2020	3930	175.00	498757.1	76259960.59	152.90
12	कलिगिरि	28	5.29	5.29	26-02-2020	2881	171.00	351514.5	55279170.27	157.26
13	डी.सी. पल्ली	29	6.49	6.50	17-02-2020	3319	171.00	413854.8	64466162.20	155.77
	कुल (दहमि)		42.29	44.60		19270	175.00	2405433.0	367670434.05	152.85
14	देवरपल्ली	17	7.49	6.48	19-03-2020	62	175.00	8107	1360030.32	167.76
15	जे.आर.गूडेम-I	18	10.42	9.50	19-03-2020	100	175.00	12940.8	2210159.23	170.79
16	जे.आर.गूडेम-II	32	10.57	10.00	19-03-2020	101	175.00	13021	2260706.02	173.62
17	कोय्यलगूडेम	30	9.71	9.50	19-03-2020	119	175.00	15745.2	2653696.01	168.54
18	गोपालपुरम	33	7.81	6.80	19-02-2020	141	175.00	18866.9	3203976.96	169.82
	कुल (उहमि)		46.00	42.28		523	175.00	68680.9	11688802.37	170.19
	महा योग		136.00	137.81		35936	175.00	4469627.0	691898259.60	154.80

ड) 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण :

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 01/04/2019 से 31/03/2020 तक की अवधि के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण 229.72 मि.ग्रा. था तथा उपार्जित औसत मूल्य ₹ 123.78 प्रति कि.ग्राम रहा था । विवरण नीचे दिये गये ।

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	01/04/2019 से 31/03/2020 तक अवधि के लिए कुल विपणित परिमाण	
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
I. आन्ध्र प्रदेश			
1	तोरेडू	2487217.4	123.24
कुल (उकामि)		2487217.4	123.24
2	वेल्लमपल्ली-II	9299459.6	112.31
3	ओंगोल-I	8677764.0	114.99
4	ओंगोल-II	7685880.9	110.16
5	टंगुदूर-I	6017414.0	111.06
6	टंगुदूर-II	5132276.8	109.94
7	कोंडेपी	8292140.8	107.72
कुल (दकामि)		45104936.1	111.18
8	पोदिली-I	8541651.7	112.81
9	कन्दुकुरु-I	9582713.6	113.86
10	कन्दुकुरु-II	8444366.1	118.09
11	कनिगिरि	4176321.0	117.19
12	कलिगिरि	4621293.3	119.26
13	डी.सी. पल्ली	6197211.6	121.91
कुल (दहमि)		41563557.3	116.64
14	देवरपल्ली	5774815.9	147.49
15	जे.आर.गूडेम-I	8838480.7	136.99
16	जे.आर.गूडेम-II	8977641.5	139.58
17	कोय्यलगूडेम	8531935.4	140.43
18	गोपालपुरम	6331285.4	148.04
कुल (उहमि)		38454158.9	141.75
उप कुल		127609869.7	122.41

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	01/04/2019 से 31/03/2020 तक अवधि के लिए कुल विपणित परिमाण	
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
II. कर्नाटका			
1	एच.डी. कोटे-I	8842404.8	119.60
2	हुन्सूर-I	9215122.0	124.45
3	हुन्सूर-II	8227905.2	124.21
4	हुन्सूर-III	6088903.6	132.07
5	कंपलापुरा	9401683.7	124.88
6	चिलकुंदा	11290972.9	124.30
7	पेरियपट्ना-I	9968063.2	131.48
8	पेरियपट्ना-II	10512364.2	131.51
9	पेरियपट्ना-III	9032052.3	123.37
10	रामनाथपुरा-I	10916609.3	123.06
11	रामनाथपुरा-II	8614548.1	122.59
	उप कुल	102110629.3	125.50
	महा कुल	229720499.0	123.78

दि. 01/04/2019 से 31/03/2020 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में खरीदी तम्बाकू परिमाण, शेयर प्रतिशत और निर्माणकर्ता, निर्यातकों और डीलरों द्वारा प्रदत्त औसत मूल्य विवरण नीचे दिये गये ।

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2018-19 आं.प्र. फसल			2019-20 आं.प्र. फसल			2019-20 कर्नाटका फसल			कुल		
		दि. 01/04/2019 से 07/09/2019 तक			दि. 17/02/2020 से 31/03/2020 तक			दि. 16/09/2019 से 31/03/2020 तक			(दि. 01/04/2019 से 31/03/2020 तक)		
		परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत.दर (रु/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत.दर (रु/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत.दर (रु/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत.दर (रु/कि.ग्रा)	% हिस्सा
	निर्माणकर्ता												
1	आईटीसी लिमिटेड	56269379.1	128.05	45.70	2891363.5	150.66	64.69	48938238.4	128.30	47.93	108098981.0	128.77	47.06
2	जीपीआई लिमिटेड	10628695.9	136.09	8.63	421768.7	158.99	9.44	8898544.4	133.58	8.71	19949009.0	135.45	8.68
	उप-कुल	66898075.0	129.33	54.33	3313132.2	151.72	74.13	57836782.8	129.11	56.64	128047990.0	129.81	55.74
	निर्यातक												
1	पोलिशेट्टि सोमसुंदरम	16894797.0	115.98	13.72	128805.0	166.88	2.88	12648409.4	128.53	12.39	29672011.4	121.55	12.92
2	एलिएन्स वन इंडस्ट्रीस लिमिटेड	3557085.3	104.34	2.89	96969.7	162.92	2.17	4804483.5	101.08	4.71	8458538.5	103.16	3.68
3	प्रीमियर डुबोको पेकर प्र.लिमिटेड	4937805.0	139.03	4.01	343122.5	165.76	7.68	930451.0	154.66	0.91	6211378.5	142.85	2.70
4	एम.एल. & को ग्रुप	1449000.1	149.27	1.18				955012.6	124.22	0.93	2404012.7	139.32	1.05
5	मिट्टपल्ली आदिनारायण एं.प्रा.लिमिटेड	968023.5	88.49	0.79	2593.8	164.73	0.06	915024.0	73.52	0.90	1885641.3	81.33	0.82
6	यार्लगंडा एक्सपोर्ट्स	757164.3	108.22	0.61	3332.7	174.47	0.07	721856.9	124.11	0.71	1482353.9	116.11	0.65
7	मिट्टपल्ली एगो प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड (र)	2263004.2	71.53	1.84				3917784.6	80.59	3.84	6180788.8	77.27	2.69
8	प्रगति टोबेको ट्रेडर्स	892023.6	140.83	0.72				21207.4	131.79	0.02	913231.0	140.62	0.40
9	प्रपालषा आगो लिमिटेड	152539.1	80.95	0.12				35020.1	107.40	0.03	187559.2	85.89	0.08
10	चेतन्या टोबेको कं.	41589.5	118.45	0.03				54088.1	170.33	0.05	95677.6	147.78	0.04

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2018-19 आ.प्र. फसल			2019-20 आ.प्र. फसल			2019-20 कर्नाटका फसल			कुल		
		दि. 01/04/2019 से 07/09/2019 तक			दि. 17/02/2020 से 31/03/2020 तक			दि. 16/09/2019 से 31/03/2020 तक			(दि. 01/04/2019 से 31/03/2020 तक)		
		परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत.दर (रु/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत.दर (रु/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत.दर (रु/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत.दर (रु/कि.ग्रा)	% हिस्सा
11	अविनाश टोबेकोस	239506.1	88.92	0.19				234712.5	151.65	0.23	474218.6	119.97	0.21
12	पांचजन्या टोबेकोस	58023.5	124.70	0.05				214628.1	129.98	0.21	272651.6	128.86	0.12
13	मोहम्मद एंटर.प्रा.लिमिटेड	1184788.9	153.99	0.96	21669.0	162.86	0.48	1698676.5	130.72	1.66	2905134.4	140.45	1.26
14	वाणी टोबाकोस	763444.6	71.61	0.62				244452.0	88.14	0.24	1007896.6	75.62	0.44
15	डेक्कन टुबाको कंपनी ग्रुप	9068832.6	107.96	7.36	284154.0	157.62	6.36	10774621.2	131.87	10.55	20127607.8	121.46	8.76
16	षेक मस्तान साहेब टोबाको	1298669.2	83.89	1.05				640390.9	91.85	0.63	1939060.1	86.52	0.84
17	वेंकट साई टोबाको कं.	193504.9	49.41	0.16							193504.9	49.41	0.08
18	हमिद एक्सपोर्ट्स	150267.7	64.40	0.12				91094.5	73.21	0.09	241362.2	67.73	0.11
19	कार्टेल टोबाको	104559.1	47.25	0.08				366540.7	52.42	0.36	471099.8	51.27	0.21
20	तेजा टोबाको ट्रेडर्स	413706.0	65.01	0.34				141915.7	96.87	0.14	555621.7	73.15	0.24
21	स्टार्स एंटरप्राइजेस							64939.8	99.50	0.06	64939.8	99.50	0.03
22	प्रसन्ना आग्री एक्सपोर्ट्स	15184.7	45.29	0.01							15184.7	45.29	0.01
	उप कुल	45403518.9	112.57	36.85	880646.7	162.94	19.70	39475309.5	118.94	38.66	85759475.1	116.02	37.33
	अन्य (डीलर)	10838648.8	107.52	8.80	275848.1	165.79	6.17	4798537.0	135.93	4.70	15913033.9	117.10	6.93
	कुल योग	123140242.7	121.23	100	4469627.0	154.80	100	102110629.3	125.50	100	229720499.0	123.78	100

IV. किसानों को मानकीकृत बेल पैकिंग सामग्री की आपूर्ति :

तम्बाकू बोर्ड (नीलाम) विनियम, 1984 के विनियम 7 के अनुसार नीलाम विक्रय के लिए लाये गये अपने तम्बाकू को पैकिंग करने के लिए सभी ग्राहकों को मानकीकृत बेल - पैकिंग सामग्री को उपयोग करने की ओर ध्यान दिया जाता है। तम्बाकू बोर्ड (नीलाम) विनियम के 7(7) के अनुसार, बेल के लिए उपयोग किये गये तार के साथ पैकिंग सामग्री एक कि.ग्रा. से अधिक भार न हो ।

तदनुसार, बोर्ड ने तम्बाकू बेल पैकिंग सामग्री को मानकीकृत किया तथा भारतीय तम्बाकू संघ (भा तं सं) द्वारा ग्राहकों को निशुल्क आपूर्ति करने की व्यवस्था किया । बोर्ड भी, बेल पैकिंग सामग्री को ग्राहकों को वितरण करने की व्यवस्था तथा मूल्य को व्यापारियों से वसूली करके इसे भारतीय तम्बाकू संघ को जमा करने की व्यवस्था किया ।



दि.21/08/2019 को गुण्टूर में संपन्न 148 वीं बोर्ड बैठक में श्री ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., सचिव, श्री टी.वी. रवि, भा.रा.से., निदेशक (नीलाम), श्री एन. रमेश, निदेशक, वाणिज्य विभाग भाग लिये ।

व्यापार स्कंध

भारत सरकार ने अपने प्रचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ रुपयों की मार्जिन राशि के साथ 1984 में व्यापार स्कंध को सृजन किया। 31/03/2020 तक ₹ 24.33 करोड़ की मार्जिन राशि बोर्ड के साथ उपलब्ध रही है। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 20-क के अनुसार, यदि ऐसा करना उचित है, तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में नीलाम प्लेटफार्मों में ग्राहकों से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना या भारत में अथवा विदेशों में उसे बेचना व्यापार स्कंध का उद्देश्य है। 2019-20 के दौरान तम्बाकू बोर्ड के व्यापार स्कंध द्वारा कोई समर्थन मूल्य प्रचालन नहीं किये थे।

प्रोसेसर / निर्माणकर्ता / वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक ग्रेडों / तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक / पैकरों / तम्बाकू के डीलरों के रूप में पंजीकरण :

कोई भी व्यक्ति, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 11 क, 11 ख (i) एवं 12 के अंतर्गत वर्जीनिया तम्बाकू की प्रोसेसर, वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादों का निर्माण, वाणिज्य प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू से संबंधित ग्रेडिंग कार्य अपनाना, तम्बाकू अथवा अन्य किसी तम्बाकू उत्पाद का निर्यात, तम्बाकू के पैकर, नीलामकार अथवा तम्बाकू डीलर के रूप में कार्य, जो इस अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार बोर्ड में अपने - आप को पंजीकृत कर लिये बिना, नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप से, फर्म अथवा कम्पनियों के द्वारा, प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग तौर पर तम्बाकू बोर्ड से पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण प्राप्त करने के पश्चात् ही उपर्युक्त प्रचालन करना होगा। तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रदत्त पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण, एक कैलेण्डर वर्ष के लिए मान्य है।

वर्ष 2019 के लिए तथा वर्ष 2020 के लिए (दि. 31/03/2020 तक) व्यापारियों के विभिन्न संवर्गों को मंजूर किये गये पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण के विवरण निम्नलिखित प्रकार है :


क्रम सं.	संवर्ग	पंजीकृत कंपनियों की संख्या	
		2019	2020*
1	वर्जीनिया तम्बाकू प्रोसेसर	14	09
2	वर्जीनिया तम्बाकू निर्माणकर्ता	32	00
3	तम्बाकू निर्यातक	165	143
4	तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक	371	293
5	तम्बाकू डीलर	433	393
6	तम्बाकू पैकर	24	20
7	वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता	31	14
	कुल	1,070	872

*दि. 31/03/2020 तक

‘डिजिटल इंडिया’ पर भारत सरकार की प्रेरणा की दिशा में तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू व्यापारी को पारदर्शी एवं समकालीनात्मक इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए आवेदनों को ई-फैलिंग करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को प्रारंभ किया। सभी संवर्गों के व्यापारियों द्वारा राजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्राप्त करने पोर्टल www.tobaccoboard.in द्वारा आवेदनों को ई-फैलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया था।

भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात

भारत विश्व में अनिर्मित तम्बाकू में तीसरा बड़ा उत्पादक और चौथा बड़ा निर्यातक है। भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यातों में अनिर्मित तम्बाकू (एचएस कोड : 2401 - कुल निर्यातों के मूल्य में 64%) में फ्लू क्यूरेड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू और नॉन-एफसीवी तम्बाकू याने., बर्ली, एचडीबीआरजी, सूर्य अभिसाधित देशी (एससीसी), रास्टिका, लाल चोपाडिया, ओरियंटल, फायर क्यूरेड तम्बाकू आदि., सिगरेट और सिगरिल्लोस (एचएस कोड : 2402 - कुल निर्यातों के मूल्य में 10%), अन्य तम्बाकू उत्पादों (एचएस कोड : 2403 - कुल निर्यातों के मूल्य में 26%) याने., कट तम्बाकू, बीडी, हुक्का तम्बाकू पेस्ट, चर्वण तम्बाकू और स्नफ आदि., होते हैं। भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात पिछले पाँच वर्षों के दौरान ₹ 5,500 करोड़ से ₹ 6,100 करोड़ हो गया था।



I. भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण :


I.1 भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के समग्र निर्यात निष्पादन :

2019-20 के दौरान भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात क्रमशः मूल्य के शब्दों में ₹5,969.59 करोड़ या ₹843.04 मिलियन यूएस डालरों के साथ 2,17,393 मि.टन के क्रम में रहे थे। वर्ष 2019-20 के दौरान निर्यात, जो 2018-19 के दौरान किये गये निर्यात की तुलना में क्रमशः परिमाण और मूल्य दोनों के शब्दों में 1% गिर गये।

क्रम संख्या	संवर्ग	2019-2020			2018-2019			मूल्य में परिवर्तन % (मि.यूएस \$)
		परिमाण मे.टनों में	मूल्य ₹.करोड़ों में	मूल्य.मि. यू एस \$. में	परिमाण मे.टनों में	मूल्य ₹. करोड़ों में	मूल्य.मि. यू एस \$. में	
I	अनिर्मित तम्बाकू (एचएस कोड 2401)							
क	एफसीवी तम्बाकू	1,06,310	2,681.81	378.73	1,13,583	2,863.87	409.71	-6
ख	नॉन-एफसीवी तम्बाकू	74,406	1,134.37	160.20	69,481	1,072.89	153.49	6
	कुल	1,80,716	3,816.18	538.93	1,83,064	3,936.76	563.20	-3
II	तम्बाकू उत्पाद							
क	सिगरेट & सिगरिल्लोस (एचएस कोड 2402)	10,782	571.74	80.74	9,879	544.42	77.89	5
ख	अन्य उत्पाद (एचएस कोड 2403)	25,895	1,581.67	223.37	27,574	1,519.84	217.43	4
	कुल उत्पाद	36,677	2,153.41	304.11	37,453	2,064.26	295.32	4
	महा योग	2,17,393	5,969.59	843.04	2,20,517	6,001.02	858.52	-1
	2018-19 की तुलना में % परिवर्तन (+/ -)	-1	-1	-2	4	8	-0.11	


अप्रैल 2019 - मार्च 2020 के लिए फोरेक्स परिवर्तन गुणक : 1 यूएस \$ = ₹ 70.81 अप्रैल 2018 - मार्च 2019 = ₹ 69.90.

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड सांख्यिकी-निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत रिटर्नों के आधार पर



1.2 अनिर्मित तम्बाकू निर्यात (एचएस कोड 2401) :

वर्ष 2019-20 के दौरान, अनिर्मित तम्बाकू निर्यात, जो परिमाण के शब्दों में 1,80,716 मेट्रिक टनों से 1% तथा रुपये के शब्दों में ₹3,816.18 करोड से 3% तक गिर गये। डालरों के शब्दों में, 538.93 मिलियन यूएसडी से निर्यात 4% तक गिर गये। यह 2018-19 के दौरान ₹3,936.76 करोड या 563.20 मिलियन मूल्य में निर्यातित 1,83,064 मेट्रिक टन के अनिर्मित तम्बाकू के विपरीत रहा है।




1.2.1 अनिर्मित तम्बाकू के किस्म वार निर्यात :

2019-20 के दौरान भारतीय अनिर्मित तम्बाकू के कुल निर्यातों में से 59% शेयर के साथ परिमाण के शब्दों में एफसीवी तम्बाकू प्रधान निर्यात किस्म प्रकार रहा है, साथ बर्ली 17% का रहा है। अन्य निर्यातित तम्बाकू प्रकारों में से लाल चोपाडिया (5%), एचडीवीआरजी (4%), सन क्यूरड देशी (3%) और रस्टिका (2%) है। मूल्य के शब्दों में, कुल अनिर्मित तम्बाकू निर्यातों में से एफसीवी तम्बाकू निर्यात 70% और शेष 30% के लिए नॉन-एफसीवी तम्बाकू निर्यातों का हिसाब रहा है।

(परिमाण में.टनों में, मूल्य : ₹ करोड़)

किस्म	2019-20				2018-19	
	परिमाण	% परिवर्तन व-द-व	मूल्य	% परिवर्तन व-द-व	परिमाण	मूल्य
प्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू	1,06,310	-6.40	2,681.81	-6.36	1,13,583	2,863.87
नॉन-एफसीवी तम्बाकू						
बर्ली तम्बाकू	30,326	-28.19	500.89	-28.56	42,229	701.18
लाल चोपडिया तम्बाकू	8,976	1.75	97.55	3.69	8,822	94.08
एचडीबीआरजी	7,927	11.44	116.99	1.36	7,113	115.42
सन क्यूर्ड देशी तम्बाकू	6,229	10.20	92.74	5.39	5,652	88.00
रस्टिका तम्बाकू	2,995	40.50	42.61	64.61	2,132	25.89
अन्य	17953	408.15	283.59	486.90	3,533	48.32
उप-कुल (नॉन-एफसीवी प्रकार)	74,406	7.09	1,134.37	5.73	69,481	1,072.89
कुल योग	1,80,716	-1.28	3,816.18	-3.06	1,83,064	3,936.76



एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2018-19 के दौरान किये 1,13,583 मेट्रिक टन का निर्यात मूल्य ₹ 2,863.87 करोड (यूएस \$ 409.71 मिलियन) के लिए 2019-20 के दौरान 1,06,310 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 2,681.81 करोड (यूएस \$ 378.73 मिलियन) था। 2019-20 के दौरान एफसीवी तम्बाकू के निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में परिमाण के शब्दों में 6% अवनति आई है। मूल्य के शब्दों में, एफसीवी तम्बाकू का निर्यात पिछले वर्ष रहे निर्यातों की तुलना में रुपये और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 6% और 8% गिर गये हैं।

वर्ष	एफसीवी तम्बाकू निर्यात		व-द-व मूल्य (यूएस\$) में परिवर्तन %
	मूल्य ₹ करोड़ों में	मूल्य मिलियन यूएस \$ में	
2015-16	3,495.81	533.96	9
2016-17	3,428.45	512.03	-2
2017-18	3,059.60	474.58	-11
2018-19	2,863.87	409.71	-6
2019-20	2,681.81	378.73	-6

एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2015-16 से 2019-20 तक मूल्य रुपये के शब्दों में 23% तक बहुत बड़ा गिरावट रहा है। गिरावट की ट्रेन्ड पिछले चार सालों में जारी रही है।


2019-20 के दौरान नॉन-एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 74,406 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 1,134.37 करोड़ (160.20 मिलियन यूएस \$) था। नॉन-एफसीवी तम्बाकू के निर्यात, पिछले वर्ष की तुलना में परिमाण के शब्दों में 7% वृद्धि दर्ज की है। मूल्य के शब्दों में, नॉन-एफसीवी तम्बाकू का निर्यात पिछले वर्ष के निर्यातों की तुलना में रुपये और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 6% और 4% वृद्धि दर्ज की है। कुल मिलाकर एफसीवी तम्बाकू के निर्यातों में गिरावट नॉन-एफसीवी सेगमेंट में वृद्धि द्वारा अंशतः प्रतिसन्तुलन की गई।

1.2.2 अनिर्मित तम्बाकू के क्षेत्र वार निर्यात :

पश्चिम यूरोप क्षेत्र कुल निर्यातों में लगभग 38% हिस्सा के साथ मूल्य के शब्दों में, भारतीय तम्बाकू के लिए प्रधान गन्तव्य स्थान बना हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र को निर्यात में 8.49% वृद्धि हुई है। 2019-20 के दौरान दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई (0.27%) छोटा वृद्धि दर्ज की है। आस्ट्रेलेशिया को निर्यात यद्यपि महत्वपूर्ण नहीं है, को पिछले वर्ष की अनुरूप अवधि की तुलना में 14.19% वृद्धि हुई है। फिर भी, उत्तर & दक्षिण अमेरिका (-32.31%), मध्य पूर्व (-13.38%), आफ्रिका (-10.72%) और पूर्व यूरोप (-7.32%) के क्षेत्रों में गिरावट की स्थिति देखी गई।

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	2019-20			2018-19			% परिवर्तन (मूल्य)
	परिमाण	कुल में % शेयर	मूल्य	परिमाण	कुल में % शेयर	मूल्य	
पश्चिम यूरोप	60,502	33.48	1,451.95	54,808	29.94	1,338.32	8.49
पूर्व यूरोप	24,163	13.37	610.42	26,549	14.50	658.60	-7.32
मध्य पूर्व	24,022	13.29	381.62	25,061	13.69	440.55	-13.38
दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया	36,471	20.18	803.44	36,523	19.95	801.31	0.27
अफ्रीका	23,245	12.86	381.63	24,129	13.18	427.45	-10.72
उत्तर और दक्षिण अमेरिका	12,056	6.67	177.30	15,777	8.62	261.93	-32.31
आस्ट्रेलेशिया	257	0.14	9.82	217	0.12	8.60	14.19
कुल	1,80,716	100.00	3,816.18	1,83,064	100.00	3,936.76	-3.06



1.2.3 अनिर्मित तम्बाकू का देश वार निर्यात (शीर्ष 10 बाजार) :

क्र. सं.	देश	2019-2020			2018-2019			मूल्य में परिवर्तन % ₹ करोड
		परिमाण मेट्रिक टनों में	मूल्य करोड़ ₹ में	मूल्य मिलियन यूएस \$ में	परिमाण मेट्रिक टनों में	मूल्य करोड़ ₹ में	मूल्य मिलियन यूएस \$ में	
1	बेलजियम	43,052.03	1,086.36	153.41	34,933.50	891.13	127.49	21.91
2	ईजिप्ट	15,881.41	207.08	29.24	15,419.46	206.83	29.59	0.12
3	फिलिपैन्स	11,290.58	169.28	23.90	15,069.38	243.45	34.83	-30.47
4	यूएई	9,036.76	161.73	22.83	9,349.79	168.11	24.05	-3.80
5	येमन	7,964.60	87.06	12.29	6,838.97	68.18	9.75	27.69
6	कोरिया	7,653.96	200.91	28.37	7,994.12	199.35	28.52	0.78
7	नेपाल	7,149.20	189.15	26.71	5,798.00	144.19	20.63	31.18
8	इंडोनेशिया	6,378.55	148.37	20.95	2,713.00	82.03	11.74	80.87
9	रूस	5,986.95	152.67	21.56	6,409.37	174.43	24.95	-12.47
10	यूएसए	5,035.77	61.63	8.70	5,242.78	69.60	9.96	-11.45

बेलजियम, जो शीर्ष आयात देश है, को 2019-20 के दौरान मूल्य रुपये के शब्दों में निर्यात में 21.91% वृद्धि दिखाई गई है। अन्य प्रमुख बाजारों में इंडोनेशिया (80.87%), नेपाल (31.18%), येमन (27.69%), कोरिया (0.78%) और ईजिप्ट (0.12%) है, जो उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई गई।

अन्य प्रधान निर्यात बाजारों में से फिलिपैन्स (-30.47%), रूस (-12.47%), यूएसए (-11.45%) और यूएई (-3.80%) है, जो गिरावट दिखाई गई।

1.3 तम्बाकू उत्पादों के निर्यात :

वर्ष 2019-20 के दौरान, सिगरेट और सिगारिल्लोस (एचएस कोड 2402) के निर्यात, परिमाण के शब्दों में 9% और रुपये के शब्दों में 5% सकारात्मक वृद्धि के साथ 10,782 मेट्रिक टनों के क्रम में रहा था, जिस का मूल्य ₹ 571.74 करोड़ (यूएस \$ 80.74 मिलियन) था, जब कि 2018-19 के दौरान निर्यातित 9,879 मेट्रिक टन का मूल्य ₹ 544.42 करोड़ (यूएस \$ 77.89 मिलियन) था ।


अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड 2403), जो 2018-19 के दौरान निर्यातित ₹ 1,519.84 करोड़ (यू एस \$ 217.43 मिलियन) मूल्य में निर्यातित 27,574 मेट्रिक टनों की तुलना में ₹ 1,581.68 करोड़ (यू एस \$ 223.37 मिलियन) के 25,895 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था । अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड 2403) पिछले वर्ष के दौरान किये निर्यातों की तुलना में परिमाण के शब्दों में 6% गिरावट हुई । फिर भी, इस उत्पादों के निर्यात मूल्य रुपये के शब्दों में 4% वृद्धि दिखाई गई ।

कुल तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड 2402 & 2403) पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान परिमाण के शब्दों में 2% गिरावट हुई । फिर भी, कुल तम्बाकू उत्पादों के निर्यात 2018-19 के दौरान किये निर्यातों की तुलना में मूल्य रुपये के शब्दों में 4% वृद्धि हुई ।

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उत्पाद संवर्ग	2019-20			2018-19		
		परिमाण	व-द-व %परिवर्तन	मूल्य	व-द-व %परिवर्तन	परिमाण	मूल्य
	सिगरेट & सिगारिल्लोस (एचएस कोड 2402)						
1	सिगरेट	10,717	9.69	564.47	4.88	9,770	538.23
2	सिगार	65	-40.37	7.27	17.45	109	6.19
	उप कुल	10,782	9.14	571.74	5.02	9,879	544.42
	अन्य उत्पाद (एचएस कोड 2403)						
1	चर्वण तम्बाकू / जर्दा	17,592	-5.85	1,384.53	4.79	18,686	1,321.21
2	कट तम्बाकू	4,766	29.02	100.02	41.99	3,694	70.44
3	हुक्का तम्बाकू पेस्ट	3,262	-31.14	59.06	-20.71	4737	74.49
4	बीडी	216	-40.66	32.74	-30.64	364	47.2
5	स्नफ	59	-36.56	5.33	-18.13	93	6.51
	उप कुल	25,895	-6.09	1,581.68	4.07	27,574	1,519.84
	महा योग	36,677	-2.07	2,153.42	4.32	37,453	2,064.26

तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (मूल्य ₹ करोड़ में)



II. निर्यात उन्नयन गतिविधियाँ :

II.1 तम्बाकू व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना :

तम्बाकू बोर्ड, भारतीय अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू व्यापारी मेलों / प्रदर्शनियों में प्रति वर्ष भाग ले रहा है। 2019-20 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड तीन विशेष तम्बाकू अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिये।

क) विश्व तम्बाकू मध्य पूर्व - दुबाई :

तम्बाकू बोर्ड ने, दि. 03 से 04 अप्रैल, 2019 तक दुबाई में संपन्न विश्व तम्बाकू मध्य-पूर्व 2019 में भाग लिया, इस प्रदर्शनी में 18 स्के.मी. का एक स्टॉल को सुव्यवस्थित किया गया था। इस प्रदर्शनी में भाग लेने दुबाई को श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड और श्री के. रवि कुमार, प्रबंधक (नीलाम), तम्बाकू बोर्ड को प्रतिनियुक्त किये गये थे। तम्बाकू बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न श्रेणियों के पत्ते नमूनाओं के अलावा नॉन-एफसीवी तम्बाकू के पत्ते नमूना जैसे., हल्की मिट्टी बर्ली, एचडीबीआरजी, डार्क फायर क्यूरेड, ओरियंटल और सूर्य क्यूरेड देशी तम्बाकू आदि., नमूनाओं को भी प्रदर्शित किया था। तम्बाकू बोर्ड ने, तम्बाकू उत्पादों के नमूनाओं जैसे., सिगरेट और स्नफ को भी प्रदर्शित किया था।

इस प्रदर्शनी में ईटली, चीना, जोर्डान, यूएई, यूके, भारत, ग्रीस, लिथुनिया, इंडोनेशिया, स्विजडरलान्ड, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रेजिल और जिम्बाब्वे आदि को मिलाकर पूरे विश्व से 200 प्रदर्शक भाग लिये। केवल, भारत से पत्ते तम्बाकू, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद और पैकिंग सामग्री से संबंधित 11 प्रदर्शक इस प्रदर्शनी में भाग लिये।

इस व्यापार मेले के दौरान, तम्बाकू बोर्ड के पदाधिकारियों ने तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियों और शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर सभी अतिथियों को एक मिनट अवधि का विडियो प्रदर्शित किया। 2018-19 आन्ध्र प्रदेश फसल के आर्गनिक रूप से तैयार किये गये सिगरेटों को संदर्शकों के लिए उपलब्ध कराये गये, जिन्होंने इस सिगरेटों को स्वाद लिये और इस कार्बनिक सिगरेटों पर अपने फीडबैक दिये हैं, अनिर्मित तम्बाकू के भारतीय निर्यातकों, सिगरेट और अन्य उत्पादों के निर्माणकर्ताओं के संपर्क विवरण सभी व्यापारी संदर्शकों को इस स्टॉल में उपलब्ध कराये गये।

इस प्रदर्शनी में भाग लिये लगभग सभी देशों के संदर्शकों तम्बाकू बोर्ड के स्टॉल को विजिट किये और इसमें से अधिकाधिक संदर्शक भारतीय तम्बाकू पर रुचि दिखाये और अधिकारियों से और स्टॉल में रहे निर्यातकों से पूछताछ किये थे। संदर्शकों से परस्परिक बातचीत के दौरान तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों ने तम्बाकू बोर्ड के अधिदेश (मानडेट) और भारतीय तम्बाकू की ब्राण्ड स्थिति को प्रमोट करने विभिन्न विस्तार और विकासात्मक कार्यकलापों के बारे में सविस्तार रूप से बताये गये।

ख) विश्व तम्बाकू एशिया-सुरबाया, इंडोनेशिया

तम्बाकू बोर्ड दि. 16 से 17 अक्टूबर, 2019 तक सुरबाया, इंडोनेशिया में संपन्न विश्व तम्बाकू एशिया, 2019 में भाग लिया। श्री टी.बी.रवि, निदेशक (नीलाम), तम्बाकू बोर्ड इस प्रदर्शनी में संदर्शक के रूप में भाग लिया। इंडोनेशिया, जो एशिया में सिगरेट बाजार में चीन के बाद दूसरा बड़ा सिगरेट बाजार होने के कारण इंडोनेशिया को भारतीय अनिर्मित तम्बाकू के निर्यातों में वृद्धि लाने के



लिए तम्बाकू बोर्ड को इस सुअवसर को उपयोग करने का इरादा रहा था। इस प्रदर्शनी के दौरान, तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों सभी स्टॉलों के विजिट किये और इंडोनेशिया के घरेलू निर्माणकर्ताओं और पत्ता व्यापारियों पर अधिक फोकस के साथ पत्ता व्यापारियों और विदेशी ग्राहकों से बातचीत भी किये थे। तम्बाकू बोर्ड भी विदेशी ग्राहकों और भारतीय निर्यातकों, जिन्होंने इस प्रदर्शनी में भाग लिये थे, के बीच संपन्न बी2बी बैठकों में भाग लिया और विदेशी ग्राहकों को भारतीय तम्बाकू के यूएसपी के बारे में विशेष रूप से बताये गये।

ग) टीएबी एक्सपो-अमेस्टरडॉम, नेथरलान्ड्स :

तम्बाकू बोर्ड दि. 12 से 14 नवंबर, 2019 तक टीएबीएक्सपो 2019, अमेस्टरडॉम, नेथरलान्ड्स में भाग लिया और इस प्रदर्शनी में 15 स्के.मी. में एक स्टॉल को सुव्यवस्थित किया गया था। बोर्ड ने, एफसीवी और नॉन-एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न श्रेणियों के पत्ते नमूनाओं को प्रदर्शित किये थे। आर्गानिक तम्बाकू नमूनाओं को, जो प्राकृतिक खेती विधान के अन्तर्गत उत्पादित किये थे, को भी भारतीय एफसीवी तम्बाकू के आर्गानिक उत्पादन की पहलूओं को उजागर करने के लिए प्रदर्शित किये गये थे। श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक और श्री जी. बुल्ली सुब्बाराव, नीअ / वश्रेअ, निर्यात & बिपणन अनुभाग, तम्बाकू बोर्ड इस प्रदर्शनी में भाग लिये।

टीएबीएक्सपो 2019 प्रदर्शनी में आपूर्ति शृंखला के हर एक हिस्से से, जिसमें सिगार, कट रॉग, रैपर और पूरे विश्व से पत्ता आयात और निर्यात देश जैसे., ईटली, चीन, इंडोनेशिया, यूएसए, ब्रेजिल, जिम्बाब्वे, टर्की, यूएई, यूके, जर्मनी, फ्रान्स, स्विट्जरलैंड, बलगेरिया, अजरबैजान, रूस, ग्रीस, लिथूनिया, आस्ट्रेलिया, ईरान, ईराक और अन्य देशों से लगभग 100 प्रदर्शकों इस प्रदर्शनी में भाग लिये। भारत से पत्ता तम्बाकू, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद और उत्पाद अखंडता से संबंधित 04 प्रदर्शकों इस प्रदर्शनी में भाग लिये। तम्बाकू बोर्ड ने, भारतीय निर्यातकों और

उसके ग्राहकों के बीच व्यापारी अवसरों पर एक-से-एक पारस्परिक चर्चाओं के द्वारा बैठकों की सुविधा प्रदान की। कई भारतीय निर्यातकों ने तम्बाकू बोर्ड का स्टॉल को, जो इस स्टॉल में रखे गये भारतीय तम्बाकू नमूनाओं को दिखाते समय अपने ग्राहकों और व्यापारियों से बातचीत करने का सुअवसर को उपयोग किये।



तम्बाकू बोर्ड को गोल्डेन लीफ पुरस्कार, 2019 प्रदान :

दि. 13/11/2019 को टबएक्सपो 2019 के साथ तम्बाकू रिपोर्टर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में तम्बाकू बोर्ड को गोल्डेन लीफ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक को वर्ष 2019 के लिए 'सबसे प्रभावशाली लोक सेवा पहल' के अन्तर्गत यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

एफसीवी तम्बाकू खेती में इस तरह की अद्वितीय और प्रथम पहलू को जीवित रखने जैसे., आर्गानिक तम्बाकू उत्पादन के लिए प्राकृतिक खेती के तरीकों की शुरुआत, 365 दिन हरित कवर का प्रारंभ और तम्बाकू किसानों और व्यापारीवर्ग के द्वारा अनिवार्य रूप से वृक्षों को लगाने के द्वारा हरित कवर विकास पहलू आदि., के लिए यह पुरस्कार तम्बाकू बोर्ड को प्राप्त हुआ। तम्बाकू बोर्ड के अन्य पहलू जैसे., हरित खाद के माध्यम द्वारा मिट्टी स्वास्थ्य की सुधार, उन्नत नर्सरी तकनीकियों को बढ़ावा, गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएस) के उन्मूलन, पेस्टिसाईड अवशेषों के उन्मूलन आदि., हैं, जो तम्बाकू बोर्ड को गोल्डेन लीफ पुरस्कार, 2019 को प्रदान करने के लिए माना गया था।



II.2. चीन को तम्बाकू व्यापारी प्रतिनिधि-मंडल का विजिट :

कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड के नेतृत्व में सात सदस्य तम्बाकू व्यापारी प्रतिनिधि-मंडल ने भारतीय तम्बाकू निर्यातों को पुनः प्रारंभ करने की अवसरों को पता लगाने दि. 24 से 28 जून, 2019 तक चीन का दौरा किया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल रहे थे :

क्र. सं.	प्रतिनिधि का नाम श्री / श्रीमती	पदनाम	संस्था
	पदाधिकारी		
1	के. सुनीता, भा.प्र.से.,	कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष (प्रभारी)	तम्बाकू बोर्ड
2	अय्यपुशेटी जीवन कुमार	क्षेत्र अधिकारी	तम्बाकू बोर्ड
	तम्बाकू व्यापारीवर्ग से सदस्य		
3	मुडुमाल इस्साक डेविड	प्रभागीय प्रबंधक-निर्यात	मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड - एबीडी
4	डाका सुब्रह्मण्य जितेन्द्र कुमार	उपाध्यक्ष	मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड
5	शफीख यूआर. रहमान खान	निदेशक	मेसर्स. डक्कन टुबाको कंपनी
6	बोम्मिडाला श्रीमन्नारायण	निदेशक	मेसर्स. प्रीमियर टुबाको पेकर्स प्राइवेट लिमिटेड.
7	मद्दी वेंकटेश्वर राव	प्रबंध निदेशक	मेसर्स. मद्दी लक्ष्मय्या & कं.

यह प्रतिनिधि मंडल कुन्मिंग और जेजियांग प्रोवीन्स के प्रांतों में तम्बाकू अनुसंधान सुविधाओं और पैदावार के क्षेत्रों को विजिट किये थे। यह प्रतिनिधि-मंडल ने भारतीय दूतावास पदाधिकारियों के साथ श्री जांग जियानमिन, मुख्य आयुक्त - एसटीएमए और उनके दल के सदस्यों के साथ बीजिंग में एसटीएमए का कार्यालय में संपन्न बैठक में भाग लिये थे।

इस बैठक में निम्नलिखितों पर चर्चा किये थे :

- चीन देश की ओर से भारतीय तम्बाकू की स्थिति का मूल्यांकन करने एक प्रतिनिधि मंडली को भारत भेजने के लिए सहमति व्यक्त की।
- चीन भी बीज और पत्ते गुणवत्ता पहलूओं में भारत के साथ तकनीकी सहयोग में प्रवेश करने के लिए सहमति व्यक्त की।
- विश्व तम्बाकू किस्म उद्यान, थुन्नान में भारतीय तम्बाकू को पैदा करने के लिए चीन की ओर से अनुकूल प्रति-क्रिया व्यक्त किये।

II.3 विदेश को व्यापारी प्रतिनिधि-मंडल :

चीन को भारतीय तम्बाकू व्यापारी प्रतिनिधि-मंडल का विजिट के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा किये आमंत्रण के फलस्वरूप एसटीएमए, चीन ने श्री जांग हो, चीन तम्बाकू इंटरनेशनल (सीटीआई) - उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधि-मंडल को दि. 04 से 08 दिसंबर, 2019 तक भारत को विजिट करने के लिए भेजा था।

इस प्रतिनिधि-मंडल का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	नाम	कंपेनी	पदनाम
1	जॉंग हो	चीन तम्बाकू इंटरनेशनल आईएनसी.	उपाध्यक्ष
2	लू हॉंग	चीन तम्बाकू इंटरनेशनल आईएनसी.	विभाग उप निदेशक
3	ली रूई	चीन नेशनल लीफ तम्बाकू आईएनसी.	विभाग उप निदेशक
4	जी लिमिंग	चीन तम्बाकू इंटरनेशनल आईएनसी.	विभाग उप निदेशक
5	वांग यिहाई	यून नान टोबाको मोनोपोली प्रशासन	विभाग प्रबंधक
6	हे वेनमियाओ	चीन टोबाको जोजियांग इंडस्ट्रीयल कं. लिमिटेड	तम्बाकू इंजिनियर
7	फू जियांगो	चीन टोबाको हुनान इंडस्ट्रीयल कं. लिमिटेड	तम्बाकू अग्रनामिस्ट
8	हू कियांग	चीन टोबाको जुयांग डांग इंडस्ट्रीयल कं. लिमिटेड	तम्बाकू अग्रनामिस्ट



यह प्रतिनिधि-मंडल प्रधान निर्माणकर्ताओं के तम्बाकू थ्रेडिंग प्लांटों को विजिट किया और तम्बाकू नमूनाओं को निरीक्षण किया और एफसीवी और नॉन-एफसीवी तम्बाकू के 11 तम्बाकू नमूनाओं को मूल्यांकन करने के लिए अपने साथ ले लिये। यह प्रतिनिधि-मंडल तम्बाकू खेती प्रथाओं के बारे में पता लगाने तम्बाकू क्षेत्रों को भी विजिट किये थे। यह प्रतिनिधि-मंडल प्राकृतिक खेती प्रथाओं के उपयोग करते हुए तम्बाकू उत्पादन करने में अपने रुची दिखाई है। यह प्रतिनिधि-मंडल ने एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि-मंडल को भारत भेजने के लिए आश्वासन दिया।

आगे इस प्रतिनिधि-मंडल के विजिट के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने भारतीय तम्बाकू उद्योग की ओर से चीन तम्बाकू इंटरनेशनल (सीटीआई) से भारतीय तम्बाकू को विश्लेषण करने और भारतीय निर्यातकों से बांछित श्रेणियों के नमूनाओं और मूल्य को कोट करने के लिए अनुरोध किया। नमूनाओं के अनुमोदन के आधार पर भारतीय तम्बाकू के आयात के लिए आदेश रखने के लिए सीटीआई से अनुरोध भी किया गया था। तम्बाकू बोर्ड भी सीटीआई को सुझाव दिया कि भारतीय तम्बाकू खरीदी के लिए एमएनसी से टै-अप करने और अपने स्वयं वाणिज्यिक वेंचर (सीटीआई - इंडिया) को प्रारंभ करने के द्वारा भारतीय तम्बाकू को प्रोत्साहित करें। तम्बाकू बोर्ड भी सीटीआई द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता तम्बाकू को उत्पादन करने तकनीकी सहयोग में प्रवेश करने और बर्ली & अन्य तम्बाकू में अनुबंध खेती के लिए सीटीआई से अनुरोध किया। सीटीआई को यह भी अनुरोध किया गया कि चीन के अपने विदेशी सिगरेट

निर्माणकर्ता कंपनियों में भारतीय तम्बाकू का उपयोग के बारे में जाँच करे। तम्बाकू बोर्ड भी प्रतिनिधि-मंडल को यह आश्वासन दिया कि भारतीय तम्बाकू आयात में सीटीआई द्वारा आवश्यक सभी सहायता प्रदान करेगा।

प्रतिनिधि-मंडल ने सूचित किया कि यह यात्रा पूर्ण सफल रहा था और वे भारतीय तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों की पूरी श्रृंखला और भारतीय निर्यातकों द्वारा दिखाये गये प्रोफेशनल विशेषज्ञता से प्रभावित हुए थे। उन्होंने विशेष रूप से टिप्पणी की है कि भारत में उगाये जाने वाले एफसीवी तम्बाकू की गुणवत्ता पिछले 10 वर्षों पहले उगाये तम्बाकू की तुलना में बहुत सुधार हुआ था। यह प्रतिनिधि-मंडल यह भी सूचित किया कि अपनी नमूना आवश्यकताओं और अन्य विवरणों के बारे में तम्बाकू बोर्ड को सूचित करेंगे। तम्बाकू बोर्ड भी भारतीय दूतावास, बीजिंग के माध्यम से इस मामले का अनुवर्ती कर रही है।



III. वाणिज्य पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन संदर्शन :

वाणिज्य पर विभागीय संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन संदर्शन “कृषि & समुद्र उत्पादों, बागान फसलों हल्दी और कायर का निर्यात” संबंधित विषयों पर अध्ययन करने दि. 06/01/2020 से 07/01/2020 तक विजयवाडा में संपन्न हुआ था। यह समिति के अध्यक्ष श्री वी. विजयसाई रेड्डी, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा थे।



इस समिति में समिति के अध्यक्ष के साथ राज्य सभा के 09 सदस्य और लोक सभा के 21 सदस्य कुल मिलाकर 31 सदस्य रहे थे । तम्बाकू बोर्ड को इस समिति की विजयवाडा यात्रा संबंधित व्यवस्थाओं को देखने का कार्य सौंपा गया था । श्री वी. विजयसाई रेड्डी, समिति के अध्यक्ष के साथ 10 संसद सदस्य (राज्य सभा-01, लोक सभा-09) और राज्य सभा सचिवालय के पदाधिकारियों विजयवाडा के अध्ययन यात्रा में भाग लिये हैं । संसदीय समिति की यात्रा के दौरान, दि. 06 जनवरी, 2020 को विजयवाडा में तम्बाकू बोर्ड और अन्य पणधारियों के साथ एक बैठक संपन्न हुई और 'कृषि और समुद्र उत्पादों, बागान फसलों, हल्दी और कॉयर का निर्यात' पर समीक्षा के साथ-साथ तम्बाकू बोर्ड के कार्य प्रदर्शन पर समीक्षा किया गया था ।

श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड ने 2019-20 के दौरान बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर जोर देते हुए तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियों पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दी । बोर्ड के प्रारंभ से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात निष्पादन के साथ-साथ निर्यातों पर विस्तृत विश्लेषण को समिति के सामने प्रस्तुत की । यह समिति ने किसानों के प्रतिनिधियों से फसल उत्पादन में उनके द्वारा आने वाली समस्याओं पर और व्यापारीवर्ग से निर्यातों में उनके द्वारा सामना करने वाले विषयों पर संक्षेप विचार-विमर्श किये ।

यह समिति ने तम्बाकू उद्योग से संबंधित प्रथम हस्त्य ज्ञान के लिए स्थानीय तम्बाकू प्रोसेसिंग प्लान्टों का विजिट भी किया था ।

राजभाषा कार्यान्वयन

2019-20 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए हर प्रकार के कदम उठाये गये।

राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदम

- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये गये।
- सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ पत्र - व्यावहार हिन्दी में किया गया। 'ख' & 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को कुछ पत्र द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- बोर्ड की प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें, जिनको संसद के सामने रखना है, को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करके प्रस्तुत किया गया।
- बोर्ड के विभिन्न अनुभागों के, फार्मों एवं आवेदन पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया।
- मानक मुद्रण लेखन-सामग्री याने., - लिफाफें, मिसिल फोल्डरों, पत्र शीर्षों आदि., को द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया गया।
- सारे रबड मोहरें, द्विभाषिक रूप में बनायी गयी तथा सभी नाम-पट्ट त्रिभाषिक/ द्विभाषिक रूप में बनाये गये।
- 'क' क्षेत्र में स्थित मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों को भेजे गये लिफाफों पर पते हिन्दी में मुद्रित किये गये तथा 'ग' क्षेत्र के लिए द्विभाषिक रूप में मुद्रित किये गये।

हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यक्रम

बोर्ड के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित किया गया। जून, 2019 सत्र के दौरान कर्मचारियों क्रमशः पारंगत (02), प्रबोध (01), प्रवीण (05) और प्राज्ञ (02) कक्षाओं को सफलता पूर्वक समाप्त किये थे।

“हर दिन एक शब्द सीखो” हिन्दी योजना का प्रचार

प्रति दिन एक हिन्दी शब्द, उसके अंग्रेजी अर्थ के साथ प्रेस्टोसाइन बोर्ड पर कार्यालय के प्रवेश - द्वारा पर प्रदर्शित किया गया। हिन्दी प्रचार से संबंधित प्रसिद्ध नेताओं एवं चिन्तकों के उद्धरणों को कार्यालय की मुख्य जगहों में प्रदर्शित किया गया।

हिन्दी सप्ताह :

तम्बाकू बोर्ड में 16 से 20 सितम्बर, 2019 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस समारोह में दि. 16 से 17 सितम्बर, 2019 तक चार मेज कार्यशालाएँ (चार अनुभाग), जो हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों में कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आयोजित किये गये। दि. 18 सितम्बर, 2019 से दि. 19 सितम्बर, 2019 तक कर्मचारियों को हिन्दी स्मृति प्रतियोगिता और हिन्दी नोटिंग & टिप्पण प्रतियोगिता आयोजन किये गये। हिन्दी कार्यशाला के प्रतिभागियों और प्रतियोगिता के विजेताओं को ज्ञापिकाएँ तथा पुस्तकें पुरस्कार के रूप में वितरित किये गये।

हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकालय :

सम्प्रति, बोर्ड में कुछ हिन्दी पत्रिकाओं के साथ एक हिन्दी दैनिक “हिन्दी मिलाप” अखबार उपलब्ध किया गया। कुछ हिन्दी पुस्तकें, उपन्यास और रामायण, महाभारत आदि., जैसे महाकाव्य, लघु - कथा पुस्तकें विभिन्न शब्द कोष, शब्दावलिआँ आदि, ग्रन्थालय में उपलब्ध किये गये।

कम्प्यूटरों में हिन्दी :

सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी साफ्टवेयर लोड किया गया तथा उनका उपयोग किया जा रहे हैं।

हिन्दी कार्यशाला :

इस अवधि के दौरान चार (02 दिन - प्रतिदिन 02 अनुभाग) मेज हिन्दी कार्यशालाएँ, जो हिन्दी सप्ताह के दौरान याने., दि. 16 से 17 सितम्बर, 2019 तक आयोजित की गई। यह मेज कार्यशाला तम्बाकू बोर्ड के हिन्दी विभाग द्वारा प्रारूपित एक नवीनतम कल्पना है, जहाँ हिन्दी स्टाफ (प्रत्येक) कर्मचारी के मेज के पास (व्यक्तिगत रूप से) जाकर उनकी शंकाओं का समाधान करता है, जिससे हिन्दी कार्य प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

वित्त एवं लेखा

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुदानों और उधारों के तौर पर तम्बाकू बोर्ड को निधियों का संदाय कर सकेगी। 1991-92 से तम्बाकू बोर्ड, केन्द्र सरकार से बजट व्यय और योजनाओं के लिए किसी प्रकार की अनुदान या ऋण नहीं लिया। तम्बाकू बोर्ड द्वारा जेनरेट आंतरिक साधन, अधिनियम के अनुसार अपने गतिविधियों को जारी करने इसके व्यय को पूरा करने और वेतन, भत्ता और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के अन्य मेहनताना उठाने के लिए पर्याप्त है।

I) आंतरिक स्रोत :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14-क के प्रावधानों के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड अपने नीलाम प्लैटफार्मों पर विपणित तम्बाकू के मूल्य पर, प्रदत्त सेवाओं के लिए 'सेवा प्रभार' के रूप में 2% के हिसाब से शुल्क लगाता है। इस प्रकार लगाये गये सेवा प्रभार को ग्राहकों के द्वारा बेचे गये तथा क्रेताओं के द्वारा खरीदे गये तम्बाकू के मूल्य पर उत्पादक एवं क्रेता-प्रत्येक से @1% के दर पर, सामान्य रूप से, वसूल किया जाता है। साथ-साथ तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम, 1984 के नियम 13(2) के अनुसार, नीलामियों में भाग लेने वाले क्रेताओं से बोर्ड, 'प्राधिकार शुल्क' को वसूल करता है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों, बखार प्रचालकों, नर्सरीमेन, डीलरों, निर्यातकों, पैकरों, प्रोसेसरों एवं निर्माताओं से बोर्ड पंजीकरण शुल्क वसूल करता है।

बोर्ड पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर सरकार प्रति वर्ष अपने राजपत्र अधिसूचना द्वारा जुर्माना लगायेगी। 2019 नीलामियों के दौरान, प्रधिकृत 10% कोटा से अधिक सीमा तक पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू की बिक्री के लिए ₹ 2/- प्रति किलो के हिसाब से और बिक्री प्रोसीडों से 5% अतिरिक्त प्रभार लगाये हैं। आगे, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में अप्राधिकृत उत्पादित तम्बाकू के लिए पंजीकृत ग्राहकों और अपंजीकृत ग्राहकों से प्राधिकृत कोटा के अतिरिक्त 10% तम्बाकू की बिक्री पर ₹ 2/- प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीडों से 15% अतिरिक्त शुल्क लगाये, जिसमें तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 14-क के प्रावधानों के अनुसार 1% साधारण सेवा प्रभार शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड के आन्तरिक स्रोतों, जिसमें सेवा प्रभार, क्रेता प्राधिकरण शुल्क, व्यापारियों & ग्राहकों से रजिस्ट्रेशन शुल्क, मियादी जमाओं पर ब्याज और डेमोरेज प्रभारों के विविध रसीदें और विलंबित भुगतानों पर ब्याज आदि., हैं, से संबंधित सं.आ. 2019-20 में किये ₹11,871.15 लाख का बजट प्रावधान (प्राप्तियाँ) के विपरीत ₹15,558.10 लाख की राशि उपार्जित की।

II) बजट प्राक्कलन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करता है और सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले तारीखों में अथवा उसके पहले केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा ।

तदनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रस्ताव अर्थात् बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन क्रमशः ₹ 23,204.50 लाख तथा ₹ 18,678.00 लाख के आऊटले के साथ पूँजी व्यय और स्थापना केलिए राजस्व व्यय, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलामियों को आयोजित करने और विस्तार & विकासात्मक योजनाओं, उत्पादन योजनाओं और व्यापार स्कंध योजनाओं के अंतर्गत योजनाओं पर उठाये गये प्रशासनिक व्यय से संबंधित व्यय को (कवर) तैयार किया। सरकार को, उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये गये थे ।

बजट आऊटले ₹ 18,678.00 लाख के विपरीत विभिन्न लेखा शीषों के अंतर्गत व्यय के रूप में ₹ 12,951.20 लाख की रकम की व्यवस्था की गई ।

2008-09 से 2019-20 तक योजना तथा गैर - योजना के अंतर्गत वास्तविक निधियों की गति को दर्शानेवाली तालिका पृष्ठ सं. 123 में दी गई है ।

वर्ष 2019-20 के तम्बाकू बोर्ड के तम्बाकू निधि के लेखाओं के लिये तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और तम्बाकू निधि के लेखा की प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण, जिसमें वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध को सहायता अनुदान), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना (टैयर-1), तम्बाकू ग्रायर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि की एरमार्क निधि लेखाओं के वित्तीय विवरणियों के लेखाओं पर नोट के साथ वर्ष 2019-20 के लिए बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करके रिपोर्ट में संलग्न की गई है ।

दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने, दि. 31 मार्च, 2020 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के साथ संलग्न तुलन पत्र, उसी दिन को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा की, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19(2) के साथ पढ़े जाने पर, नियंत्रक एवं महालेखाकार (कर्तव्य अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत, लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में सभी नीलाम प्लेटफार्म, संपर्क एवं प्रादेशिक कार्यालयों तथा नीलाम निदेशालय, बेंगलूर के लेखें शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणियाँ, तम्बाकू बोर्ड प्रबंध की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर एक राय प्रकट करना हमारा दायित्व है।
2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धतियों के अनुसरण, लेखाकरण मानकों तथा उद्घोषण नार्म आदि., के संबंध में, लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। न्याय, नियम एवं विनियम (सम्पत्ति एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा मन्तव्यों, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा अलग तौर पर रिपोर्ट की जाती है।
3. हमने, भारत में आम तौर पर माने गये लेखाकरण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा चलाई है। इन मानक के अनुसार, हमें इस प्रकार योजना बनाकर लेखापरीक्षा चलाई है, ताकि वित्तीय अश्वासन प्राप्त हो सके। लेखा-परीक्षा के तहत परीक्षण पद्धति पर जाँच, रकमों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणियों में उद्घोषणाएँ शामिल हैं। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन के द्वारा अपनाये गये लेखाकरण सिद्धांत तथा प्रबंधन के द्वारा किये गये उल्लेखनीय आकलन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी राय के लिए हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उचित आधार का प्रावधान करती है।
4. लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निवेदन करते हैं कि :
 - (i) हमने, अपने सर्वोत्तम एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं विवरणियों को प्राप्त किया है।
 - (ii) इस रिपोर्ट में (चर्चित) तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा / प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित (एक-रूप) लेखा फार्मेट में तैयार किया है।
 - (iii) हमारी राय में जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के साथ पढ़े जाने पर, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1975 की धारा 19(1) के तहत अपेक्षितानुसार तम्बाकू बोर्ड द्वारा समुचित लेखा बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया है।
 - (iv) हम आगे यह निवेदन करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

अचर परिसम्पत्तियाँ

पूर्ण स्वामित्व भवन (अनुसूची 8) : ₹ 133.60 करोड़

- क.1 बोर्ड ने सीपीडब्ल्यूडी/आरआईटीईएस को किये भुगतान की सीमा पर वास्तविक व्यय/व्यय के कुल मूल्य पर विचार करने के बजाय परिसम्पत्तियों को कैपिटलैज किया है। परिसम्पत्ति को कार्यसंचालन की स्थिति में लाने के लिए किये वास्तविक लागत को परिसम्पत्ति के पुस्तकमूल्य में प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए। इस अभ्यास के फलस्वरूप, मूल्यह्रास की गणना अग्रिम भुगतान पर की जा रही है, जो कि एक गलत अभ्यास है, क्योंकि मूल्यह्रास की गणना परिसम्पत्ति के लिए प्रदान किये वास्तविक लागत पर किया जाना चाहिए।

वर्तमान देयताएँ और व्यवस्था (अनुसूची 7)

व्यवस्था

उपदान, अवकाश वेतन और अर्ध वेतन अवकाश निधि लेखा का भुगतान : ₹ 46 करोड

क.2 बोर्ड ने दि.31 मार्च 2020 तक कर्मचारी लाभ दायित्वों का एकचुयेरियल मूल्यांकन नहीं किया है। एकचुयेरियल मूल्यांकन को 1 अक्टूबर 2019 तक किया गया था। इसके फलस्वरूप ए एस 15 का अनुपालन नहीं किया गया है। दि.31 मार्च 2020 के लिए एकचुयेरियल मूल्यांकन की अनुपलब्धता के कारण लेखा-परीक्षा को अल्प प्रावधान राशि पर, यदि कोई हो तो, से संबंधित टिप्पणी करने में सक्षम नहीं है।

ख. आय व व्यय लेखा

आय

सेवाओं से आय (अनुसूची 12) : ₹ 58.95 करोड

ख.1 क्रेताओं और ग्राहकों से वसूल होने वाली सेवा प्रभारों को उपार्जन के आधार पर बहियों में गणन नहीं किया गया था और इसे वसूली की तारीख पर बहियों में गणन किये गये थे। यह देखा गया है कि ₹ 48.38 लाख¹ राशि का सेवा प्रभार को वर्ष 2019-20 के लिए उपार्जन के आधार पर बहियों में गणन नहीं किये गये। इसके फलस्वरूप सेवा प्रभार द्वारा प्राप्त ₹ 48.38 लाख आय की न्यूनोक्ति और इसके फलस्वरूप ₹ 48.38 लाख राशि की चालू परिसम्पत्तियों की न्यूनोक्ति भी हुए थे।

उसी प्रकार वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 1.86 करोड² की सेवा प्रभार की राशि वर्ष 2019-20 में प्राप्त किये गये थे, लेकिन इसकी गणना चालू वर्ष की आय में किये गये थे। इसके फलस्वरूप वर्ष 2019-20 के लिए सेवाओं से प्राप्त आय ₹ 1.86 करोड राशि की अत्युक्ति हुआ है।

ख.2 यह भी देखा गया था कि दि. 31 मार्च 2020 तक सेवा प्रभारों पर सेवा कर / जी एस टी और तम्बाकू उपकर के लिए प्राप्त देयताओं को बहियों में हिसाब नहीं किये गये थे। जैसा कि वित्तीय विवरणियों को लेखाकरण की उपार्जित प्रणाली के आधार पर तैयार किये जाते हैं और वसूली-योग्य सेवा प्रभार और प्रयोज्य सेवा कर / जी एस टी को केवल उपार्जन के आधार पर हिसाब करना होगा।

ख.3 बोर्ड द्वारा सेवा प्रभारों के लेखांकन पर विशिष्ट लेखा-विधि नीति को बोर्ड की महत्वपूर्ण लेखा-विधि नीतियों में शामिल किया जाना चाहिए।

आय

अन्य आय (अनुसूची 18) : ₹ 51.85 करोड

ख.4 उपरोक्त में आधिक्य फसल के साथ-साथ वर्ष 2018 के लिए तम्बाकू की अप्राधिकृत खेती, जो कर्नाटका के ग्राहकों से वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुआ था, से संबंधित ₹ 6.73 करोड जुर्माना राशि शामिल है। तम्बाकू बोर्ड ने वर्ष 2018 नीलामियों के दौरान ₹ 18.40 करोड का जुर्माना लगाया गया था लेकिन ₹ 11.67 करोड की राशि को वर्ष 2018-19 के दौरान हिसाब किया गया और ₹ 6.73 करोड की शेष राशि का हिसाब वर्ष 2018-19 के दौरान हिसाब नहीं किया गया था। उपार्जन के आधार पर अन्य आय की लेखाकरण नहीं करने से 'अन्य आय' से संबंधित ₹ 6.73 करोड राशि के लिए अत्युक्ति और 'पूर्ववर्ती अवधि आय' के लिए ₹ 6.73 करोड राशि की न्यूनोक्ति हुआ था।

घ. प्रबंध पत्र

कमियों, जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया गया है, को उपचार/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए, अलग रूप से जारी किये गये प्रबंध पत्र के द्वारा अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के ध्यान में लाया गया।

1. आन्ध्र प्रदेश में दि.02 से 21 मार्च 2020 तक नीलामियों आयोजित किये गये थे और दि.18 से 21 मार्च तक ग्राहकों से उपार्जित सेवा प्रभार राशि ₹ 16.85 लाख को हिसाब नहीं किये गये थे। कर्नाटका में दि.02 से 21 मार्च 2020 तक नीलामियों आयोजित किये गये थे और दि.18 से 21 मार्च तक क्रेताओं से उपार्जित सेवा प्रभार राशि ₹ 31.53 लाख को लेखाओं को हिसाब नहीं किये गये थे।
2. दि.22 मार्च 2019 से 30 मार्च 2019 तक आन्ध्र प्रदेश में आयोजित नीलामियों के लिए प्राप्त ₹ 30.30 लाख सेवा प्रभार की राशि (ग्राहकों से ₹ 15.23 लाख और क्रेताओं से ₹ 15.07 लाख) को 2018-19 में स्वीकार नहीं किये गये थे। दि.01 से 28 मार्च 2019 तक कर्नाटका में आयोजित नीलामियों के लिए प्राप्त ₹ 155.24 लाख सेवा प्रभार की राशि (ग्राहकों से 18 से 28 मार्च तक ₹ 108.88 लाख और 23 से 28 मार्च तक क्रेताओं से ₹ 46.36 लाख) को 2018-19 में स्वीकार नहीं किये गये थे।

- V पूर्वगामी अनुच्छेदों में हमारे मन्तव्यों को, बशर्ते कि हम यह निवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चित तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं ।
- VI हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों, लेखीकरण नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, तथा ऊपर बताये गये उल्लेखनीय शर्तें और इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित बातों को, बशर्ते कि, भारत में आम तौर पर माने जाने वाली लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में एक सच्चा और तटस्थ दृश्य देते हैं:
- क. जहाँ तक तुलन-पत्र के संबंध है, दि 31 मार्च, 2020 के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड, गुण्डूर के मामलों की स्थिति का; तथा
- ख. जहाँ तक आय & व्यय लेखे का संबंध है उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कमी का है ।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की तरफ से

ह/- xx xx xx

(एम.एस. सुब्रह्मण्यम्)

महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 29 दिसंबर, 2020.

अनुलग्नक

1. आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली, जो बोर्ड के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति से पर्याप्त तथा अनुरूप नहीं हैं । वर्ष 2019-20 के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षण संचालित नहीं किया गया था ।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

उक्त बिन्दु सं. 1 के अंतर्गत घोषित आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमी है। तम्बाकू बोर्ड के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, जो संस्था के परिमाण तथा प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप हैं ।

3. अचर परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन कार्यालय प्रधान की पर्यवेक्षण में प्रतिवर्ष किया जाता है और रिपोर्टों को मुख्य कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है । अचर परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्टों के जाँच के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड नियमित अन्तरालों में सत्यापन आयोजित करेगी और ऐसे सत्यापन में कोई सामग्री से संबंधित विसंगतियाँ, जो कि भूमि और भवनों से संबंधित विवरणों को छोड़कर, कुछ नीलाम प्लैटफार्मों/प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्टों में नहीं किये जाते हैं । इसका टिप्पणी किया गया । इस प्रकार, स्थिर परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप है ।

4. वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

तम्बाकू बोर्ड के पास कोई वस्तुसूची (इनवेंटरी) नहीं है लेकिन लेखन-सामग्री और उपभोग्य वस्तुओं को वस्तुसूची (इनवेंटरी) के रूप में माना जाता है । बोर्ड ने प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख के अंत में लागत के आधार पर लेखन- सामग्री के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया । इस प्रकार, तम्बाकू बोर्ड की वस्तुसूची (इनवेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप है ।

5. सांविधिक देय राशियों की अदायगी में नियमितता :

बोर्ड ने, सांविधिक देय राशियों जैसे, संपत्ति कर और सेवा कर आदि., को निर्धारित तारीख के अंदर प्रेषित (भुगतान) किया ।

ह/- xx xx xx

(एम.एस. सुब्रह्मण्यम्)

महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

हैदराबाद

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्डूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि. 31 मार्च, 2020 तक तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

विवरण	अनु-सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कार्पस / पूंजी निधि और देयताएँ			
1. कार्पस / पूंजी निधि	1	63097	59782
2. आरक्षण और उपरी	2	0	0
3. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ	3		
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)		2356	2197
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		2271	2478
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		14963	15582
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		37	30
ड) तम्बाकू ग्रायर्स कल्याण निधि योजना		6268	5912
4. सुरक्षित ऋण और उधार	4	0	0
5. असुरक्षित ऋण और उधार	5	0	0
6. अस्थायित ऋण देयताएँ	6	0	0
7. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	14884	21056
कुल		104042	107196
संपत्तियाँ			
1. स्थिर संपत्तियाँ	8	10429	10777
2. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ से निवेश	9	0	0
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)		2522	2356
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		2271	2478
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		14963	15582
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		37	30
ड) तम्बाकू ग्रायर्स कल्याण निधि योजना		6268	5912
3. निवेश : अन्य	10	0	0
4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि,	11	67552	70061
5. विविध व्यय		0	0
कुल		104042	107196
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ	24	अनुसूचियों में रखा गया	
आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर नोट्स (टिप्पण)	25	अनुसूचियों में रखा गया	

ह/- XX XX XX
 (अदंकि श्रीधर बाबू)
 सचिव

ह/- XX XX XX
 (आर. मुत्तुराज)
 कार्यपालक निदेशक

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
भारत सरकार, गुण्टूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

(₹ लाखों में)

विवरण	अनु-सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आय			
I विक्रियों / सेवाओं से आय	12	5895	6030
II अनुदान / आर्थिक सहायता	13	0	0
III शुल्क / चन्दे	14	329	257
IV निवेशों से आय (उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियों से निधियों को अन्तरित)	15	12	18
V रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि, से आय	16	10	21
VI अर्जित व्याज	17	4094	3788
VII अन्य आय	18	5185	5269
VIII संपूर्ण वस्तुओं के स्टकों में बढ़ती/(घटती) एवं कार्यों में प्रगति	19	0	0
कुल		15525	15383
2. व्यय			
I स्थापना खर्च	20	7646	10159
II अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	4156	3121
III अनुदान, सब्सिडी आदि., पर व्यय	22	0	0
IV व्याज	23	0	0
V मूल्हास (वर्षान्त में निवल योग - अनुसूची - 8 के समरूप)	8	408	462
कुल		12210	13742
3. व्ययोपरि आय के अतिरेक के रूप में शेष (1-2)		3315	1641
I विशेष राजस्व का स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		0	0
II सामान्य रिजर्व का अन्तरण		0	0
III पूर्व वर्षों के भुगतान		0	0
4. कार्पस / पूंजी निधि को ले गये उपरि / घाटे के रूप में शेष		3315	1641
5. उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ	24	अनुसूचियों में रखा	
6. चालू देयताएँ और लेखों पर टिप्पण	25	अनुसूचियों में रखा	

ह/- XX XX XX
 (अदंकि श्रीधर बाबू)
 सचिव

ह/- XX XX XX
 (आर. मुत्तुराज)
 कार्यपालक निदेशक

उद्दिष्ट निधियों की निधि शेष - तुलन पत्र

1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रकंध को अनुदान सहायता) लेखा (₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	2355.92	2196.59
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्वें खाता पर व्याज)	166.06	159.34
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	घ) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	घटाये :		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	2521.98	2355.92
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क+ख-ग)	2521.98	2355.92

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा (₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	2478.20	2503.56
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्वें खाता पर व्याज)	151.76	164.92
	ख) अंशदान	655.39	734.36
	ग) साभनि आग्रम की वसूली	0.25	0.92
	घटाये :		
	क) निकासी	-1014.16	-925.56
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	2271.44	2478.20
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	2271.44	2478.20

3 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	15581.56	15450.98
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्बें खाता पर व्याज)	967.86	1172.75
	ख) पेंशन निधि अंशदान	3000.00	3045.70
	घटाये :		
	क) भा जी नि द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी	-4586.36	-4087.86
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	14963.06	15581.56
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	14963.06	15581.56

4 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना (टायर-1) लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	29.85	27.91
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्बें खाता पर व्याज)	1.96	1.87
	ख) पेंशन निधि अंशदान	144.26	94.83
	घटाये :		
	क) एनएसडीएल, मुंबई को प्रेषित पेंशन अंशदान (पेंशन अंशदान)	-139.42	-94.75
	ख) अन्य भुगतान (बैंक प्रभार)	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	36.65	29.85
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	36.65	29.85

5 तम्बाकू गोयर कल्याण निधि योजना लेखा :

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष			पूर्व वर्ष		
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल
क	अथशेष	3472.96	2439.21	5912.17	3175.31	2437.60	5612.91
ख	निधि लेखा को जोड़ :						
	क) निवेशों से आय	232.74	134.94	367.68	219.12	139.91	359.03
	(मीआदी जमा & बँचें खाता पर ब्याज)						
	ख) गोयर अंशदान	19.77	13.70	33.47	18.69	17.21	35.90
	ग) तम्बाकू बोर्ड का अंशदान	45.57	30.62	76.19	43.89	31.20	75.09
	घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण	189.01	229.56	418.57	195.07	201.30	396.37
	ङ) स्विपिंगों का गोयर का शेयर	26.58	8.46	35.04	19.55	20.73	40.28
	च) जुर्मानाएँ	0.21	0.00	0.21	0.23	0.00	0.23
	छ) ऋणों पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
	ज) विविध भुगतान	0.00	2.91	2.91	7.33	10.51	17.84
	त्र. गोयर अंशदान						
	(ब्रेक इन रजिस्ट्रेशन)	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	3.02
	घटाये :						
	क) गोयरों को मृत्यु राहत	-265.50	-313.20	-578.70	-209.30	-419.25	-628.55
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	3721.33	2546.21	6267.53	3472.96	2439.21	5912.17
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय						
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	3721.33	2546.21	6267.53	3472.96	2439.21	5912.17

ह/- XX XX XX
(पी. मीना कुमारी)
प्रबंधक (वि व ले)

अनुसूची - 24 : 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण प्रथा :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के अनुसार बोर्ड के लेखे निम्नलिखित प्रकार हैं :

1. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के सभी लेखाओं का रखरखाव करेगा ।
2. खास वर्ष में लगे व्यय को अलग शीर्षों एवं उप-शीर्षों के तहत दिखाया जाएगा ।
3. अथशेष, अगर कोई हो तो, अलग रूप से दिखाया जाएगा ।
4. वर्ष के इतिशेष को व्यय पक्ष में प्राप्तियाँ और भुगतान लेखाओं को अलग से दिखाया जाएगा । (प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण को व्यय पक्ष में दिखाया गया।)
5. रिजर्व एवं निवेशों के विवरणों के साथ संपत्तियों एवं देयताओं के विवरण लाने के लिए उपार्जन पद्धति पर तैयार किये गये वार्षिक प्रोफार्मा लेखा ।

2. वस्तुसूची मूल्यांकन :

चालू वर्ष में उपलब्ध लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन वस्तुओं के वास्तविक खरीद दाम पर मूल्यांकित किया गया है और इसे तुलन-पत्र के अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया । लेखन सामाग्री और उपभोक्त वस्तुओं का मूल्य आगामी वर्ष के लिए अथशेष के रूप में दिखाया जाता है ।

3. निवेश :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 की नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार -

1. बोर्ड के चालू व्यय के लिये अपेक्षित धन को, खुदरा रोकड़ के सिवाय, और अधिशेष धन जिला खजाने या उप-खजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में अथवा भारतीय स्टेट बैंक* (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक) या उसके समनुषंगी बैंकों में से किसी में चालू खाते में रखा जाएगा।
2. चालू व्यय के लिये अपेक्षित न की गई किन्हीं निधियों को केन्द्रीय सरकार के पास लोक लेखा खाते में या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उसकी समनुषंगियों में से किसी में नियतकालिक निक्षेपों में रखा जा सकेगा ।

परन्तु बोर्ड की पेंशन निधियाँ भविष्य निधि में की उन निधियों को, जो चालू व्यय के लिये अपेक्षित न हों, न्यासी प्रतिभूतियों या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप पत्रों या राष्ट्रीय रक्षा पत्रों में अनुज्ञेय विस्तार तक, अथवा भारतीय स्टेट बैंक में + (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या उसके समनुषंगी बैंकों में) आवधिक निक्षेप में, अथवा यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण : उप नियम (1) तथा इस उप नियम के उद्देश्य में 'राष्ट्रीयकृत बैंक', जो बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण तथा उद्योग स्थानांतरण) नियम, 1970 (1970 के 5) में उल्लिखितानुसार सदृश्य नया बैंक से अभिप्रेत हैं) ।

3. बोर्ड द्वारा या उसकी ओर ये संदाय नकद या बोर्ड के चालू खाते के प्रति काटे गये चेक द्वारा किया जाएगा ।

4. उत्पाद शुल्क : शून्य

5. स्थिर संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड भूमि & भवनों की उपार्जन तथा अन्य संपत्तियाँ जैसे., फर्निचर & उपकरण, कार्यालय उपकरण, बिजली उपकरण, मोटार वाहन, वेयिंग स्केल, ट्रालियाँ, कंप्यूटर और साईकिल आदि., को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार लागत के आधार पर लिये जाते हैं। इस अप्रयोज्य परिसंपत्तियों को उनके डिस्पोजल / बिक्री पर परिसंपत्तियों से हटाया गया है।

तम्बाकू बोर्ड के सिविल एवं बिजली कार्य सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स जैसे., सरकारी अभिकरणों के द्वारा अपनाया जाता है। निर्माण कार्य से संबंधित हमारे प्रस्ताव के लिए अभिकरणों से आकलन प्राप्ति के बाद, नियमों के अनुसार विभिन्न दशाओं में कार्य समापन होने तक निधि (राशि) रीलीज बोर्ड द्वारा किया जाता है। फार्म-65 में समापन कार्यों के लिए या प्रगताधीन कार्यों से संबंधित व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद इसे पूँजी व्यय के रूप में कैपटलैज किया गया है।

6. मूल्यहास :

मूल्यहास की पद्धति, जो एसएलएम पद्धति के अंतर्गत और कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों के अनुसार संपत्तियों पर अपनाया जाता है। यह मूल्यहास परिसंपत्ति की कुल मूल्य में, जो संपत्ति पर 95% तक मूल्यहास का प्रावधान के साथ-साथ इस (संपत्ति) की डिस्पोजल/बिक्री की अवशेष (रिसिड्युल) मूल्य के रूप में परिसंपत्ति मूल्य 5% को रखने के द्वारा मूल्यहास को, जिसमें पट्टे पर लिये भूमि और भवन, ट्रालियाँ, अग्नि शामक और कॉपियर मशीन आदि., को छोड़कर परिकलित किया जाता है। पट्टे पर भूमि और भवनों को लीज अवधि के आधार पर और ट्रालियों, अग्निशामकों तथा कॉपियर मशीन के लिए परिसंपत्ति का उपयोग और अवधि के आधार पर मूल्यहास परिकलित किया जाता है। निर्माण कार्यों के संबंध में, पिछले वर्ष के मूल्यहास को भी परिगणना किया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास दरों को नियत परिसंपत्ति तालिका की अनुसूची - 8 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया।

7. विविध व्यय :

तम्बाकू बोर्ड में कोई आस्थगित राजस्व व्यय नहीं हैं, जो 5 वर्ष की अवधि से अधिक लिपिबद्ध किया जाना है। आवृत्ति प्रकृति वाले (वस्तु) पर उठाये गये व्यय को जेनरेटर्स का रखरखाव, पानी की खरीदी, विद्युत मरम्मत & ट्वलाईट & लाईट आदि., विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत और स्वीपिंग के अंतर्गत और उपभोज्य वस्तु जैसे., ट्वैन, निशान स्याई, टवल और बकेट आदि., व्यय, जो नियत लेखा शीर्षों के अंतर्गत नहीं कवर होता है, को विविध व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।

8. बिक्री के लिए लेखा :

तम्बाकू बोर्ड में कोई सीधा बिक्री प्रचालन का विधान नहीं हैं। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार तम्बाकू ग्राहकों द्वारा लाया गया और व्यापारियों द्वारा क्रयित एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लेटफार्मों में तम्बाकू बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाने की शक्तियाँ निम्नानुसार हैं :

- क) धारा 14 - क (1) के अंतर्गत** - इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित किसी नीलाम मंच पर वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री किया जाता है, यह बोर्ड के लिए सक्षम होगा अथवा इस बिक्री से संबंधित बोर्ड के द्वारा की गयी सेवाओं के लिए शुल्क लगाने के लिए बोर्ड द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत, ऐसी बिक्री संबंधित बोर्ड द्वारा की सेवाओं के लिए ऐसी बिक्री के लिए दो प्रतिशत से ज्यादा ऐसी दर नहीं, ऐसे केन्द्र सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूना द्वारा, विनिर्धारित;
- ख) धारा 14 (2) के अंतर्गत** - उप-धारा (1) के अधीन लगाये शुल्क को बोर्ड या ऐसे अधिकारी वर्जीनिया तम्बाकू के बेचनेवाले के समान और यथानिर्धारित ऐसे मामले में ऐसे तम्बाकू के क्रयकर्ता द्वारा संग्रह किया जाएगा।

14 - क के अंतर्गत क्रेता पर आरोप्य शुल्क :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 42 के अनुसार, अधिनियम की धारा 14क के अधीन विक्रेता पर, उनके द्वारा नीलाम प्लेटफार्म के पास विक्रित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत तक शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

विक्रेता से शुल्क वसूली विधान :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 43 के अनुसार धारा 14 - क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, विक्रेता, जिसके द्वारा सुपुर्दगी किये गये तम्बाकू की बिक्री प्रोसीडों से इसे कटौती करने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

धारा 14 - क के अधीन खरीददार पर शुल्क आरोप्य :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 44 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, खरीददार पर, उनके द्वारा नीलाम प्लेटफार्म पर क्रयित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

खरीददार से शुल्क वसूली विधान :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 45 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, उनके द्वारा क्रयित तम्बाकू के मूल्य में इसे जोड़ने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

9. सरकारी अनुदान / सब्सिडी :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार प्राप्त करेगा - केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी, जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(4) के अनुसार बोर्ड भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार रुपये से अधिक व्यय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगा।

भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के ब्राण्ड प्रचार के अंतर्गत विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रभार और विदेशी और भारत में मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए यात्रा व आवास व्यय, निर्यातों को बढ़ावा देने विदेशों को व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियों को भेजने से संबंधित आवेष्टित विदेशी मुद्रा लेन-देन पर उठाये गये व्यय को भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से खर्च करेगा।

11. लीज :

बोर्ड ने, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र स्तर क्रियाकलायों और एफ सी वी तम्बाकू की बिक्रियों को आयोजित करने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में जी एफ आर के साधारण प्रावधानों को अनुसरण करते हुए परिसर / कार्यालय भवनों को लीज पर लेती है।

12. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते का तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा जैसी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(3) के अनुसार कार्यपालक निदेशक तथा सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में सेवा की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(4) के अनुसार ऐसे नियन्त्रण निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शर्तें भी उस दशा में हैं, जिसमें कि उक्त परिषद का परिसमापन किया जाए), जिन्हें विहित किया जाए, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।

13. तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा की शर्तें :

तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984 के विनियम 13 (1) के अनुसार बोर्ड के नियोजित या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की बाबत वेतन और भत्ता, छुट्टी, पेंशन और सेवा निवृत्ति प्रसुविधा, भविष्य निधि, अनुशासिक कार्यवाहियों और शासित का अधिरोपण, सेवा की अन्य शर्तें, जिसके अंतर्गत अधिवार्षिता की आयु

और अन्य सुविधायें जैसे वेतन का अग्रिम, सवारी क्रय करने का अग्रिम, मकान का संनिर्माण और अन्य बातें हैं, यदि इस विनियम में कोई उपबंध अलग से नहीं किया गया है, तो ऐसा नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगा, जो तत्समय उन स्थानों पर कार्य कर रहे तत्समान श्रेणी या प्रास्थिति के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं।

अनुसूची 25 :

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर आकस्मिक देयताएँ और टिप्पणी ।

1. **आकस्मिक देयताएँ :** आकस्मिक देयताओं के विवरण को 2019-20 वर्ष के वार्षिक लेखाओं के लेखाओं की टिप्पणी में बिन्दु सं. 3 में दिये गये ।
2. **पूँजी प्रतिबद्धताएँ :** शून्य ।
3. **पट्टे (लीज) बढ़ाताएँ :**
तम्बाकू बोर्ड ने निम्नलिखित परिसरों जैसे., आन्ध्र प्रदेश में ओंगोल-II, कोडेंपी तथा टंगुदूर-II और कर्नाटका में कंपलापुरा-I, नीलाम निदेशालय, बेगलूर & प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, पेरियपट्टना और आन्ध्र प्रदेश में प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, राजमहेन्द्रवरम, आदि., को लीज पर लिये गये ।
4. **वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम :**
बोर्ड द्वारा अपनाये चालू संपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों के विवरण तुलन पत्र की अनुसूची सं. 11 के अंतर्गत दिये गये।
5. **कराधान :**
आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 10 (29) (क) (घ) के अनुसार तम्बाकू बोर्ड आयकर के भुगतान से छूट दी गई ।

तम्बाकू निधि लेखाओं पर टिप्पणी

क) गठन :

तम्बाकू बोर्ड का गठन, आन्ध्र प्रदेश, गुण्टूर में मुख्यालय के साथ, सन् 1975 में संसदीय अधिनियम के तहत किया गया।

ख) उद्देश्य :

यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि सार्वजनिक हित के तहत, तम्बाकू उद्योग को, (जो उचित समझता है) संघ अपने नियंत्रण में लेता है।

वर्ष 1984 में भारत सरकार के द्वारा, एमएसपी परिचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ों की मार्जिन राशि से, व्यापार स्कंध का सृजन किया गया। व्यापार स्कंध का लक्ष्य-सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नीलाम मंचों पर बचे हुए तम्बाकू का मॉप - अप करना तथा बाजार को स्थिर रखना-एतद्द्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है।

ग) बोर्ड का गठन :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) के अंतर्गत बोर्ड का गठन, निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यथा :

क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो का चुनाव लोक सभा द्वारा और एक सदस्य का चुनाव राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

ग) आठ सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्र सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व निम्नानुसार की जाएगी :

- i) कृषि से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- ii) वाणिज्य से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- iii) वित्त से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- iv) औद्योगिक विकास से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;
- vi) गुजरात सरकार और
- vii) कर्नाटक सरकार;

घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका राज्यों से भिन्न तम्बाकू उगानेवाले राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से नियुक्त किये जाने वाले दो सदस्य;

ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले *दस से अनधिक सदस्य, जो तम्बाकू उगाने वालों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्योहारियों या निर्यातकर्ताओं (जिनके अन्तर्गत पैकर भी हैं), तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं में से तथा ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जो केन्द्रीय सरकार की राज्य में तम्बाकू विपणन या कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं।

* परंतु प्रस्तुत अनुच्छेद के अधीन तम्बाकू के उत्पादकों के बीच में से नियुक्त किये जानेवाले सदस्यों की संख्या छः से अधिक नहीं होगी।

च) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन;

ज) कार्यपालक निदेशक, पदेन;

घ) प्रकार्य :

तम्बाकू बोर्ड, अपने कार्यों का निर्वाह तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसार करती है।

ङ) वित्त, लेखे एवं लेखा परीक्षा :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 16 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (1) के अनुसार, तम्बाकू निधि कहलाई जाने वाली एक निधि गठित की जाएगी तथा उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएगी :-

क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत की गई फीसें;

ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कोई धनराशि या दिए गए कोई उधार;

ग) कोई अनुदान या उधार, जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए;

घ) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों को कार्यान्वित करने में बोर्ड द्वारा वसूल की गई राशियाँ, यदि कोई हों।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (2) के अनुसार, निधि का उपयोग निम्नलिखित केलिए उपयोग किया जायेगा :-

क) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों में होने वाले खर्च की पूर्ति;

ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों की पूर्ति;

ग) बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति;

घ) किन्हीं उधारों का प्रतिसंदाय।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 19 के अनुसार, बोर्ड अभिलेखों को रखरखाव करेगा तथा वार्षिक विवरणियों को तैयार करेगा -

(1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के तथा बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षक के सम्बन्ध में ये ही अधिकार और निर्णयाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो

नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होने हैं और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखा सम्बद्ध वाउचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

- (4) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे तद्विषयक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को हर वर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएगी ।

च) वित्तीय लेन-देन आम तौर पर :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 27 के अंतर्गत - इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त, केन्द्रीय खजाना नियमों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 और साधारण वित्तीय नियम, 1962 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो बोर्ड द्वारा उनमें, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किये जाएं, बोर्ड के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे ।

छ) देय एवं परिसंपत्तियों पर प्रधान विषय :

1. बोर्ड ने लेखापरीक्षा द्वारा सूचितानुसार अनुसूचियों के अन्तर्गत तुलन पत्र, आय व व्यय लेखा और प्राप्तियाँ और भुगतान विवरण में लेखा आँकड़ों को लाखों रुपये तक पूर्ण करने (रॉउंडेड आफ) को उपनाया था ।
2. लेखाओं के यूनिकार्म फार्मेट के अनुसार ज्ञात देनदारों को चालू संपत्तियों के अंतर्गत और सभी प्रोविजनल परिसंपत्तियों को प्रोविजनल के अनुसार रखा गया । दि. 31/03/2020 को समाप्त वर्ष के लिए कुल देय राशि ₹1,435.85 लाख है ।
3. तम्बाकू बोर्ड की अनिश्चित देयताएँ निम्नानुसार हैं :
अपर महानिदेशक, जी एस टी खुफ़िया का महा निदेशक (डीजीजीआई), चेन्नई क्षेत्रीय यूनिट, चेन्नई ने पत्र सं. फा.सं. आईएनवी/डीजीजीएसटी/सीजड्यू/एसटी/31/2018, दि.19/04/2019 द्वारा आयकर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार 2013-14 से 2017-18 तक अवधि के लिए ₹1,83,83,73,622/- राशि के लिए अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्मानाओं के कर योग्य मूल्य पर ₹24,86,69,972/- सेवा कर के लिए और ₹9,98,83,002/- की राशि के लिए विविध रसीदों के अंतर्गत दर्शाये सतर्कता मामलों पर जुर्मानाओं के कर योग्य मूल्य पर ₹1,29,98,928/- राशि की सेवा कर आदि., को भुगतान नहीं अदा करने के लिए तम्बाकू बोर्ड को शो-कॉज नोटीस सं. 20/2019 जारी किया था । इस संबंध में, बोर्ड ने वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार उक्त अवधि के लिए समय-समय पर ग्राहकों से सेवा कर की नॉन-कलेक्शन के लिए कमीशनरेट, वस्तु & सेवा कर, गुण्टूर को एक अपील करने का प्रस्ताव किया है । इस को आयुक्त, केन्द्रीय शुल्क, गुण्टूर द्वारा डिस्पोज किया गया और शो-कॉज नोटीस में बताये अनुसार कर डिमाण्ड की पुष्टि करते हुए आर्डर-इन-ओरिजनल सं. गुण्टूर-एक्सेस-000-कम-026/19-20 से.कर, दि.13.12.2019 को जारी किया । इस संबंध में, बोर्ड ने आर्डर-इन-ओरिजनल के लिए केन्द्रीय कर अपीलैट न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय शाखा-हैदराबाद को अपील दायर की है, और सीईएसटीएटी, हैदराबाद में अपील को स्वीकार करने पूर्व-जमा के रूप में ₹1,96,25,168/- राशि को जमा की थी और यह मामला उप-न्यायालय के अधीन है ।
4. पूर्णधृति तथा पट्टेधृति भूमियों के विवरण को, बोर्ड के तुलन पत्र का अनुलग्नक-I से III (अनुसूची-8) के अंदर स्थिर संपत्ति विवरणों में सूचित किया गया ।

5. दि. 31/03/2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 22.56 पर मूल्यांकित लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन पदार्थों के वास्तविक खरीद दाम पर विचार करते हुए, अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया ।
6. 2019-20 को समाप्त वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटका में राष्ट्रीकृत बैंकों के साथ तम्बाकू निधियों के कुल निवेश ₹60,966.99 लाख हैं । लेखा परीक्षकों के सुझाव के अनुसार, यह सावधिक जमाओं की राशि तुलन पत्र के चालू संपत्ति, ऋण & अग्रिम को अनुसूचित बैंकों के जमा लेखाओं (तुलन पत्र के एफडीआर) के साथ अनुसूची-11 में प्रदर्शित करना होगा । सभी सावधिक जमाओं को प्रत्यक्ष रूप से सात्यापित किया गया ।
7. सावधिक जमाओं के विवरण, विवरणिका के रूप में तैयार किया गया तथा विवरण को अनुलग्नक के क्रम में पाया गया ।
8. स्थिर संपत्तियों पर मूल्यहास को प्रोरेटा मासिक आधार पर परिकलन किया गया। बोर्ड द्वारा अपनाये संपत्तियों पर मूल्यहास के दर निम्नलिखित प्रकार हैं :
 1. भूमि-पट्टाधृति : 360 महीनों की अवधि
 2. भवन : पट्टाधृति भूमि पर : 276 महीनों की अवधि
 3. पूर्णधृति भवन : 1.58% (आरसीसी छत)& 3.17% गैर - आरसीसी
 4. फर्नीचर & फिटिंग्स और विद्युत उपकरण : 9.50%
 - साईकिल, ग्रंथालय पुस्तकें, विविध उपकरण, टार्पलीन, : 9.50%
 - ट्राली, वेथिंग स्केल & क्यूबिकल्स : 9.50%
 5. कार्यलय उपकरण, प्रदर्शनी उपकरण : 19.00%,
 - वैज्ञानिक उपकरण, कॉपियर मशीन : 19.00%
 6. अग्नि शामकों : 19.00%
 7. कंप्यूटर : 31.67 %

जहाँ तक ट्रालियों का सम्बन्ध है, कम्पनी के आधिनियम में कोई निश्चित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। ये ट्रालियाँ मुटा लेबर श्रामिकों द्वारा अभद्रता से उपयोग किया जाता है । इन ट्रालियों की टूट-फूट बहुत अधिक होते हैं और ये काम करने के लिए अनुपयुक्त बन जायेगी । अतः ट्रालियों के मूल्यहास - दर @ 9.50% पर निर्धारित किया गया है ।

अग्निशामकों पर मूल्यहास का दर 19% निर्धारित किया गया, जो अग्निशामकों के संबंध में, सिलिन्डरों में उपयोग किये जाने वाला पदार्थ, 5 वर्षों के बाद अनुपयुक्त होंगे, जो सही ढंग से न रखे । आग दुर्घटना के समय उपयोग के लिए एक बार तोड़े जाने पर, उसको प्राधिकृत अभिकरण के द्वारा सामग्री की पुनः भर्ती की जाने की जरूरत है, जोकि लागत - महँगा है ।

उसी प्रकार, कॉपियर मशीन के लिए भी प्रति वर्ष 19% का मूल्यहास दर अपनाया गया है, क्योंकि कॉपियर मशीन का जीवनकाल 5,00,000 प्रतियों का है । 5,00,000 प्रतियों के जेराक्स की कालावधि के पश्चात मशीन की लागत बहुत खर्चीला है, जिसमें रखरखाव पर भारी खर्च लगता है ।

संपत्तियों पर पिछले वर्ष की मूल्यहास के साथ दि. 31/10/2020 तक तम्बाकू बोर्ड की स्थिर संपत्तियों पर ₹ 408.14 लाख की कुल रकम का मूल्यहास किया गया है ।

9. दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष दौरान परिसंपत्तियों को, जो कि सपीडब्ल्यूडी और राईट्स अभिकरणों को रीलीज अग्रिमों के लिए परिसंपत्तियों के रूप में कैपिटलैज किया गया। फार्म - 65 के व्यय विवरण के अनुसार, सिविल, विद्युत कार्यों और रखरखाव कार्यों से संबंधित ₹ 7.35 लाख राशि को कैपिटलैज किया गया।

10. दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर व्यय के लेखों पर ₹ 136.54 लाख की राशि खर्च हुई है, जिसमें जेनरेटर्स का रखरखाव, पानी की खरीदी, बिजली मरम्मत & प्रतिस्थापन, स्वीपिंग व्यय और सतर्कता प्रचालनों पर व्यय आदि., शामिल हैं।

दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर प्राप्तियों के लेखा की लेखों पर ₹ 374.33 लाख की राशि खर्च हुई है, जिसमें सतर्कता प्रचालनों पर जुर्माना, जीएसपी प्रमाणपत्र की बिक्री, न्यूस पत्रों को अंशदान, समाचार पत्रों की बिक्री, ग्राहकों से बेल पट्टाओं के मूल्य अंतर, इनपुट ऋण खाता के अंतर्गत सरप्लस ब्याज, निविदा फार्म की बिक्री आदि शामिल हैं।

11. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक क्रेताओं और ग्राहकों से @1% एफसीवी तम्बाकू पर सेवा प्रभार लेखा के अंतर्गत ₹ 5,895.49 लाख राशि प्राप्त हुई।

12. 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने सरकार से कोई अनुदान सहायता को प्राप्त नहीं किया।

13. दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मेले तथा प्रदर्शनियों और विदेशी को व्यापारी प्रतिनिधि मंडली के सम्बंध में ₹ 40.17 लाख की राशि खर्च की है।

14. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ जैसे., उपदान (ग्राच्युटी), अवकाश वेतन और पदाधिकारियों को, जो सेवा निवृत्ति / निधन/ वीआर प्राप्त किये हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति सुविधाओं को भुगतान करने के लिए देयताएँ भी सम्मिलित हैं, के पेंशन नकदीकरण आदि., लेखाओं के अंतर्गत ₹1,978.64 लाख की राशि रही है।

15. दि. 31/03/2020 तक तुलन पत्र के अनुसूची-11 के अनुसार चालू संपत्तियों, ऋण और अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत ₹ 67,551.97 लाख राशि उपलब्ध रहा था।

16. ₹ 16.02 लाख की रकम 1977 तूफान ऋण लेखा से संबंधित प्रधान लेनदारों (किसानों) से बकाया है। सामान्य मुकदमों एवं ईपी, प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र में संबंधित मनानीय न्यायालयों के सामने दायर किये गये और ये मामले न्यायाधीन (सब-जुडिस) रहा है। बोर्ड ने, ब्याज और कानूनी प्रभारों के अधित्याग में 50% जैसी ऋण की रकमों को, एक मुक्त निपटान के तहत देय बकायों को वसूल करने के लिए तीव्र प्रयत्न किये और देय बकाये की वसूली हेतु कमजोरी रही।

अधिकाधिक लेनदार निधन हो गये और कुछ लोग बहुत बड़े याने., 85 से 90 उम्र के हो गये हैं और तम्बाकू पैदा नहीं कर रहे और न पता है। बोर्ड के द्वारा किये गये सभी प्रयासों के बावजूद, चूँकि कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए कोई बन्धक रखी गई सम्पत्ति नहीं रही। बाकी रकम की वसूली की संभावना कम है। जहाँ पर बोर्ड ने न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, वहाँ कानूनी खर्च व्यक्तिगत मामलों में बकाये रकम से बढ़कर रहा था। अतः हैदराबाद में दि. 28/07/2007 को संपन्न बोर्ड की 122वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और 1977 तूफान ऋणों के संबंध में हानियों को बढ़े खाते डालने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। क्योंकि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(2) के अनुसार हानियों को बढ़े-खाते डालने

के लिए सरकार सक्षम है। इस संबंध में, बोर्ड ने मंत्रालय को पत्र लिखा और अनुस्मारक भी लिखा था। इस संबंध में सरकार की स्वीकृति प्रतिदिशित है।

17. निधि लेखाओं, जो वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि (टाइर-1) तथा तम्बाकू ग़ोयर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित लेखाओं को, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाये गये के अनुसार नियत/धर्मस्व निधियों की अनुसूची-3 के अंतर्गत दर्शाया गया है। बैंक शेष, निवेशों और निवेशों पर आय के अथशेष, सभी तम्बाकू बोर्ड के सभी उर्दिष्ट निधियों के लिए निवेश, बैंक शेष और निवेशों पर आय के साथ अन्य प्राप्तियों को 2019-20 के तुलन पत्र और प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण के संबंधित अनुसूचियों में प्रोजेक्ट किया गया था।
18. वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान) लेखा के अंतर्गत मार्जिन राशि के अंतर्गत निधि लेखा बहियों के अनुसार ₹ 2,521.98 लाख राशि उपलब्ध रहा था। व्यापार स्कंध, जो एमएसपी प्रचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड मार्जिन राशि के साथ 1984 में भारत सरकार द्वारा सृजन किया गया। 1987 & 2000 के दौरान एम एस पी प्रचालनों के लिए ₹ 91.40 लाख लाभ प्राप्त किया और दि. 31/03/2020 तक नियत जमाओं पर ब्याज के रूप में ₹ 2,430.58 लाख प्राप्त हुए।
19. तम्बाकू बोर्ड सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतर्गत लेखा बहियों के अनुसार ₹ 2,271.44 लाख की राशि उपलब्ध रहा था। ब्राड शीट के अनुसार अंशदान के ब्याज को मिलाकर पदाधिकारियों को देय रकम ₹ 2,191.97 लाख राशि था। सावधिक जमाओं पर उपार्जित ब्याज ₹ 79.47 लाख की अधिशेष राशि, जो सा भ नि के लिए पदाधिकारियों के अंशदान के रूप में देय ब्याज से अधिक रहा है।
20. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा के अंतर्गत निधियों में, भा.जी.नि, विजयवाडा के साथ ₹ 14,958.32 लाख राशि और बैंक में नकद के रूप में ₹ 4.74 लाख की राशि कुल मिलाकर लेखा बहियों में ₹ 14,963.06 लाख राशि उपलब्ध रहा है। दि. 31/03/2020 तक तम्बाकू बोर्ड के मौजूदा पदाधिकारियों के पूर्व और वर्तमान सेवा देयताओं के लिए भारतीय जीवित बीमा निगम के पास जमा करने के लिए प्रोविजनल देयता के रूप में ₹ 56.20 लाख की राशि प्रावधान किया गया है।
21. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना खाता के अंतर्गत खाता बहियों के अनुसार ₹ 36.65 लाख की राशि निधि में उपलब्ध थी। इस एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले पदाधिकारियों को देय कर्मचारी और नियोकता अंशदान को मौजूदा नियमों के अनुसार में एनएसडीएल, मुंबई को रेमिट किया जाता है। उक्त राशि में दि. 31/03/2020 तक तम्बाकू बोर्ड में नये भर्ती हुए पदाधिकारियों द्वारा पी आर ए एन (प्रान) को माँगते हुए एनएसडीएल को एनपीएस पदाधिकारियों को वापसी राशियों/शेष भुगतान के साथ निधि लेखा के अन्तर्गत अधिशेष (सरालस) की राशि शामिल है।
22. तम्बाकू ग़ोयर कल्याण निधि योजना लेखा के अंतर्गत रहे निधि में बही खाताओं के अनुसार ₹ 6,267.53 लाख की राशि (आन्ध्र प्रदेश ₹ 3,721.33 लाख + कर्नाटका ₹ 2,546.21 लाख) उपलब्ध रहा था।

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 06/05/2007 -ईपी (आग्रि. VI) दि. 28/07/2008 द्वारा अप्रधिकृत तम्बाकू और आधिक्य तम्बाकू की बिक्री पर वसूल किये जाने वाले जुर्मानाओं के लिए ग़ोयरों के बीच 1:2 अनुपात में अंशदान

के साथ तम्बाकू ग्रायर्स कल्याण योजना को सृजन करने के लिए अनुमति प्रदान किया। 2009-10 के दौरान यह निधि खाता का सृजन हुआ था।

23. उपदान (ग्राट्युटी) और अवकाश नकद की निधि खाता सृजन करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया था और सरकार से स्वीकृति प्राप्त होनी है। सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उपदान (ग्राट्युटी), अवकाश वेतन और अर्धवेतन राशि का सही परिकलन वर्कआउट किया जायेगा तथा निधि खाता को वास्तविक भुगतान करने के बाद वास्तविक देयता को प्रावधान किया जायेगा। इस संबंध में 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 वर्षों के लिए अवकाश वेतन, ग्राट्युटी और अर्ध वेतन भुगतान के संबंध में ₹ 30.00 करोड़ की कुल देनदारी प्रदान की गई है। यह लेखा निधि सृजन करने की मामला को बोर्ड के सामने अनुमोदन के लिए रखा गया। बोर्ड इस प्रस्ताव को विस्तृत रूप से अध्ययन करने और निधि लेखा सृजन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। निधि लेखा सृजन प्रस्ताव पर अध्ययन प्रगताधीन है इसे अगले बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
24. नीलामकार सेवा (क्रेता प्राधिकरण शुल्क, डेमरेज प्रभार & बेल पट्टा), कानूनी परामर्श सेवाएँ (लीगल प्रभार) और किराया-कॉब-प्रचालक सेवा (वाहनों को भाड़ा) की सेवाओं पर सेवा कर से संबंधित सेवा कर विभाग को देय ₹. 178.44 लाख राशि को प्रोविजनल देयताओं के रूप में लिया गया, जो कि यह मामला सी ई एस टी ए टी, बेंगलूर, हैदराबाद और आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क & सेवा कर, गुन्टूर के अधीन हैं। कंपनियों से देय राशि ₹. 4.96 लाख को लेखा बहियों में चालू संपत्तियों के रूप में दिया गया।
25. 2014-15 वर्षों के लिए (₹3,500/- से ₹7,000/- तक राशि को बढ़ाने के कारण प्रत्येक को ₹3,500/- बकाया) और वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, और 2018-19 के लिए प्रत्येक को ₹7,000/- हिसाब से बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस भुगतान से संबंधित ₹122.50 लाख की राशि को देयता राशि के रूप में रखा गया। इस संबंध में, मंत्रालय ने अपने पत्र दि. 19/06/2020, सं. 2/3/2017 - ईपी (अग्रि-VI) द्वारा सूचित किया कि गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) का लाभ तम्बाकू बोर्ड के लिए लागू नहीं है। इसलिए वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए तम्बाकू बोर्ड कर्मचारियों को बोनस के भुगतान राशि ₹122.50 लाख के लिए प्रोविजनल देयता को प्रतिवर्तित (रिवर्स) कर दिया गया और वर्तमान वर्ष के साथ पूर्व अवधि के लिए इस लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कोई देयता प्रदान नहीं की गयी है।
26. दि. 31/03/2020 तक सेवा निवृत्त लाभों, संपत्ति कर, कंप्यूटरों का रखरखाव, तम्बाकू ग्रायर्स कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा) को देय राशि और सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स आदि., के कार्यकारी अभिकरणों को देय राशि को लेखा बहियों में बकाया देयताओं के रूप में प्रावधान की गई है।
27. तम्बाकू बोर्ड ने, मेसर्स. उमामहेश्वर राव & कं, गुन्टूर के चार्टर लेखाकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29) (क) (डी) के अंतर्गत आयकर, भुगतान से छूट होने पर भी, बोर्ड के लेखाओं पर कर-लेखा परीक्षण अपनाने के बाद कर रिटर्न को, जो आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों के अनुसार 2018-19 वित्तीय वर्ष के लिए आय कर रिटर्न नस्ति की है।

28. तम्बाकू बोर्ड, माँगे गये पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को रासायनिक उर्वरकों को प्रोक्यूरिंग और वितरित कर रहा है। 2008-09 तक, ग्राहकों को उर्वरकों को वितरण करने के लिए स्पाईसेस ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसीएल) की सेवाओं ली थी।

2009-10 के दौरान, मेसर्स. एसटीसीएल की सेवाएँ अनुपलब्धता के कारण बोर्ड ने ग्राहकों को उर्वरकों को वितरण करने का कार्य अपना लिया था। इन प्रचालनों के लिए उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर ने ग्राहकों को, जो कि यह केवीएटी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत डीलर की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करने के कारण यह बिलम्बित भुगतान रहा था, के लिए उर्वरकों को वितरण करने के लिए कर राशि ₹ 2,34,27,445/- और कर पर जुर्माना ₹70,28,233/- को अदा करने के लिए कर निर्धारण आदेश दि. 27/05/2011 द्वारा बोर्ड को (सूचना) जारी किया। इस संबंध में, बोर्ड ने कर्नाटका राज्य सरकार से और माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बेंगलूर को अपील करने के द्वारा अनेक प्रयास किये थे। बोर्ड द्वारा दायर किया रिट पीटिशन माननीय अदालत द्वारा बरखास्त कर दिया गया था।

इस संबंध में, बोर्ड ने, दि. 07/12/2013 को बिक्री कर अपीलेंट न्यायालय, कर्नाटका, बेंगलूर को अपील की। यह ट्रिब्यूनल (न्यायालय) दि. 31/12/2013 को डीसीसीटी (वीएटी), लेखा परीक्षा-I, मैसूर के साथ 30% कर राशि ₹91,36,703/- को जमा करने पर मामला स्वीकार किया। उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वी ए टी लेखा परीक्षा - 1, मैसूर के नाम पर ₹2,13,18,975.00 की राशि को बी.जी. के रूप में रखा गया। ट्रिब्यूनल ने आदेश दि. 31/08/2016 द्वारा बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया गया था। अतः पूरा कर जुर्माना राशि को बैंक गारंटी रद्द करने के द्वारा उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर को दि. 25/11/2016 को चुकाई गई।

डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा-I), मैसूर द्वारा ₹3,04,55,678/- की कर राशि प्राप्त करने के बाद, फिर से ₹3,26,98,056/- राशि के लिए, जो 21/05/2009 से 25/11/2016 तक अवधि के लिए उक्त कर पर ब्याज से संबंधित है, के संबंध में दि. 09/12/2016 को दूसरा डिमान्ड नोटीस जारी किया था। इस संबंध में, बोर्ड ने केवीएटी के आदेश और 09/12/2016 को जारी डिमान्ड नोटीस को चुनौती देते हुए एक रिट पीटिशन दि. 02/01/2017 को माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूर के सामने दायर किया।

माननीय उच्च न्यायालय ने, कर निर्धारण (असेसमेंट) आदेश दि. 27/05/2011 को जारी, जो अभियोजिक (डीसीसीटी, वीएटी, कर्नाटका) के साथ ₹32,69,805.00 की राशि पीटिशनर को जमा करने के शर्त पर, आगे की कार्यवाही के लिए इंटरिम स्टे जारी किया। इसी बीच, कर्नाटका राज्य सरकार ने कर समाधान योजना - 2017 द्वारा वीएटी, सीएसटी और केईटी आदि., से जुर्माना और ब्याज को अधित्याग, जो दि. 01/04/2005 से 31/03/2016 तक रहे कर अवधि के लिए 15/03/2017 तक राशि अदा नहीं किया गया है, तथा ब्याज और जुर्माना भुगतान से संबंधित मामले लंबित रहा है, को ब्याज और जुर्माना के 10% मात्र भुगतान करने से अधित्याग देने के लिए योग्य बना दिया है।

उक्त मामला की स्थिति को देखते हुए, बोर्ड ने सीटीडी. सं. संख्या. 1789617671 द्वारा दि. 30/05/2017 को ई-पेमेंट के जारिये ₹32,69,805/- की राशि भुगतान किया तथा कर समाधान - 2017 के अंतर्गत ब्याज से छूट लाभ को प्राप्त करने ऑन - लाईन आवेदन को नस्तिर किया और एक समय लाभ योजना, जो कर्नाटका सरकार द्वारा घोषित किया गया था, को उपयोग करके अपील को डिसमिस करने बोर्ड ने माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूर में एक स्मारक (मेमो) दायर किया। बोर्ड ने कर समाधान योजना स्कीम का लाभ

उठाकर डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा), मैसूर को डिमांड नोटीस की 10% राशि ₹32,69,805/- को भुगतान किया और कर्नाटका के उच्च न्यायालय ने उक्त राशि को भुगतान पर यह मामला सेटिलमेंट होने कारण इस मामला को डिस्पोज किया था ।

तम्बाकू बोर्ड की प्रमुख रसीद (आन्तरिक स्रोत) :

29. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14 क के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार तम्बाकू बोर्ड ने, उनके नीलाम प्लैटफार्मों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए विपणित तम्बाकू का मूल्य पर @ 2% “सेवा प्रभार” के रूप में शुल्क लगायेगा। सेवा प्रभार, जो ग्राहक द्वारा विक्रित और क्रेता द्वारा क्रयित तम्बाकू पर प्रत्येक से @ 1% हिसाब से ग्राहक तथा क्रेता से समान रूप से वसूल करेगा ।
30. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के नियम / विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार ग्राहक, बखार प्रचालक & नर्सरीमेन के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रदान करने ग्राहकों से रजिस्ट्रेशन शुल्क और निर्यातक, तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक, तम्बाकू डीलर, तम्बाकू पैकर, तम्बाकू प्रोसेसर, तम्बाकू निर्माणकर्ता और तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरण कर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रदान करने के लिए व्यापारियों और क्रेताओं, जिन्होंने नीलामियों में भाग लिये थे, से प्राधिकरण शुल्क वसूल करेगा ।
31. तम्बाकू बोर्ड, पंजीकृत उत्पादकों के द्वारा पैदा किये गये आधिक्य तम्बाकू तथा गैर-पंजीकृत उत्पादकों के द्वारा किये गये तम्बाकू पर जुर्माना लगाता है। यह दण्ड शुल्क प्रतिवर्ष सरकार के गजट अधिसूचना के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। यह जुर्माना समय-समय पर बदल जाती हैं। 2019 नीलामियों के दौरान पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए प्रति कि. ग्रा. के लिए ₹ 2/- और बिक्री प्रोसीडों से 5% (1% साधारण सेवा प्रभार मिलाकर) जुर्माना, जो प्राधिकृत कोटा के 10% सीमा तक अनुमति दिया गया। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में प्राधिकृत कोटा से 10% सीमा से अधिक पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित तम्बाकू और अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर प्रति कि. ग्रा. के लिए ₹ 2/- तथा बिक्री प्रोसीडों में से 15% (1% साधारण सेवा प्रभार मिलाकर) लगाने, जिसमें तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के अनुसार 1% सेवा प्रभार शामिल है, को लगाने के द्वारा बिक्री के लिए अनुमति दिया गया ।
32. अचर जमाओं पर ब्याज, ऋणों & अग्रिमों पर अधिकारियों & कर्मचारियों से प्राप्त ब्याज और विभिन्न फुटकर प्राप्तियाँ भी बोर्ड की रसीदें हैं ।

तम्बाकू बोर्ड का मुख्य व्यय :

33. आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में, बोर्ड द्वारा स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों में नीलामियों के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए स्थापना और प्रशासनिक प्रकृति पर प्रधान व्यय ।
34. नीलामियों को अविघ्न आयोजन करने के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का प्रावधान और तम्बाकू की गुणवत्ता & पैदावार की वृद्धि, ईंधन, क्यूरिंग लागत & समय बचत और विस्तार & विकास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन और तम्बाकू की खेती में विभिन्न तकनीकी उपकरणों को अपनाने आदि., पूँजी प्रकृति पर व्यय ।
35. आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों के लिए विस्तार & विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत उठाये गये व्यय को अलग से दिखाए गये और व्यय को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में किया गया है ।

बोर्ड की प्राप्तियों की लेखा के अंतर्गत ₹155.58 करोड प्राप्त हो गया। जिसके लिए 2019-20 के लिए ₹129.51 करोड व्यय किये गये ।

36. महानिदेशक, महानिदेशक - वाणिज्यिक लेखा परीक्षा का कार्यालय और पदेन - सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद के अ. स. पत्र दि. 19/11/2019, सं. डीजीसीए/लेखा डेस्क/2018-19/1.42/262 के अनुसार लेखा परीक्षा द्वारा प्रबंध पत्र में सुझावित संशोधनों को 2018-19 के तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में अपनाये गये। लेखापरीक्षा द्वारा सूचित संशोधनों को वर्ष 2019-20 के तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में निम्नानुसार लिये गये :
- क) लेखापरीक्षा द्वारा सूचितानुसार, लेखा विधि आँकड़ों को एक करोड था एक सौ करोड से न अधिक टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए अनुलग्नकों के अन्तर्गत तुलन पत्र, आय व्यय लेखा और प्राप्तियों और भुगतान विवरणों में लाखों तक पूर्ण किया गया है ।
 - ख) डीसीसीटी वैंट (आडिट-1), मैसूर को वाणिज्यिक कर और जुर्मानाओं को भुगतान की तथ्यपूर्ण स्थिति को लेखाओं पर नोट में बिन्दु सं. 28 में उल्लेख किया गया है ।
 - ग) आकस्मिक देयताएँ प्रावधान करने के लिए सुझावों को अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है ।
 - घ) निवेशों पर अर्जित ब्याज की गणना को तिमाही के आधार पर बाकी को लेखा परीक्षा द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार की गई है ।

ह/- xx xx xx
(पी. मीना कुमारी)
 प्रबंधक (वि व ले)

तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्डूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(राशि ₹ लाख में)					
I. अथशेष :			I. स्थापना खर्च		
क) बैंक शेष			1. वेतन और मजदूरी	4790.71	5109.86
1. चालू खाताएँ	8708.48	7162.12	2. भत्ते और बोनस	15.21	15.06
2. जमा खाताएँ	58486.41	54929.18	3. भविष्य निधि को अंशदान	0.00	0.00
3. बचत खाताएँ	0.00	0.00	4. पेंशन निधि को अंशदान	3000.00	3000.00
ख) उद्धिष्ट / धर्मस्व निधियाँ			5. पेंशन निधि को अंशदान (न पें चो)	86.92	47.84
1. चालू खाताएँ	0.05	0.05	6. कर्मचारी कल्याण व्यय	0.00	0.00
i) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (व्यापार स्कंध को अनुदान)			7. सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ	1784.54	1517.63
2. जमा खाताएँ	0.00	0.00	8. अन्य :		
3. बचत खाताएँ			क) छुट्टी वेतन & पेंशन अंशदान	12.96	19.95
i) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	8.33	4.03	ख) चिकित्सा दावें (अधिकारीगण व स्टाफ)	79.19	68.09
ii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन फंड	4.55	3.95	ग) छुरिया दावें	12.89	16.45
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन योजना	0.61	0.46	घ) स्टाफ को वरी	3.05	3.55
iv) तम्बाकू ग्रेडर कल्याण निधि योजना	155.84	109.31	II. अन्य प्रशासनिक व्यय		
II. प्राप्त अनुदान	0.00	0.00	1. कर्मचारियों को ओ.टि.ए	0.00	0.00
III. निवेश और जमाएँ			2. या.भ.अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए	214.36	168.04
क) उद्धिष्ट राजस्व निधि (एफ डी आर)			3. या.भ.बोर्ड के सदस्यों के लिए	2.69	1.99
			4. प्रशासनिक रखरखाव		
			भवन / कर्टर्स / नी. प्लैटफार्म	29.06	31.16
			5. भवनों का किराया	111.84	109.30

दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध को सहायता अनुदान)	2266.95	2006.75	6. मुद्रण और स्टेशनरी (कंप्यूटर स्टेशनरी सहित)	52.31	37.76
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	2391.27	2330.12	7. विद्युत शुल्क	120.39	107.67
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	15577.02	15447.03	8. डाक और टेलीफोन शुल्क	33.86	39.16
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	27.87		9. बैटकों पर व्यय	14.61	14.79
v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना	5260.17	5087.14	10. विविध व्यय	137.51	120.75
ख) निजी निधि	0.00	0.00	11. मनोरंजन व्यय	8.06	7.10
IV. निवेश पर आय			12. पत्रिकाओं के लिए सदस्यता	3.69	2.92
क) उद्दिष्ट राजस्व निधि			13. फर्नीचर और अन्य संपत्तियों की मरम्मत	11.01	13.76
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)	166.06	260.19	14. परिवहन प्रभार	4.21	3.99
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	814.66	991.02	15. कार्यशालाएँ और सेमिनार	0.00	0.07
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	3967.86	4218.45	16. दरें और कर	17.00	26.31
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	146.50	96.71	17. बैंक शुल्क	0.61	0.26
v) तम्बाकू ग्राहक कल्याण निधि योजना	1128.32	1064.25	18. कानूनी शुल्क	6.71	5.01
			19. वाहनों का भाड़ा	107.29	92.59
			20. वाहनों का रखरखाव	34.55	40.01
			21. बीमा	19.38	12.21
			22. लेखा-परीक्षा शुल्क	7.96	17.72
			23. साभ नि को व्याज योगदान	0.00	0.00
			24. अन्य संगठनों के साथ सदस्यता	0.00	0.00
			25. ऋण वसूली व्यय	0.00	0.00
			26. पुस्तकालय किताबें	0.54	0.15
			27. कंप्यूटर का रखरखाव	22.53	11.52

दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
ख) निजी निधि					
ग) किराए	0.00	0.00	28. वेचिंग स्केल के लिए सेवा शुल्क	25.63	22.63
घ) परिसर पट्टा पर किराए	11.85	21.19	29. मुटा श्रामिक शुल्क	345.50	324.43
V. प्राप्त किया व्याज			30. अस्थायी संरचनाओं का निर्माण	0.00	0.00
1. बैंक में जमा राशि	4122.26	3777.44	31. मानव संसाधन विकास	5.61	0.09
2. ऋण और अग्रिम (अधिकारी)	3.51	5.20	32. ई-नीलामी प्रणाली का कार्यान्वयन	507.45	411.64
VI. अन्य आय			33. कार्यालय का स्वचालन (एमआईएस)		
1. ग्राहक पंजीकरण शुल्क (क्षेत्र, बार्न ऑपरेटर और नर्सरीमेन)	265.19	193.53	ऑनलाइन	1.99	2.21
2. निर्यातकों के पंजीकरण शुल्क	20.01	21.62	34. एफसीवी तम्बाकू का विनियमन और विकास	4.83	3.76
3. उत्पाद पंजीकरण शुल्क	13.79	12.15	35. विपमन सुविधाओं का कार्या और रखरखाव	12.88	16.79
4. डीलर पंजीकरण शुल्क	12.26	12.03	36. विपणन सुविधाओं का कार्यान्वयन & रखरखाव	1.19	0.41
5. पैकर्स पंजीकरण शुल्क	0.55	0.26	37. ग्राहकों को वित्तीय राहत	0.00	0.00
6. प्रोसेसर पंजीकरण शुल्क	1.34	2.20	38. किसान अध्ययन दूर : विदेश	0.00	0.00
7. वाणिज्यिक ग्रेडर्स पंजीकरण शुल्क	0.76	0.44	39. बाजार का सर्वेक्षण	0.00	0.00
8. निर्माणकर्ता पंजीकरण शुल्क	8.33	9.64	40. निर्यात प्रोत्साहन (विदेशों को व्यापार प्रतिनिधि मंडल)	14.69	0.00
9. मूल्यवान प्रकाशनों की विक्री (टीजीपीबीएस)	9.61	20.62	41. मेले और प्रदर्शनी (विदेश)	25.49	8.12
10. विविध आय	456.67	525.44	42. प्रसार और प्रचार	20.86	8.35
11. एफसीवी तम्बाकू पर सेवा शुल्क	5895.49	6029.54	43. फार्म मशीनीकरण	0.00	0.00
12. पंजीकृत से @ 4% अंशदान	294.41	0.00	44. एफसीवी तम्बाकू की उपज & गुणवत्ता की वृद्धि	165.75	29.67
13. पंजीकरण ग्राहकों से अंशदान ₹ @ 6.5%	82.70	820.45	45. क्यूरेटिंग प्रथाओं में सुधार	253.21	145.39
14. एक किलो को अंशदान ₹ 2/-	680.29	598.18	46. एनटीआरएम और उत्पाद-अखंडता का उन्मूलन	52.98	73.08
पंजीकृत अपंजीकृत ग्राहकों से			47. पीहेचिएएम उपाय-बल्किंग शेड/नमूना भंडारण सुविधाएं	2.37	2.60
15. पंजीकृत अपंजीकृत ग्राहकों से 14% जुमाना	0.00	0.00	48. अन्य विस्तार कार्यक्रम	32.41	27.32
			49. ऑन-फार्म टेस्ट और प्रायोगिक परीक्षण	13.75	5.42

दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	(राशि ₹ लाख में)	
				चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
16. खरीदारों प्राधिकरण शुल्क	5.89	5.45	50. नमूना परियोजना क्षेत्र	9.87	9.36
17. कर्मचारियों के लिए ऋण और अग्रिम	16.99	22.83	51. तम्बाकू गोयार कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा)	88.06	94.20
18. कृषकों को ऋण & अग्रिम	0.00	0.00	52. वाणिज्यिक कर दंड और व्याज	0.00	0.00
VII. उधार ली गई राशि			53. सेवा कर, जुर्माना और व्याज	0.03	0.17
VIII. कोई अन्य रसीदों			III. विभिन्न परियोजनाओं के लिए	0.00	0.00
1. अन्य देनदारियाँ	0.00	0.00	निधि के खिलाफ किए गए भुगतान		
2. एसीटीओ और अन्य के साथ जमा	910.11	2697.76	III. अनुदान और सब्सिडी पर व्यय	0.00	0.00
	9.24	16.16	IV. निवेश और जमा		
			क) नियत जमा		
			i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन धन	2433.01	2266.95
			(व्यापार स्कंध के लिए अनुदान)		
			ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	2189.93	2391.27
			iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	14958.32	15577.02
			iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन फंड	22.97	27.87
			v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना	5570.88	5260.17
			ख) अन्य भुगतान		
			i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)	0.00	0.00

दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	(राशि ₹ लाख में)	
				चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
			ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	1014.16	925.56
			iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	4586.36	4087.86
			iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	139.42	94.75
			v) तम्बाकू ग्रायर कल्याण निधि योजना	745.15	844.69
			V. निश्चित संपत्ति पर व्यय & प्रगाताधीन कार्य		
			1. निश्चित संपत्तियों की खरीद	52.85	14.49
			2. अग्रिम केलिए		
			क) सीपीडब्ल्यूडी	579.86	409.13
			ख) रेंट्स	0.00	20.61
			VI. अधिशेष धन/ऋण की वापसी	0.00	0.00
			VII. वित्तीय शुल्क (व्याज)	0.00	0.00
			VIII. अन्य भुगतान :		
			1) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	12.58	25.24
			2) किसानों को ऋण और अग्रिम	0.00	0.00
			3) अन्य देनदारियाँ	6485.82	701.83
			4) एसिटिओ और अन्य के साथ जमा	90.97	6.04
			IX. अन्तर्शेष		

दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
			क) बैंक शेष 1. चालू खाताएँ 8708.48 2. जमा खाताएँ 58486.41 3. बचत खाताएँ 0.00		
			ख) उद्दिष्ट / राजस्व निधि 1. चालू खाताएँ i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान) 0.05 2. जमा खाताएँ 0.00 3. बचत खाताएँ i) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि 8.33 ii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि 4.55 iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि 0.61 iv) तम्बाकू ग्रीयर कल्याण निधि योजना 155.84		
कुल	115603.62	111866.05	कुल	115603.62	111866.05

ह/- XX XX XX
(अद्विकि श्रीधर बाबू)
सचिव

ह/- XX XX XX
(आर. मुत्तुराज)
कार्यपालक निदेशक

उद्दिष्ट निधियों की निधि शेष :**1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मार्गिन राशि (व्यापार रकम को अनुदान सहायता) लेखा**
(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद (चालू खाता) (एस बि आई, गुण्टूर)	0.05	0.05
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	2266.95	2006.75
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्बे खाता पर व्याज)	166.06	260.19
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	ग) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	2433.06	2267.00
ग.	भुगतान		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
घ.	अन्तशेष		
	क. निवेश (मीआदी जमा)	2433.01	2266.95
	ख) बैंक में नकद (चालू खाता) (एस बी आई, गुण्टूर)	0.05	0.05
	कुल भुगतान (ग + घ)	2433.06	2267.00

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा
(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एसवीएच, गुण्टूर)	8.33	4.03
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	2391.27	2330.12
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्बे खाता पर व्याज)	159.02	255.73
	ख) अंशदान	655.39	734.36
	ग) सा भ नि अग्रिम की वसूली	0.25	0.92
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	3214.26	3325.16
ग.	भुगतान		
	क) निकासी	1014.16	925.56
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
घ.	अन्तशेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा)	2189.93	2391.27
	ख) बैंक के नकद (बचत खाता) (एस बी आई - गुण्टूर)	10.16	8.33
	कुल भुगतान (ग + घ)	3214.26	3325.16

3. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष क) बैंक में नकद बचत खाता (एस बि आई, गुण्टूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	4.55 15577.02	3.95 15447.03
ख.	प्राप्तियाँ क) निवेशों से आय (मीआदी जमा बवें खाता पर व्याज) ख) पेंशन निधि अंशदान	967.86 3000.00	1172.75 3045.70
	कुल प्राप्तियाँ (क+ख)	19549.43	19669.42
ग.	भुगतान क) एल आई सी द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी ख) बैंक प्रभार	4586.36 0.00	4087.86 0.00
घ.	अन्तशेष क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई, गुण्टूर)	14958.32 4.74	15577.02 4.55
	कुल भुगतान (ग+घ)	19549.43	19669.42

4. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष(₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथशेष क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	0.61 27.87	0.46 26.06
ख.	प्राप्तियाँ क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बवें खाता पर व्याज) ख) पेंशन निधि अंशदान	2.24 144.26	1.88 94.83
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	174.98	123.23
ग.	भुगतान एनएसडिएल, मुंबई को प्रेषित राशि (पेंशन अंशदान) ख) अन्य भुगतान (एनपीएस पदाधिकारियों को रिफंड)	134.70 4.71	94.75 0.00
घ.	अन्त शेष क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर)	22.97 12.59	27.87 0.61
	कुल भुगतान (ग + घ)	174.98	123.23

5. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष			(₹ लाखों में)
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	
क.	अथशेष क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस वि आई गुण्टूर) (एस बी एम, बेंगलूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	70.97 3246.52	84.86 2013.65	155.84 5260.17	12.65 2987.70	96.66 2099.43	109.31 5087.14	
ख.	प्राप्तियाँ : क) निवेशों से आय (मीआदि जमा और बैंक खाता) ख) ग्रोयर अंशदान ग) तम्बाकू बोर्ड अंशदान घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण ङ) स्वीपिंग का ग्रोयर हिस्सा च) जुर्माना छ) ऋणों पर व्याज ज) विविध रसीद झ) ग्रोयर अंशदान (ब्रेकइन रजि.) ञ) विवाह ऋण ट) शिक्षा ऋण ठ) प्रधान वीमारी ऋण ड) बखार डामेज ऋण	254.85 19.77 46.96 189.01 26.58 0.21 0.00 0.00 0.00 2.70 4.19 1.30 1.45	141.32 13.70 41.10 229.56 8.46 0.00 0.00 2.91 0.00 112.04 9.85 1.90 20.46	396.18 33.47 88.06 418.57 35.04 0.21 0.00 2.91 0.00 114.74 14.04 3.20 21.91	232.59 21.71 44.20 195.07 19.55 0.23 0.05 7.33 0.00 1.85 5.01 1.95 0.90	182.21 17.21 50.00 204.84 20.73 0.00 0.00 10.51 0.00 42.39 2.69 0.60 2.62	414.80 38.92 94.20 399.92 40.28 0.23 0.05 17.84 0.00 44.24 7.70 2.55 3.52	
	कुल रसीद (क + ख)	3864.51	2679.82	6544.33	3530.80	2729.90	6260.70	
ग.	भुगतान क) ग्रोयर्स को मृत्यु राहत ख) विवाह ऋण ग) शिक्षा ऋण घ) प्रधान वीमारी ऋण ङ) बखार डामेज ऋण	265.50 4.50 3.50 1.00 0.00	313.20 97.55 12.20 1.50 46.20	578.70 102.05 15.70 2.50 46.20	209.30 0.50 3.00 0.50 0.00	419.25 151.00 16.00 2.24 42.90	628.55 151.50 19.00 2.74 42.90	
घ.	अन्तशेष क) निवेश (मीआदीजमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एसबीआई, गुण्टूर) (एसबीएम, बेंगलूर)	3528.51 61.49	2042.36 166.81	5570.88 228.31	3246.52 70.97	2013.65 84.86	5260.17 155.84	
	कुल भुगतान (ग + घ)	3864.51	2679.82	6544.33	3530.80	2729.90	6260.70	

2008-09 से 2019-20 तक गैर-योजना और योजना के अंतर्गत निधि गति स्थिति दर्शानेवाला विवरण

(र लाखों में)													
क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	अथशेष (योजना & गैर-योजना)	14740.62	18868.34	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19
2	प्राप्तियाँ												
	क) गैर-योजना	8843.57	11900.92	11689.90	15650.73	11541.65	15083.54	16581.13	15387.68	14399.60	14477.23	15395.93	15558.10
	ख) योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	सहायता अनुदान												
	क) गैर-योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कुल (आई ई बी आर) (1 से 3)	23584.19	30769.26	34411.76	41519.08	45948.02	51626.35	57965.79	63083.86	66298.66	69178.44	71184.57	74444.29
5	व्यय												
	क) गैर-योजना	3690.17	1703.68	1148.77	1565.04	2054.13	2061.98	1728.82	634.50	748.37	13389.80	12298.38	12951.20
	ख) योजना	1025.68	6343.72	7394.64	5547.67	7351.08	8179.71	8540.79	10550.30	10849.08	0.00	0.00	0.00
	कुल व्यय (5)	4715.85	8047.40	8543.41	7112.71	9405.21	10241.69	10269.61	11184.80	11597.45	13389.80	12298.38	12951.20
6	अन्तशेष (4-5)	18868.34	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19	61493.09

संकेताक्षर

आं.प्र
 एपीएफ/ए.पी.एफ
 औ.मू.
 बीएटी
 बीजी
 सीएसीपी
 सीबीएस
 सीएमओ
 सीपीडब्ल्यूडी
 सीपीए'एस
 सीटीआरआई
 इएलएस
 इयू
 एफसीवी
 जीआई
 जीआरएल
 जीएसपी
 हेचए. हे.
 आईएलटीडी
 आईपीएम
 आईएसओ
 आईटीए
 आईटीसी
 आईटीडीए
 केके के.के
 केएल एस
 एलएसआई
 एम. के जीएस/एम. के जीएस
 एमइपी
 एमजीपी
 एमकेटीडी.
 एमपीए
 एमएसपी
 एनबीएस
 एनएपीहेचएम
 एनएलएस
 एनपीवी
 एनटीआरएम
 ओएफटी'एस
 ओएलआईसी
 पीहेचपीएम
 क्यूटीवाई.
 आरसीएमसी
 आरएटीइएस
 एसएलएस
 एसबीएस
 एसटीएल
 टीबीएस
 टीओएलएसी
 टीक्यूसी
 यूएइ
 यूके
 यूएस

आंध्र प्रदेश
 नीलाम प्लैटफार्म
 औसत मूल्य
 ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको
 बैंक गारंटी
 कृषि लागत और मूल्य आयोग
 केन्द्रीय काली मिट्टी
 आम बाजार संगठन
 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
 फसल सुरक्षा एजेंटों
 केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान
 पूर्वी हल्की मिट्टी
 यूरोपीय संघ
 फ्लू कूरिड वर्जीनिया
 गाल्वनैजिड आईरन
 गाइडेंस अवशिष्ट स्तर
 सामान्यीकृत प्राथमिक प्रणाली
 हैक्टर
 भारतीय पत्ता तम्बाकू डिवीजन
 एकीकृत कीट प्रबंध
 अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन संगठन
 भारतीय तम्बाकू संघ
 भारतीय तम्बाकू कंपनी
 भारतीय तम्बाकू डीलर संघ
 कर्नाटका
 कर्नाटका हल्की मिट्टियाँ
 स्थायी निर्देश के पत्र
 मिलियन किलोग्राम
 न्यूनतम निर्यात मूल्य
 न्यूनतम गारंटी मूल्य
 विपणित
 मोडल परियोजना क्षेत्र
 न्यूनतम समर्थन मूल्य
 उत्तरी काली मिट्टी
 राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान
 उत्तरी हल्की मिट्टी
 न्यूक्लियर पालि हेन्डासिस वैरस
 गैर तम्बाकू से संबंधित सामग्री
 आन-फार्म परीक्षण
 राजभाषा कार्यान्वयन समिति
 फार्म हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध
 परिमाण
 पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र
 रेल इंडिया टेक्निकल एंड और आर्थिक सेवाओं
 दक्षिणी हल्की मिट्टी
 दक्षिणी काली मिट्टी
 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
 पारंपरिक काली मिट्टी
 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
 तम्बाकू गुणवत्ता मंडल
 संयुक्त अरब अमीरात
 यूनाइटेड किंगडम
 अमेरिका

The preferred choice world wide

CHOICEST TOBACCOS VALUE FOR MONEY

With its diverse range of tobaccos, consistent volumes and favourable quality-price ratio, Indian tobacco is the preferred choice of all world major cigarette manufacturers.

Sustainable Tobacco Production program, Natural farming initiatives for Organic FCV Tobacco Production, state-of-art processing facilities have placed India as the favoured destination of the world cigarette industry for compliant and quality tobaccos.



**Winner of
Golden Leaf Award 2019**

Most Impressive Public Service Initiative



TOBACCO BOARD INDIA

Ministry of Commerce & Industry

Dept. of Commerce, Government of India

Guntur - 522 004 (A.P.) India | Ph: +91 863 2358068, 2358399 | Fax: +91 863 2354232
e-mail: info@indiantobacco.com | exports@indiantobacco.com | website: www.tobaccoboard.com



श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., से कार्यपालक निदेशक का पदभार स्वीकार करते हुए
श्री आर. मुत्तुराज, भा.व्या.से., और श्रीमती के. सुनीता, भा.प्र.से., को भव्य विदाई समर्पण



श्री वाई. रघुनाथ बाबू, अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड और श्री ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., सचिव द्वारा नीलाम प्रक्रिया का निरीक्षण



संस्थापना दिवस समारोह, 2020 के सुअवसर पर
एफसीवी तम्बाकू प्रगतिशील शोयर का सम्मान



श्री आर. मुत्तुराज, भा.व्या.से., कार्यपालक निदेशक
द्वारा नर्सरी क्षेत्र का संदर्शन



तम्बाकू बोर्ड

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग,
पो.बॉ.सं 322, जी.टी. रोड,
गुण्टूर - 522 004, आन्ध्र प्रदेश, भारत

फोन : 91 863 2358399, फैक्स : 91 863 2354232

ईमेल : info@indiantobacco.com, वेबसाइट : www.indiantobacco.com